Page No 1

(1)

राजस्थान विधान-सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] विधान सभा के सप्तम् सत्र का 33 वां दिवस [संख्या 25

शुक्रवार

21 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11:00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री, रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, कृषि, शिक्षा, अकाल-सहायता, पशुपालन, उद्योग, खाद्य, नियुक्ति, नागरिक रसद, अकाल राहत, गृह विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला।

अलवर में शूकर मांस कारखाना

672. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर में शूकर मांस कारखाने की योजना कब बनी और उसको तैयार करने वाली एजेन्सी कौन थी ?

(2) योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अन्तिम स्वीकृति किसने दी ? इसमें कुल खर्चा फैक्ट्री की स्थापना और कितना अनुमानित किया गया था और कितनी क्षमता निर्धारित की गई ?

(3) शूकर मांस कारखाने का काम कब हाथ में लिया गया, कुल कितना खर्च हुआ और उसमें उत्पादन कब से प्रारम्भ हुआ ?

(4) उत्पादन प्रारम्भ होने से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितना उत्पादन हुआ और उसकी विक्री से कारखाने को कितनी कितनी आमदनी हुई ? इसके मुकाबले में प्रति वर्ष कितना खर्चा हुआ और कितनी हानि हुई ?

(5) क्या यह सच है कि प्रारम्भ से ही इस कारखाने को घाटा होता रहा है और उसका मुख्य कारण क्षमता व योजना से कहीं कम उत्पादन होता रहा है ?

(6) क्या कारखाने की स्थापना के लिये निर्णय लेते वक्त यह नहीं सोचा गया था कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में शूकर उपलब्ध नहीं हो सकेंगे और राज्य की लगभग अस्सी लाख की राशि इस प्रकार बर्बाद हो जायगी ?

(7) इस तरह की गलत और अव्यवहारिक योजना बनाने और उसके फलस्वरूप

(2)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
धन की बर्बादी के लिये जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? और अगर नहीं की गई है तो उसके कारण क्या हैं?

(8) क्या यह सच है कि सरकार ने अब इस शूकर मांस कारखाने को "कम्पोजिट मीट प्लान्ट" में बदलने का फैसला किया है और अस्सी लाख रुपये की बर्बादी के पश्चात् पुनः बीस लाख रुपये बर्बाद करने का फैसला लिया गया है?

पशुपालन मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) उक्त योजना 64–65 में केन्द्र सरकार की मोटल योजनानुसार विभाग द्वारा बनाई गई।

(2) राज्य सरकार ने। फैक्ट्री पर कुल खर्च 17.30 लाख अनुमानित था तथा इसकी क्षमता 50 शूकर दैनिक काटने की निर्धारित की गई थी।

(3) शूकर मांस कारखाने का कार्य वर्ष 1965–66 से हाथ में लिया गया था। कुल खर्चा 34.42 लाख हुआ तथा उत्पादन वर्ष 1969–70 से प्रारम्भ हुआ।

(4) आय व व्यय के ब्यौरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। घाटे का मुख्य कारण पर्याप्त संख्या में शूकर उपलब्ध के नहीं होने से क्षमता से वास्तविक उत्पादन कम होना रहा है।

(6) फैक्ट्री स्थापित करते समय इस पर विचार किया था और शूकर पालकों को इसके लिए तैयार किया गया था। कालान्तर में शूकर मंहगा हो जाने से पालक निरुत्साहित हुए और प्रसार क्षेत्र में शूकरों की उपलब्धि निरन्तर कम होती गई।

(7) बनाते समय योजना को व्यवहारिक माना गया था। इसमें किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता। परिस्थितियोंवश ही ऐसा हुआ है। जिसका किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(8) जी हां। इस फैक्टरी को 'कम्पोजिट मीट प्लान्ट' में बदलने के निर्णय से उत्पादन व आय में वृद्धि हो सकेगी। इस निर्णय के फलस्वरूप कोई नये केपीटल खर्च की आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): इस परिस्थिति का पहले आपको मालूम था जिन परिस्थितियों के बारे में आप कह रहे हैं तो आपने पहले कोशिश क्यों नहीं की?

श्री श्रीराम गोटेवाला: मैं यह पूछना चाहता था कि आपने 50 शूकर प्रति दिन काटने की बात की है क्या इसके बारे में कोई पिग फैक्ट्री वगैरह तैयार करने की बात थी क्या?

श्री शिवचरण माथुर: इस योजना के साथ में पिग फैक्टरी भी लगाने वाली बात थी और वह लगाई भी लेकिन जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया कि प्रसार क्षेत्र के

(श्री शिवचरण माथुर)
अन्दर शूकर पालकों में इसका अधिक प्रसार जब तक नहीं होता तब तक 50 शूकर रोज मिलने की स्थिति नहीं बनती और यह शुरू में योजना चालू की गई थी उस समय अन्दाजा था कि इतनी संख्या में शूकर मिल जायेंगे लेकिन धीरे धीरे जैसा मैंने निवेदन किया कि शूकर का फीड महंगा होता गया और शूकर पालकों के लिए इकानामिक नहीं पड़ा इसलिए उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं रही और शूकरों की उपलब्धि निरन्तर कम होती गई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता था कि जो आपने लिस्ट दी है उसके हिसाब से 1969–70 के अन्दर आपको आमदनी 5786 रुपये हुई और खर्चा हुआ 2,26,607 रुपया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की घाटे की और अव्यवहारिक योजना जो क्रियान्वित की गई, 1965–66 में इस योजना को हाथ में लिया और 1969–70 में काम चालू हुआ और प्रथम वर्ष में ही 2 लाख 20 हजार रुपये का इसमें घाटा हुआ। तो बिना व्यवहारिकता के जांच कराये बिना सारी योजना क्रियान्वित हुई और आप कह रहे हैं कि किसी अधिकारी का दोष नहीं था और बिना घोड़ा खरीदे ही गाड़ी लाकर खड़ी कर दी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले यहां गोशाला थी और बहुत अच्छी गोशाला थी और यह गोशाला स्टेट के जमाने से चली आ रही थी। उसको समाप्त करके आपने शूकर फैक्ट्री खोली है और उसकी कोई यूटीलिटी नहीं है और वह नुकसान में जा रही है। तो क्या सरकार विचार करेगी कि शूकर फैक्टरी को बन्द करके गौशाला चालू कर दी जायेगी ?

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या सरकार इसको ज्वाइन्ट सैक्टर में चलाने का इरादा रखती है ताकि लगा हुआ धन सुरक्षित रह सके ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया कि जब 1965–66 में इस योजना के संबंध में विचार किया गया उस समय गवर्नमेंट आफ इन्डिया का एक मोटेल प्लान था जिससे कि अच्छा फीड सस्ते दर से लोगों को उपलब्ध कराने की बात सोची गई थी और उसी स्कीम के आधार पर गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की मदद से क्योंकि 20 लाख रुपया उन्होंने दिया यहां पर फैक्ट्री को लगाया गया। इसलिए उसकी व्यवहारिकता को नहीं आंका गया यह कहना गलत है। उस समय इस योजना को व्यवहारिक माना गया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लेकिन किस आधार पर ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : व्यवहारिकता का तो रिजल्ट सामने ही आ गया कि पहली साल ही घाटा हो गया।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य तो उद्योगों से और व्यापार से बहुत परिचित हैं और सम्भवत: पहली साल में और दूसरी साल में किसी को भी फायदा नहीं होता...

Page No 4

(4)

श्री श्रीराम गोटेवाला : दीवाला निकालने वाली फर्म से कोई परिचय नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर गौशाला पहले चल रही थी अब आप उसको क्यों नहीं चालू करते जब कि यह फैक्ट्री आपको नुकसान दे रही है ?

श्री राजेन्द्रसिंह : ज्वाइन्ट सैक्टर वाला जवाब भी आ जाये।

श्री दलपतसिंह (खारची): यह जवाब और दे दें कि प्रति दिन कितने सूअर काटे जाते हैं और एक सूअर की कितनी कीमत आती है और यह कहां से उपलब्ध कराये जाते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने तो मोटेल प्लान इसलिए दिया था कि स्टेट को लाभ हो और आपकी फैक्ट्री प्राफिट में चले। आपने सरकमस्टान्सेज बताये ही नहीं और वह प्लान 20 लाख रुपये के फायदे के लिए स्टेट को कितना नुकसान दे रहा है यह तुलना कीजिए आप ? इसको लिया ही क्यों ?

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : इस फैक्टरी को गंगानगर में तब्दील कर दी जाये किसी को शिकायत नहीं होगी।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : यह सूअरों को भी संभाल लेंगे और फैक्टरी को भी संभाल लेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : यह गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की सलाह से फैक्टरी लगाई गई थी और उसकी फिजिबिलिटी को एग्जामिन किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी योजना 20 लाख रुपये की चालू की जाये उस समय उसकी फिजिबिलिटी को नहीं देखा जाये लेकिन कालान्तर में ऐसी परिस्थितियां बनीं जिससे योजना को लाभ नहीं हो सका और वह कारण मैंने आपको बताये······

श्री श्रीराम गोटेवाला : कालान्तर से नहीं, शुरू से ही ऐसी योजना थी।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये तो सही। और यह माननीय सदस्य मानेंगे कि कोई भी इन्डस्ट्री हो पहली साल में फायदा नहीं देती लेकिन इसके और अलग कारण हैं और उसी नुकसान से बचने के लिए निर्णय किया कि इसको कम्पोजिट मीट प्लान्ट में बदल दिया जाये और जब से यह फैसला किया उसके बाद में इसमें निरन्तर प्रगति हो रही है और मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहां का बना हुआ मीट है उससे एक्सपोर्ट मार्केट को भी एक्सप्लाइट कर रहे हैं और कुछ एक्सपोर्ट के आर्डर्स भी मिले हैं। इसलिए आगे इसमें घाटा रहने की सम्भावना नजर नहीं आती है और मैं ऐसा अंदाज लगाता हूं कि आगे यह प्राफिट में आ सकती है।

बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पहले यहां गौशाला थी और यह फैक्टरी चूंकि घाटे में चल रही है इसलिए पुनः गौशाला को लगाने का सरकार इरादा रखती है। मैं समझता हूं कि यह एक अजीब सी बात होगी कि इतना इनवेस्टमेन्ट करने की बाद में और इस बात की पासिबिलिटी सामने नजर आ रही है कि लाभ होने

(श्री शिवचरण माथुर)

वाला है इसलिए गौशाला में इसे बदलने की बात नहीं आती है। हां, गौशाला कहीं अलग से हो यह दूसरी बात है लेकिन इसको गौशाला में बदलने वाली बात सरकार के कोई विचाराधीन नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस कम्पोजिट मीट प्लान्ट के लिए कितने पशुओं की आवश्यकता होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं एक बात और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सुअरों के गोश्त से चर्बी निकलती है उसको असली घी के रूप में बेचा गया है इसलिए घाटा कम है वरना इसमें घाटा ही घाटा है। मिलावट करके बेचते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो बहुत बड़ी शर्म की बात है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : माननीय मंत्री महोदय जब इन सबकी शिकायत है तो इसको गंगानगर क्यों नहीं भेज देते ?

श्री राजेन्द्रसिंह : जब इनीशियली यह प्लान्ट अलवर में लगाया गया था वह इस मकसद से लगाया गया था कि वहां बेकन बनाया जाये तो फिर मीट प्लान्ट को भी साथ कर देना चाहिए था। जब वहां शूकर मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो क्या राज्य सरकार मीट बनाने के लिए शूकर पैदा कर लेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ ही एक प्रश्न और जोड़ लीजिए। देखिए आपने यह स्वीकार किया है कि इसमें नुकसान होता रहा। माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि यह व्यावहारिक योजना नहीं है और आपने इस योजना को व्यवहारिक नहीं माना और यह कहा कि कालान्तर में व्यवहारिक नहीं हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अव्यवहारिकता कब से मालूम होने लगी, कब त्रुटि मालूम हुई और कितने साल तक इस त्रुटि की अवहेलना की जिसके फलस्वरूप यह नुकसान हुआ। क्या इस नुकसान के सम्बन्ध में जांच करवाई गई कि कब से यह योजना अव्यवहारिक हो गई और क्या इसके लिए जांच करवाई और अगर नहीं कराई तो क्या अब जांच कराने का विचार रखती है सरकार ?

श्री अध्यक्ष : और कोई पूछना चाहे तो पूछ लें।

श्री शिवचरण माथुर : अभी माननीय सदस्य ने जो कम्पोजिट मीट प्लान्ट के बारे में कहा कि क्या अलग 2 तौर से जानवरों के काटने की व्यवस्था है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें करीब तीस हजार शीप्स एण्ड गोट्स पर ईयर और एक लाख पोल्ट्री, 4500 पिक अवेलिबिलिटी के आधार पर। 74–75 की योजना यह है। इसके बाद 75–76 में साठ हजार शीप एण्ड गोट्स, एक लाख पोल्ट्री और 76-77 में तीस हजार शीप्स एण्ड गोट्स और 2 लाख पोल्ट्री, इस तरह से क्रमशः बढ़ाने का प्लान है और उसी हिसाब से उसका मीट बनाने का प्लान है। इसका मार्केट भी काफी अवेलेबल है। जैसा मैंने निवेदन किया कि एक्सपोर्ट मार्केट भी अवेलेबल है और जितनी बड़ी 2 सिटीज हैं दिल्ली, जयपुर और दूसरी कैपिटल सिटीज, आज उनमें इसकी

(श्री शिवचरण माथुर)

अच्छी खपत है। अभी जो माननीय सदस्य ने बेकन बनाने की बात कही तो बेकन तो उसका बाई प्रोडक्ट है। किसी भी जानवर को काट कर उसका बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसमें कोई अलग से मीट बनाने के लिए नया प्लाण्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बेकन था, सूअर नहीं मिलते हैं और बेकन उपलब्धि के आधार पर बेचा जाता है तो कम्पोजिट प्लाण्ट में बदलने का मतलब यही है कि इस सारे को एक प्रकार से घाटे से निकाल कर फायदे में चलाया जाय।

अब सवाल रहा कि तीन चार साल से लगातार इसमें घाटा चलता रहा उसकी बीच में जांच क्यों नहीं की गई। इसमें कई कारण थे। एक तो प्लाण्ट समय पर नहीं लग सका। यह भी एक कारण था जिससे इस बीच में इसको डिजोल्व करके आगे बढ़ने की बात थी। इसको ठेके पर देने की बात भी सोची गई लेकिन ठेके के भी अच्छे टर्म सामने नहीं आने से विचार छोड़ना पड़ा। फिर विभाग ने यह राय दी जानकारी करके, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर कि इसको कम्पोजिट मीट प्लाण्ट के तौर पर बदलना चाहिए। यह प्रस्ताव केबीनेट के सामने आया और यह सवाल आने के बाद केबीनेट ने इस पर निर्णय लिया। इसके बाद में हमने इस पर पिछले जून के महिने में इसको कम्प्लीट मीट प्लांट में बदलने का निर्णय लागू किया है और मैं समझता हूं कि आगे इसके प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : महावीर निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में ज्यादा मीट उपलब्ध कराइये।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए निवास स्थान की सुविधा

673. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों की संख्या क्या है? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों में से किस-किस श्रेणी के अधिकारियों (न्यायाधीशों) को निवास स्थान की सुविधा उपलब्ध है और किस किस को नहीं?

(3) क्या यह सही है कि न्यायिक सेवाओं के जिस श्रेणी के अधिकारियों को निवास स्थान की सुविधा नहीं है, प्रशासनिक सेवाओं में उस श्रेणी के अधिकारियों को निवास स्थान की सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है?

(4) क्या राज्य सरकार इस ओर कुछ कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) राज्य के विभिन्न न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

अ–राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी	51
ब–मुख्य न्यायिक दण्डनायक	28

Page No 7

(श्री खेतसिंह)

स–व्यवहार न्यायाधीश	8
द–मुन्सिफ व न्यायिक दण्डनायक	145
कुल	232

(2) राजकीय भवन आवंटन नियमावली के अन्तर्गत राज्य की न्यायिक सेवाओं में नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों के लिए रिहायशी मकान आरक्षित (ईयरमार्क) हैं :

अ–मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जोधपुर

ब–समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

स–समस्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

द–सिविल जज डूंगरपुर

इ–उप-खण्ड में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ।

शेष अधिकारियों को नियमों के अन्तर्गत जैसे जैसे आवासीय मकानों के आवंटन की सूची के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर बारी आती जाती है, वैसे-वैसे राजकीय आवास आवंटित किये जाते रहे हैं । जिन अधिकारियों की अभी तक बारी नहीं आ पाई है उन्हें सरकारी मकान अभी तक आवंटित नहीं हो पाये हैं ।

(3) प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं के पदों के कार्य की महत्ता को देखते हुए दोनों श्रेणी के अधिकारियों के रिहायशी मकान आरक्षित हैं । शेष अधिकारियों को रिहायशी मकानों के आवंटन की स्थिति प्रश्न के उत्तर भाग (2) में स्पष्ट कर दी गई है ।

(4) मकानों की कमी को देखते हुए फिलहाल यह सम्भव नहीं है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : जैसा अभी आपने यह फरमाया कि उनको अलाट कर रहे हैं तो उसके बारे में बता दें कि कितने लोगों को, कितने अधिकारियों को किस-किस साल में कितने आपने रिहायशी मकान अलाट किए हैं ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे आफिसर्स जिनके लिए ईयरमार्क हैं उनको छोड़ कर बाकी के जो भी हैं उनकी बारी आती है, जितना टेन्योर उस डिस्ट्रिक्ट, उस सब-डिविजन में होता है उस टेन्योर के हिसाब से बारी आती है तब आवंटित किये जाते हैं और न्यायिक सेवाओं के लिए राज्य सरकार के दिल में काफी सम्मान है और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे मकान बनेंगे उनको उपलब्ध करायेंगे ।

श्री मूलचन्द सामरिया : टेन्योर वाली बात करते हैं तो यह बता दें कि इसके मुताबिक कुल कितने कितने लोगों को, और किन किन लोगों को रिहायशी मकानात अलाट किए, मैं डेफीनेट सूचना चाहता हूं ।

श्री खेतसिंह : यह फीगर्स मेरे पास नहीं हैं इस समय ।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसका मतलब यह हुआ कि यह मात्र नियम बना रखे हैं

Page No 8

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उसकी पालना नहीं होती है और इन न्यायिक सेवाओं का इस तरह से उपहास किया जाता है और नियमानुसार अलाटमेंट नहीं होता है ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय····

श्री खेतसिंह : यह आपने गलत समझा है ऐसा प्रतीत होता है। मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि न्यायिक सेवाओं के लिए निश्चित तौर से राज्य सरकार के दिल में सम्मान है और हमेशा रहता है कि उनको सुविधा दी जावे और नियमों के अनुसार जो उनकी बारी आती है निश्चित तौर पर उनको आवंटन किया जाता है और इसके अन्दर हम यह मानते हैं कि ज्यों 2 नए मकान बनेंगे उनको आवंटन की और सुविधा बढ़ेगी ।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव दिये हैं और क्या यह भी सही है कि इन सुझावों के बाद राज्य सरकार ने कुछ आश्वासन दिये थे कि इस पर हम विचार करेंगे । तो आप बतायें कि उसके बाद क्या कदम उठाये गये हैं ।

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलग से प्रश्न कैसे है, आपने कांफ्रेंस में निश्चित आश्वासन दिया था ।

श्री खेतसिंह : इस प्रश्न से उनको ताल्लुक नहीं है इसलिए अलग से प्रश्न है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कितने अफसर हैं जिनको मकान नहीं मिले हैं ?

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं अलग से ही प्रश्न समझ कर उत्तर देने की कृपा करें कि जो न्यायिक सेवाओं के जो अधिकारियों की संख्या बढ़ाई है और राजस्थान की जनता के हित में और केसेज को देखते हुए यह मानते हैं कि इनकी संख्या कम है और तहसील हैडक्वार्टर मुंसिफ का नया कोर्ट खोलने का निर्णय लिया गया है, इसके अन्तर्गत निर्णय कर लिया है । उस आधार पर दौसा में ए जे डी लालसोट में मुंसिफ कोर्ट के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है ।

श्री खेतसिंह : यह तो बिल्कुल ही अलग से प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर ।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक क्वेश्चन और अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : अब और कितने, चार सप्लीमेंट्री आप पूछ चुके हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक क्वेश्चन । क्या आप फरमा सकते हैं कि न्यायिक सेवाओं के हर अधिकारी को कोई निश्चित अवधि में मकान अलाट कर देंगे, इतने समय के बाद निश्चित तौर पर आवासीय सुविधा दे दी जाएगी,

(श्री मूलचन्द सामरिया)
क्योंकि आप जानते हैं कि ज्युडिशियरी एण्डी-पेंडेंट होने के बाद आप पर कम से कम आश्रित होना बहुत जरूरी है इसलिए यह एक सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी नहीं, कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है किन्तु यह तथ्य है कि हमारे पास मकानों की कमी है और इसलिए यह विवाद पैदा होते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है। हम उस आयोजन के अन्तर्गत सम्भवतः विजय बैंक बंगलोर से हमें बड़े पैमाने पर कर्जा मिल जावेगा और इतने मकान बन सकेंगे कि पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री मूलचन्द सामरिया : एडमिनिस्ट्रेटिव आफिससं को इसमें भी ज्यादा प्रिफरेंस होगा।

नावां की मैसर्स साबू इण्डस्ट्रीज को आवंटित कच्चा माल

674. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नावां की मैसर्स साबू इण्डस्ट्रीज, साबू आईरन फाउण्ड्री, ऐसोसियेटेड एमरी साबू इन्जीनियरिंग वर्क्स तथा कृष्णा मिनरल एण्ड इण्डस्ट्रीज को सन् 1970 से आज तक क्रमशः क्या क्या कच्चा माल आवंटित किया गया? सूची वर्ष वार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करते वक्त इनकी क्षमताओं को सही तौर पर आंका गया है? अगर हां तो आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। उपर्युक्त उद्योगों ने सन् 1970 से अब तक कितना उत्पादन किया है? क्या कच्चे आवंटित माल तथा उत्पादित माल में कोई अनुपात है? अगर हां, तो क्या? उत्पादित माल की 1970 से अब तक की सूचियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि सन् 1974 में राज्य के उद्योग विभाग ने नावां के साबू बन्धुओं की फर्मों को 35 मिलीमीटर मोटी लोहे की चद्दरें आवंटित की जो कि रोड रोलर बनाने हेतु मांगी गई थी? अगर हां, तो यह चद्दरें कितनी मात्रा में आवंटित की गई तथा इससे अनुमानतः कितने रोड रोलर तैयार हो सकते थे? ब्यौरेवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही कि फर्मों के पास रोड रोलर बनाने की कोई मशीन ही नहीं है? अगर हां, तो फिर किस आधार पर 35 मिलिमीटर मोटी चद्दरों का कोटा आवंटित किया गया? अब तक इन फर्मों ने कितने रोड रोलरों का निर्माण करवाया है? तथा ये किन किन फर्मों को बेचे गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या उक्त फर्मों को 35 मिलिमीटर मोटी चद्दरें आवंटित करने पर सरकार को इस सम्बन्ध में कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? अगर हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच हुई है? उसकी क्या रिपोर्ट है? अगर नहीं तो इस सम्बन्ध में जांच न किये जाने का क्या कारण है? क्या अब भी सरकार कोई जांच आयोग बैठाने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक?

Page No 10

(10)

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) नावां के मैसर्स साबू इंडस्ट्रीज, साबू आयरन फाउण्डरी, साबू इंजीनियरिंग वर्क्स को 1970-71 से 28-2-75 तक आवंटित कच्चे माल की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है। मैसर्स एसोसिएटेड एमरी को केवल कोयला आवंटित किया गया है जिसकी सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। मैसर्स कृष्णा मिनरल इण्डस्ट्रीज को कोई कच्चा माल आवंटित नहीं किया गया है।

(2) जी हां। इनकी क्षमता निर्धारित की गई है। क्षमता प्रमाण-पत्र की प्रतियां सूची ग (1), ग (2) तथा ग (3) सदन की मेज पर रख दी गई है। इन उद्योगों द्वारा 1970-71 से 28-2-75 तक उत्पादित माल की सूची (घ) सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन उद्योगों की क्षमता निर्धारित की गई है उनको उनकी क्षमता के अनुसार पूरा माल नहीं मिल पाता है, परन्तु उपलब्ध माल के अनुसार ही आवंटन हो पाता है। अतः उत्पादित माल से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(3) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां। 35 मि.मि. मोटी चद्दरों का कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया अतः प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कोठेकर : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस साबू इन्डस्ट्रीज के बारे में थोड़ासा है कई नामों से यह फर्म चल रही है कोयला, आइरन आदि कई चीजें यह इन्डस्ट्रीज गवर्नमेन्ट से लेती रहती है। यह सूची जो मुझे दी गई है, वह स्पष्ट नहीं है। इसको मैं पढ़ नहीं सकता। परन्तु मंत्री महोदय से विशेष जानकारी चाहूंगा कि जो कच्चा माल देना बताया गया है क्या आपकी निगाह में है कि वह सब का सब काम में लिया गया है और ब्लेक में नहीं बेचा गया है।

दूसरा, मंत्री महोदय ने यह कहा है प्रश्न के भाग 3 में, प्रश्न नहीं उठता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोटी चद्दर 35 एम. एम. की इनको दी गई है रोड रोलर बनाने के लिए परन्तु इस उद्योग के पास रोड रोलर बनाने की कोई मशीन नहीं है। यह सब जानते हैं। हो सकता है कि इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट ने आपको सूचना न दी हो। नावां के सभी व्यक्ति यह बात जानते हैं। काफी तादाद में ये चद्दरें ब्लेक में बेची गयी हैं। रोड बनाने के लिए कहा गया है परन्तु रोड रोलर नहीं बनाये गये हैं। तो यह तो कुछ घोटाला हुआ है, क्या इस घोटाले की जांच आपने करवाई है और क्या इस इन्डस्ट्रीज के बारे में कोई शिकायत आपको प्राप्त हुई है ? अगर प्राप्त हुई है तो क्या आपने जांच करवाई है और क्या नतीजा निकला है। अगर जांच नहीं कराई है तो मेहरबानी करके आगे जांच करवाने का कष्ट करें। या इरादा है या नहीं ? इस साबू इन्डस्ट्रीज में मजदूरों का पेट काट करके अपने नाम से सरकार में, यह आपके राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जो रकम जमा करायी गयी है, यह एक धोखा है। नागौर जिले में इसको फर्जी फर्म के नाम से जानते हैं। एक ही आदमी तरह तरह के

Page No 11

(11)

(श्री दीपंकर)

उद्योग चलाता है और बहुत सा सामान सरकार से ले जाता है। इसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यह बात सरकार के ध्यान में लाना जरूरी है। यह असत्य है। वही चद्दरें दी गई हैं और रोड रोलर बनाने के काम में वे नहीं ली गयी हैं ?...

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जो सूचना दी है, उसके लिए धन्यवाद। प्रश्न यह है, अगर आप यह मानते हैं कि जहां कहीं किसी ने कच्चा माल लेकर उसका दुरुपयोग किया है तो इस तरह के प्रश्न और उत्तर से इसका समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो भी अभी तक सूचना थी उस सूचना से आपकी सूचना मेल नहीं खाती है। आपने 35 एम. एम. चद्दर का बताया है। जो उत्तर दिया गया है, वह नहीं में है और यह वेरीफाई करके उत्तर दिया गया है। हो सकता है कि यह चद्दर 32 एम. एम. की हो। और 35 एम. एम. की मालूम पड़ गयी हो। इसलिए जो सूचना आपके पास है, वह मुझे इमीजिएटली क्वश्चन आवर के बाद में मुझको दे दें ताकि तुरन्त इन्क्वायरी करवा लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दीपंकर : इन्फारमेशन मैं आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि इस इन्डस्ट्रीज के बारे में क्या कभी कोई शिकायत आपको प्राप्त हुई है ?

श्री हरिदेव जोशी : इससे प्रश्न का समाधान नहीं होगा। इसका कोई अर्थ नहीं है। आप फैक्ट्स दे दिये इन्क्वायरी करवा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री दीपंकर : कोई शिकायत की हुई हो तो क्या कोई जांच की है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह। प्रश्न संख्या 675।

बिताम्बा (भीलवाड़ा) के भील और कालबेलियों को लेवी की कीमत का चुकारा

675. श्री विजयसिंह राठोड़ (मांडल): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिताम्बा पंचायत तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा के कुछ भील और कालबेलियों को सन् 73 की खरीफ की फसल की लेवी की कीमत अब तक नहीं चुकाई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विषय में बिताम्बा की जनता ने सन् 74 में मंत्री महोदय को निवेदन किया था ? यदि हां तो लेवी की कीमत चुकाने हेतु क्या प्रबन्ध किया ?

(3) जिन सरकारी कर्मचारियों ने समय पर लेवी की कीमत नहीं चुकाई उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) खरीफ 73 में तहसील मान्डल में कोई लेवी वसूल नहीं की गई। अतः कीमत चुकाने का प्रश्न ही नहीं रहता है।

(2) जी नहीं।

(श्री शिवचरण माथुर)

(3) प्रश्न के भाग एक की सूचना के आधार पर किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 72 में, यह 73 मिस प्रिन्ट हो गया है, पांच आदमियों का लेवी का माल लिया गया था और उनको कीमत नहीं चुकाई गई थी। इसकी बाद में शिकायत की गई। मंत्री महोदय को भी इसकी जानकारी है। पटवारी उस रकम को लेकर बैठा रहा तो आपने उस पर क्या कार्यवाही की है।

श्री शिवचरण माथुर : जो मेरी जानकारी है, कालवेलियों की कोई बकाया रकम नहीं है। लेवी की कोई रकम बकाया नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है; उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर कोई जानकारी माननीय सदस्य देंगे तो उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री विजयसिंह राठौड़ : मन्त्री महोदय, कृपा कर के अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ही फर्मा दें। आप जो जवाब दे रहे हैं, वह कागजी कार्यवाही के आधार पर दे रहे हैं। आपको इसकी व्यक्तिगत जानकारी है। आप इसको जांच करवा लें कि किस आदमी ने इस रकम को रोके रखा है और इतनी देर तक इसका पेमेन्ट नहीं किया। साल भर तक वह इसको अपने पास रखे रहा। क्या मन्त्री महोदय उस कर्मचारी को सजा देने का विचार रखते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इतने अर्से तक यह रकम किस के पास पड़ी रही। क्या आप इसको अपराध मानते हैं और अपराध मानते हैं तो क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : जैसा मैंने अभी निवेदन किया है, जो जानकारी मेरे पास आई है, अभी वहां कोई कालवेलिया या भील ऐसा नहीं है जिसको पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री विजयसिंह राठौड़ : आप स्वयं इसको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। आपने वहां के अधिकारियों को कहा भी है। लोग आपसे मिले भी हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : पैसे बकाया के लिए किसी ने कहा होगा तो जिलाधीश को कहा होगा। परन्तु आज जो मेरे पास में जानकारी है, वह यह है कि पेमेंट किसी का बकाया नहीं है। माननीय सदस्य अगर यह बतावेंगे कि किसी का बकाया है तो उस आधार पर जांच करके सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

गवर्नमेंट बॉयज कालेज, कोटा

676. श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा गवर्नमेंट बॉयज कालेज में कुल कितने छात्र इस समय विद्याध्यन कर रहे हैं।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालेज बिल्डिंग इतने छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है ?

(3) क्या सरकार इन छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नया भवन बनवाने या अन्य सरकारी भवन देने की व्यवस्था करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) राजकीय महाविद्यालय, कोटा में सत्र 1974-75 में 2818 छात्र पढ़ रहे हैं।

(2) जी हां।

(3) इस कालेज के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1973-74 में 1,74,000।- की स्वीकृति दी थी। सरकार को वित्तीय स्थिति के अनुसार भवन के विस्तार के लिए विचार किया जायगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर ऐसी ऐसी सरकारी इमारतें हैं जिनको लेकर शिक्षा विभाग काम चला सकता है। इस प्रकार की एक इमारत बृज विलास कोटा में है। क्या मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

श्री खेतसिंह : अवश्य।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : एक तो वहां पर बैठने की जगह पूरी नहीं है। राज्य सरकार का धन भी इससे बचेगा।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है वह एक गम्भीर प्रश्न है और कोटा डिविजन में कोटा एक प्रमुख स्थान है। वहां पर विद्यार्थियों की संख्या 2818 है और उसके अनुसार वहां पर उचित व्यवस्था नहीं है। एक ही समय पर सब को बैठने की व्यवस्था नहीं है। सुबह शाम क्लासेज चलती हैं। इसलिए यह जो सुझाव है इस पर मन्त्री महोदय को गम्भीरता से विचार कर अमल में लाने का प्रयास करना चाहिये।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है वहां पर विद्यार्थियों की तादाद ज्यादा है और भवन छोटा है इसलिए इसके विस्तार के लिए राज्य सरकार ने एक लाख 74 हजार रुपये की स्वीकृति दे दी है। इस बार भी प्रयास कर रहे हैं जैसा कि माननीय विधायिका ने कहा है बृज विलास के बारे में, वे स्थानीय क्षेत्र में काफी प्रभावी हैं, वे स्थानीय इन्फ्लुएन्स से चन्दा भी इकट्ठा करावें ताकि बिल्डिंग और ज्यादा बड़ी हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

खाद्य विभाग में लिये गये कर्मचारी

677. **श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खाद्य एवं रसद विभाग, राजस्थान में कब-कब कौन-कौन कर्मचारी और किस-किस विभाग से सहायक जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी तथा प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर स्थानान्तरण पर लिये गये और उन्हें कब-कब पदोन्नत किया गया? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान के आदेश संख्या एफ.2 (6) (ए) फुड/सप्लाई/741/9300-9405 व 9406-9419 दिनांक 23 व 24 जुलाई, 1974 के द्वारा कुछ सहायक

Page No 14

(14)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
जिला रसद अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी तथा प्रवर्तन निरीक्षकों को अपने पैतृक (पेरेंट डिपार्टमेंट्स) विभागों में वापस भेजे जाने हेतु तुरन्त कार्यमुक्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ? आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश दिनांक 29 जुलाई, 1974 को स्थगित कर दिये गये ? यदि हां, तो यह स्थगन किसके आदेश से किया गया और क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त आदेश में दर्शाये गये नामों के विरुद्ध विभिन्न स्तरों से भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें थीं ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं और उनका जांच परिणाम क्या रहा ?

(5) क्या राज्य सरकार दिनांक 24 जुलाई, 1974 के आदेश के परिपालन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सम्बन्धित जिलाधीशों ने इन कर्मचारियों की इन्टीग्रिटी डाउटफुल होना सूचित किया था। इस कारण यह आदेश जारी किये गये थे। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकार के आदेश से स्थगित किये गये हैं।

(4) आदेश दिनांक 24-7-74 में जिन कर्मचारियों के नाम दर्शाये गये हैं उनके विरुद्ध सम्बन्धित जिलाधीशों ने लिखा था कि इनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है। इनके रेकार्ड की जांच की जा रही है। यह पूर्ण होने पर हर एक के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(5) आदेश दिनांक 24-7-74 में जिन कर्मचारियों के नाम दर्शाये गये हैं उनके रेकार्ड की जांच की जा रही है। यह पूर्ण होने पर हर एक के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, खाद्य विभाग के एनफोर्समेंट इन्सपेक्टर्स और एनफोर्समेंट आफिसर्स के बारे में जिनके लिए कलेक्टर ने कहा है कि इनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है, यह भ्रष्ट हैं, और उनके कहने पर आपने हटा दिया लेकिन हटाने के बाद उस हटाने वाले आदेश को स्थगित किया गया, यह आदेश किसने दिया ? हटाने का आदेश आपने दिया तो क्या स्थगन करने का आदेश भी आपने दिया ? आपने जवाब भी बड़ा गोलमाल दिया है कि उनके बारे में जांच हो रही है। आज आठ महीने हो गये हैं। तो अभी तक जांच पूरी नहीं हुई ? कौन-कौन से व्यक्तियों के खिलाफ, एनफोर्समेंट आफीसर्स और इन्सपेक्टर्स के खिलाफ, कौनसे आरोप लगाये गये हैं, उनकी सूची भी आप सदन की मेज पर रख दें।

दूसरी बात यह कि आपने कहा कि प्रशासनिक कारणों से उनको वापिस रख लिया

Page No 15

(15)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
गया है। तो ऐसे कौनसे प्रशासनिक कारण थे जिनकी वजह से ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों को वापिस रखा गया ? क्या कोई दबाव आप पर आ रहा था ?

श्री शिवचरण माथुर : फरवरी 1974 में खाद्य विभाग में सोचा गया कि इसके बारे में कार्यवाही की जाये और जिलाधीशों को इत्तला दी गई कि वह जिन लोगों के बारे में महसूस करते हैं कि ठीक काम नहीं कर रहे हैं अथवा जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उनको फील्ड ड्यूटी से विथड्रा करलें। जिलाधीशों ने अपने स्टाफ, जिनके बारे में वह महसूस करते थे कि काम ठीक नहीं करते, उनको फील्ड ड्यूटी से विथड्रा कर लिया और राज्य सरकार को लिख दिया और राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि वह जिस डिपार्टमेंट से आये हैं वहां वापिस भेज दिये जायें...

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : काम ठीक नहीं था इन्टीग्रिटी डाउटफुल हो ?

श्री शिवचरण माथुर : दोनों ही बातें थीं। काम ठीक नहीं हो या इन्टीग्रिटी के बारे में शक हो, ऐसे लोगों को जिनके बारे में जिलाधीशों की यह राय हो कि काम ठीक नहीं करते अथवा जिनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल हो उनको पैरेंट डिपार्टमेंट में भेजने का निर्णय लिया गया। उसके बाद में यह अफेक्टेड लोग आकर मिले और कहा कि बिना किसी जांच किये आप हमारे खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, यह तो सही नहीं है, आप हमारे खिलाफ जांच करवा लीजिए और हमें भी सुन लीजिये, उसके बाद अगर आप महसूस करें कि हमारे खिलाफ कार्यवाही करना उचित है तो कर दीजिये। इस पर यह निर्णय किया गया कि पहले वाला आदेश स्टे किया जाये और एक-एक व्यक्ति की इन्डीवीज्युअल जांच करवाने के बाद ही एक्शन लिया जाये, फिर या तो उनको पैरेन्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाये अथवा अगर गम्भीर आरोप हैं तो उनके खिलाफ और भी कार्यवाही की जाये। इस वजह से इस आदेश को स्थगित किया गया और अब अलग-अलग आदमियों के खिलाफ इन्डीवीज्युअल जांच हो रही है और जांच के बाद जो भी स्थिति बनी, आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : किस किस के खिलाफ आरोप हैं, और क्या क्या आरोप हैं और आदेश को स्थगित करने में किसका इन्टरवेन्शन था ? इसका स्पेसिफिक उत्तर दें।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं आपको स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूं। मेरे निवास स्थान पर फूड और सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट की स्थिति सुधारने के बारे में एक मीटिंग हुई थी वहां इस बात पर विचार विमर्श हुआ और उसमें यह तय किया गया कि सिविल सप्लाइज को स्ट्रीम लाइन करने के लिये कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि काम ठीक नहीं चल रहा है। तो कुछ सजेशन्स यह आये कि कुछ लोगों को बदलना चाहिये ताकि ठीक लोग आ जायें। उसके बाद कुछ लोगों को फील्ड ड्यूटी से हटाने के आर्डर्स दिये गये जिनके बारे में पब्लिक की शिकायतें थीं अथवा जिनका काम ठीक नहीं था। उस वक्त इतना समय नहीं था कि हरेक के खिलाफ इन्डीवीज्युअल जांच करवाई जा सके, इसलिये यही आदेश दिया गया कि

Page No 16

(16)

(श्री हरिदेव जोशी)

उनको फील्ड ड्यूटी से हटा दिया जाये और ए.डी डी ओ. को डी.एस ओ. का काम सौंप दिया जाये और मीनव्हाइल उन लोगों से दूसरी ड्यूटीज ली जाती रहे। फिर यह सवाल आया कि इन लोगों को हटा तो लिया है, अब इन लोगों को उनके पेरेन्ट डिपार्टमेंट भेजा जाये अथवा और कुछ किया जाये। कुछ प्रशासनिक चीजें ऐसी हैं, कहीं कहीं ऐसी बात आ जाती है कि कुछ लोगों के खिलाफ न तो चार्ज शीट देकर ऐक्शन लिया जा सकता है, और न कुछ किया जा सकता है ऐसी हालत में ट्रान्सफर ही करना पड़ता है। इसलिये प्रशासनिक डिफिकल्टीज होने के कारण वह करना मुश्किल हो जाता है। अब वह लोग आकर हमसे मिले और यह कहा कि हमारे खिलाफ कोई शिकायत तो बताएं, अगर किसी पब्लिक के आदमी ने शिकायत की हो, किसी कलेक्टर साहब की शिकायत हो तो आप हमें बताएं। अब यह सारी स्थिति गवर्नमेंट के समक्ष है और विदिन ए मन्थ्स टाइम इसका फैसला हो जायेगा कि क्या किया जाये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिस व्यक्ति को कलेक्टर की शिकायत से हटा दिया गया, उसको भी आपने एक मन्थ के बाद ले लिया, यह इसमें है।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे सुन लीजिये और फिर आप उत्तर दे दीजिये। जिस अधिकारी के बारे में जिलाधीश ने आपको लिखा है कि इसकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है, करप्ट है, तो ऐसे लोगों को आरोपों की जांच करने के बाद वापिस आपने एन्फोर्समेंट आफिसर अथवा इन्सपेक्टर ले लिया है, सदन के पटल पर आपने यह सूची दी है।

श्री हरिदेव जोशी : जिन लोगों के खिलाफ स्पेसीफिक एलीगेशन्स हैं उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से डिसीप्लीनरी ऐक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जिनके बारे में वेग चार्जेज हैं, उनको फील्ड ड्यूटी से हटा दिया गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी यह दो लिस्ट्स हैं 23 और 24 जुलाई की जिसके द्वारा आपने 23 इन्सपेक्टर्स को उनके पेरेन्ट डिपार्टमेंट को रिवर्ट कर दिया। उसी दिन 16 व्यक्ति जो एन्फोर्समेंट आफिसर्स या इन्सपेक्टर्स थे उनको आपने यह आर्डर्स दिये कि :

"The services of following temporary Enforcement Inspectors, filled against temporary appointments, are hereby terminated as their services are no longer required. They shall, however, be paid one month's salary as per rules."

यह दोनों ही आज्ञाएं आपने प्रसारित कीं और आपने खाद्य विभाग के डी.एस. ओज के आफिसेज जो भ्रष्टाचार और करप्शन के अड्डे बने हुए हैं ऐसी जनता की मान्यता है, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिये और करप्शन को एराडीकेट करने के लिये आपने यह आदेश निकाले। सर्विस रूल्स के अन्दर जो व्यक्ति डेपूटेशन पर होता है, उसका कोई राइट नहीं होता कि वह उसी डिपार्टमेंट में

(श्री गुमानमल लोढा)

ही रहे। सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट में ही वह व्यक्ति रहे ऐसी कोई चीज नहीं। आपने उनके खिलाफ कोई डिसीप्लीनरी ऐक्शन तो लिया नहीं, केवल पैरेन्ट डिपार्टमेंट में वापिस भेजा, उसको रिवर्ट कर दिया। तब उन लोगों का यह इनसिस्टेन्स कि हम तो सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट में ही रहेंगे और चीनी, सीमेंट, पैट्रोल और दूसरी चीजों की जो कोटा होती है, उन्हीं की डिस्ट्रीब्युशन का ही काम करेंगे, यह उनका इनसिस्टेन्स अपने आप में सस्पेक्ट है। और इसमें आपने इन्टर-फीयरन्स करके, वायरलैस के द्वारा ऑर्डर्स को विथड्रा कराया, मैं जानना चाहता हूं ऐसी कौनसी नेशनल एमरजेन्सी थी, कौनसी हिन्दुस्तान पाकिस्तान वार आ गई जो आपको ऐसा करना पड़ा? कोई यह कहे कि हम तो इसी ही डिपार्टमेंट में रहेंगे और इसी में ही हमको हलवा मिलता है, अजीब सी बात है। अगर कोई डिसीप्लीनरी ऐक्शन की बात होती तब तो यह ठीक ही है कि उनके खिलाफ इन्क्वायरी भी जरूरी है और शो काज नोटिस भी जरूरी है। लेकिन यहां तो केवल उनको पैरेन्ट डिपार्टमेंट में भेजने की बात थी। कलेक्टर्स ने लिख दिया कि इन्टी-ग्रिटी डाउटफुल है, और आपने फरवरी में कान्फरेन्स की, उसके बाद जुलाई 74 में यह आदेश निकलते हैं। यानी कलेक्टर्स ने एन्क्वायरी कर ली और उसके बाद जुलाई 74 में फूड मिनिस्टर ने आदेश दिये। उसके बाद मुख्य मंत्री ने इन भ्रष्टाचारी लोगों को बहाल रखने के आदेश दिये। यह बहुत बड़ा स्कैन्डल राजस्थान सरकार के लिये है और आप कहते हैं कि प्रशासनिक कारणों से ऐसा किया गया। प्रशासनिक कारण कहां से आये? मुख्य मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा स्कैन्डल है। आपको अपनी आज्ञा का एन्फोर्समेंट करना चाहिये था और उन लोगों का यह इनसिस्टेन्स सही नहीं है कि हम तो खाद्य विभाग में ही रहेंगे। इसलिए इसके अन्दर जितने भी लोग हैं, 16 लोग हैं। कुल 23 में मैं दूसरे व्यक्तियों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं संसदीय परम्पराओं के बारे में कहना चाहता हूं। जो सम्बन्धित लोग हैं, उनको आपने डेपुटेशन के नाम पर पहले तो वापिस भेज दिया। उसके बाद आपने निमन्त्रण पत्र भेजे कि सप्लाई कोटा, परमिट आप ही बांटेंगे। यह दबाव में आकर आपने किया या क्या कारण था।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य, शायद मुझे फालो कर नहीं पाये हैं। जहां तक मुझे याद है, वहां पर खाद्यमन्त्री जी थे भी नहीं। फैसला भी स्नैप लिया गया था। एकदम एक्यूट, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। जिसको सम्भालना जरूरी था। उस समय कलेक्टर से टेलीफोन से पूछ कर यह कहा था कि हम तुरन्त किस प्रकार से कर सकते हैं। जो टेम्पेरेरी थे, उनको तो सर्विस से वह किया गया। क्योंकि उनके लिए राज्य सरकार अधिकृत थी। वह कर सकती थी। लेकिन जो डेपूटेशन पर आये थे, उनको रोका गया है। इसमें कई कम्प्लीकेशन्स थे। क्योंकि गवर्नमेण्ट रूल्स के अनुसार उनको नोटिस देना चाहिए था। फिर उनके डेपूटे-शन पर डेपूटेशन आये। तो ऐसा लगा कि इस स्नेप के अन्दर कोई न कोई गलती हुई है। उनमें कई ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किये थे। ऐसे निर्दोष व्यक्ति उनमें भी

(श्री हरिदेव जोशी)
थे। उनमें ऐसे भी थे जिन्होंने जो मौका के अन्दर पकड़ा गया।

एक माननीय सदस्य : हनुमान सहाय।

श्री हरिदेव जोशी : जिन्होंने हनुमान सहाय को पकड़ा था। उसको भी हम यह कह कर देते तो यह बहुत सख्ती हो जाती। जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिनको इनाम दिये जाने चाहिए थे। उनको भी हम वह करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं ऐसे भ्रष्ट का नाम भी नहीं ले सकता, जिसको आपने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर बना दिया। जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे।

श्री हरिदेव जोशी : इनफोर्समेण्ट इन्सपैक्टर बना दिया। मैं तो नाम नहीं ले रहा था। नाम आपने बताया है। नाम आपने बता ही दिया है। आप विराजिये तो मैं कहूं।

यहां पर इश्यू यह आया है कि गवर्नमेण्ट ने ऑर्डर दिया रिवर्ट करने का और स्टे करने का। तो सर्विस टर्मिनेट करने का ऑर्डर इसलिए दिया कि उस समय यह महसूस किया जा रहा था। इन्सपैक्टर टेम्परेरी लगाये गये हैं। उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। जो टेम्परेरी थे उनको उस समय वह कर दिया गया। जहां तक परमानेण्ट व्यक्तियों की बात है। उनकी लम्बी सर्विसेज थीं। क्योंकि उनके पैरेण्ट डिपार्टमेण्ट को भेजा जाये तो जो उनकी सीनयरिटी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लीकेशन्स पैदा होते हैं। जिन्होंने मैरीटोरियस काम किये हैं। उनके साथ भी वह किया जाय। इसीलिए यह तय किया गया था।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ! श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : 289

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसका क्या क्लेरीफिकेशन है।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरी सुन लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं जो निवेदन कर रहा हूं...

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हम लोगों के प्रश्न रह जायेंगे। आप पोस्टपोन कराने में इन्टेरस्टेड हैं क्या ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : 24 जुलाई के ऑर्डर में ये नाम लिखे हैं, नरेन्द्र कुमार, सोनाराम, कस्तूरचन्द, आप कहते हैं। यह आपकी इन्फारमेशन है। 16 आदमी हैं, वह सर्विसेज में नहीं हैं। 23,24 के ऑर्डर में जो नाम हैं। जो हटाये गये हैं। रामनिवास, बाबूलाल, गुलाबसिंह हैं। रूल 23 में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। आपने वापस से स्टे किया है। अब तक सर्विस में रहे हैं।

श्री मीठालाल : मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने कई लोगों को पकड़ने में अच्छा काम किया है।

Page No 19

एक माननीय सदस्य : यह तो लम्बा ही होता जा रहा है।

श्री मीठालाल : जिलाधीश जयपुर ने सिफारिश की थी। हुआ यह कि जयपुर से निकाल कर उधर भेज दिये गये हैं। ऐसे इन्फोर्समेण्ट इन्सपैक्टर जिनकी वात की जायेगी।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं। कलेक्टर जयपुर ने यह कहा है। मैं कह रहा हूं। गवर्नमेंट आर्डर के बाद कलेक्टर जयपुर हमारे पास आये उन्होंने कहा कि हमारा निजी अनुभव है, इसमें ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ह्यूमिलिएट नहीं किया है। जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। जिनकी व्यापारियों ने भी कहीं भी कोई शिकायत नहीं की है। ऐसों को गवर्नमेण्ट ने रीइन्सटेट किया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न रह जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : शंकरलाल।

श्री हरिदेव जोशी : समय पर रिप्रेजेण्टेशन आये हैं। आपर कार्यवाही की गई है।

श्री गुमानमल लोढा : आपका आर्डर वायरलैस से गया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह रहा हूं। आर्डर भेजा है। री इन्स्टेट किया है। अगर कोई वात है तो मैं हर वक्त तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4–3–75)

पाली जिले के अभावग्रस्त ग्राम

289. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले के कुल कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं और कितने गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं ?

(2) जिन गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किये हैं उनके लिये अभावग्रस्त घोषित नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पाली जिलाधीश ने जिन गांवों को राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित नहीं किये हैं उनको अभावग्रस्त करने हेतु गांव के लिये चाही गई जानकारी राज्य सरकार को प्रेषित कर दी ? यदि हां, तो पाली जिलाधीश द्वारा यह जानकारी कब प्रेषित की गई और इन गांवों को अभी तक अभावग्रस्त घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) अब इन गांवों को कब तक अभावग्रस्त घोषित कर दिया जायेगा ?

राज्य मन्त्री राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध फेमिन डिपार्टमेण्ट से सम्बन्धित हैं। यह हमारे डिपार्टमेण्ट में गलती से भेज दिया गया है।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, असेम्बली सैक्रेटेरियेट को सूचित कर दिया। असेम्बली सैक्रेटेरियेट को वहां मार्क करना चाहिए। मुझे मार्क किया गया है। यह असेम्बली सैक्रेटेरियेट की गलती थी।

श्री भानुकुमार शास्त्री: यह सत्र समाप्त होने जा रहा है। प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सैक्रेटेरियेट की गलती सदन के प्रांगण पर नहीं आनी चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : उनके पास यह कब पहुंचा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सैक्रेटेरियेट की गलती का प्रश्न सदन के प्रांगण पर आये नहीं। यहां रिकार्ड पर आना नहीं चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : He should have intimated the Secretariat first.

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं। हर एक पर बोलना जरूरी नहीं रहता। मैं निवेदन करता हूं, माननीय अकाल राहत मंत्री को, नेक्स्ट टर्न आवे, उसी रूप में ले लेना चाहिए, वैसे कभी भी ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह संधु।

श्री मीठालाल : इसके साथ 691 को भी ले लें।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-75)

सरदारगढ़ ग्राम में पाकिस्तानी एजेन्ट

375. **श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव सरदारगढ़, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर में स्मगलरों और पाकिस्तानी एजेन्टों का अड्डा है और बहुत से पाकिस्तानियों ने उसके आस-पास कृषि भूमि खरीद रखी है ? जैसे 7 एस पी डी, 1 के एस आर आदि जगहों पर।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तस्करों का राजस्थान का पुलिस के बहुत से अधिकारियों के साथ गठ जोड़ है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री गुलाम अली पुत्र श्री शाह मुहम्मद सादेका जो सरदारगढ़ में रहता है वह पाकिस्तानी है तथा निजाम जो सरदारगढ़ में रह रहा है उसने 1960 में पाकिस्तान से आकर भारतीय होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है और इसी तरह अल्लादिता, मरीदा व मन्जूर आदि पाकिस्तानी भी सरदारगढ़ में रह रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि मन्जूर व मरीदा का चाचा जो मर चुका है और उसकी औरत जो पाकिस्तान चली गई है के स्थान पर एक पाक बन्दी की औरत ने मन्जूर व मरीदा के चाचा की भूमि पर कब्जा कर रखा है।

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

(5) क्या राज्य सरकार उपरोक्त मामलों की जांच सी. बी. आई. द्वारा करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। श्री गुलाम अली और श्री निजाम भारतीय हैं। श्री अल्लादित्ता पाक नागरिक है जो इस समय नजरबन्द है। श्री मरीदा व श्री मन्जूर भारतीय नागरिक हैं और क्रमशः ग्राम हसलिया तथा चक नं. 1 के. एस. आर. तहसील सूरतगढ़ में रहते हैं।

(4) मन्जूर व मरीदा के मामा जलाल के पास ग्राम सूई में 60 बीघा के करीब खेती की भूमि थी, उक्त जलाल मर चुका है और उसकी पत्नी पाकिस्तान जा चुकी है अथवा नहीं—इसकी सम्पुष्टि नहीं हो सकी है। जलाल की जमीन मन्जूर व मरीदा के कब्जे में है। श्री जलाल की पुत्री श्रीमती हुतेजा जो पाक नागरिक है वह मन्जूर के साथ रह रही है और उसके खिलाफ फारिनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा अदालत में चल रहा है।

(5) जी नहीं, आवश्यकता नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या यह सही है कि वह मरीदा और चाची जहां पर रह रही है, वह एक पाक बन्दी था, उसकी वाइफ है, वहां पर रह रही है और चाची बन कर उसने चाचा की जमीन पर कब्जा कर रखा है ? क्या यह भी सही है कि गुलाम और""

श्री रामगोपाल : चाचा ने चाची की बात अच्छी कही।

श्री गुरदयालसिंह संधु : गुलाब और निजाम दोनों पाक नागरिक हैं, पाकिस्तान से आये हुए हैं और एक बहुत बड़े राजनेता की मदद से इनको भारतीय नागरिक बनाया गया है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेश जोशी) : यह प्रश्न पहले आया था, जो उत्तर आया था उससे मुझे संतोष नहीं था। इसलिए मैंने स्थगित करवाया था। मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि भारतीय नागरिकता का प्रश्न है। माननीय सदस्य के पास और सूचना है, हमारे पास तो सरकारी अधिकारियों से इत्तिला आ गई है, यह है, इससे अधिक सूचना नहीं। माननीय सदस्य सूचना दे दें, उस रूप में दें तो मैं उसकी जानकारी करा लूंगा।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं आपको सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल पाली का प्रश्न था उसके सम्बन्ध में जानकारी मिली है, जितनी जानकारी कर सका हूं, उसके अनुसार 19 तारीख को सूचना परसों आयी है कि दूसरे विभाग से सम्बन्धित है। उसके पहले छपने को सवालात जा चुके थे। वैसे प्रैक्टिस यह रही है कि मिनिस्टर दूसरे विभाग को भेज देते हैं सवालात। आमतौर पर यह प्रैक्टिस रही है कि किसी महकमे में भेज देते हैं तो दूसरे को वह भेज देते हैं।

श्री मीठालाल : आपकी गलती है, सचिवालय की नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटेरियट को 19-2-75 को चिट्ठी लिखी थी। 19-3-75 मैं नहीं कह रहा हूं। अब प्रश्न छप गये होंगे, लेकिन मैंने एक महीने पहले लिखा था। इस प्रश्न का सम्बन्ध मेरे विभाग से नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : और फरदर जानकारी कर लूंगा !

नेक्स्ट ! श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 13-3-75)

सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा

450. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (गांधीनगर, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) गत 3 वर्षों में कितने सरकारी अधिकारी विभिन्न देशों की यात्रा हेतु विदेश भेजे गये तथा उन प्रत्येक पर कितना कितना राज्य तथा केन्द्र सरकारों ने खर्चा किया ?

(2) विदेशों से वापिस आकर उपरोक्त अधिकारियों ने किस किस विभाग में कार्य किया तथा जिस समय उनको विदेश के लिए उपयुक्त समझ कर चुना गया उस समय वे किन पदों पर कार्य कर रहे थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) अगले वित वर्ष में से किन किन अधिकारियों के विदेश भेजने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा वे किस किस देश की यात्रा करेंगे ?

(4) कृपया ऐसे अधिकारियों के नाम व पद बताने का कष्ट करें जो विदेश से आने के पश्चात् एक ही वर्ष में सेवा निवृत्त हो गये ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) गत तीन वर्षों में कुल 71 अधिकारी विभिन्न देशों की यात्रा हेतु विदेशों में भेजे गये। सूची (परिशिष्ट 1) संलग्न है जो सदन की मेज पर रखवा दी गई है। इन अधिकारियों द्वारा की गई यात्राओं पर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा किये गये खर्च का विवरण जो उपलब्ध हो सका है, परिशिष्ट 1 के कालम 5 में अंकित है।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची (परिशिष्ट 1) के कालम 2 व 4 में अंकित है।

(3) सूची (परिशिष्ट 2) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) ऐसे केवल एक अधिकारी हैं जिनका नाम श्री नारायण सिन्हा है। ये पर्यटन विभाग में निदेशक के पद पर थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री महोदय, पहला प्रश्न तो मैंने पूछा था, मंत्री महोदय

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

विदेश जाने वाले हमारे अधिकारियों के ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ, कितना आर्थिक भार वहन करना पड़ा ? जवाब है, 71 लोगों में से 19 लोगों के आंकड़े हैं। 19 के ही आंकड़े क्यों है, 52 लोगों के अभी भी फीगर्स कलेक्ट क्यों नहीं किये हैं कि कितना रुपया खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उस दिन आपने व्यवस्था दी थी, चन्दनमल वैद, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, मेरे से सम्बन्धित अन्य विभाग की जानकारी नहीं है। इसलिए इसको स्थगित किया था। लेकिन आज भी फिगर्स कलेक्ट नहीं कर पाये हैं। जयपुर के ही लोग हैं, उनसे, कितना रुपया विदेश यात्रा पर खर्च हुआ, यह जानकारी नहीं कर पाये हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात यह है जिन अधिकारियों को जिस पर्पज के लिए भेजा गया, टाउन प्लानिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो क्या लौट कर आने के बाद वह टाउन प्लानिंग में काम करें–यह व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्री महोदय स्पष्ट जवाब दें कई अधिकारियों को स्पेसिफिकली जिस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, क्या राज्य सरकार उस ट्रेनिंग का उपयोग कर रही है ? निश्चित तौर पर इसका मंत्री महोदय जवाब दें।

इसके अलावा एक अधिकारी का नाम बताया, नारायण सिन्हा। यह एक साल के बाद रिटायर हो गये। मैंने प्रश्न किया था कि आने के बाद एक ही वर्ष में सेवा निवृत्त हो गये। आप स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि एक साल के बाद रिटायर हो गये। सरकार को चाहिए कि अगर कोई ऐसे अधिकारी हों, जिनका साल डेढ़ साल का पीरियड रिटायर होने में बाकी है तो उनको विदेश नहीं भेजा जाय। ऐसे अधिकारी विदेश सैर सपाटा करने जाते हैं और उसमें आर्थिक व्यय हो रहा है वह भारत सरकार का या राजस्थान सरकार का उपयोग में लाया जा रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : सूचना नहीं देने का प्रश्न नहीं है। जो अधिकारी विदेश जाते हैं वह राजस्थान गवर्नमेंट की लागत पर ही नहीं जाते हैं दूसरी एजेंसी की लागत पर भी जाते हैं, भारत सरकार की लागत पर, दूसरे फोर्ड फाउन्डेशन हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसके अनुसार जाते हैं। इस कारण सूचना को कलेक्ट कर पाना सम्भव नहीं हुआ है।

यह बात सही है कि जब जो जाय उनकी सेवा का उपयोग होना चाहिए। लेकिन आज वक्त ट्रेनिंग जनरल नेचर की होती है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग का, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं, उपयोग होना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिटर्न होने के बाद क्या सेवा लेंगे ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जो अधिकारी जिस पर्पज के लिए भेजे गये, उसमें उनका उपयोग होना चाहिए। तीन नामों के बारे में बताने की कृपा करें, आर के सिन्हा, नारायण सिन्हा और विनय व्यास। यह टाउन प्लानिंग के लिए भेजे गये थे, लेकिन या तो गवर्नमेंट सेक्रेटेरियेट में लगे हुए हैं या आयुक्त क्षेत्रीय विकास में लगे हुए हैं। उनका टाउन प्लानिंग में उपयोग नहीं हो रहा है। जो उनका उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

श्री जयकिशन लाल सोलावड़ा : इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है . . .

Page No 24

(24)

श्री हरिदेव जोशी : मैं इतना काबिल नहीं हूं कि सबका एकसाथ ध्यान रख कर जवाब दूं। मेरी मदद करेंगे आप•••

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह एक्सप्रेशन प्रेस के लिए नहीं होना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मेरा निवेदन यह है कि आई.ए.एस. सर्विस में बाज मर्तबा यह दिक्कत आती है। हम यह भी महसूस करते हैं कि आई. ए. एस. आफिसर्स को हम ट्रेनिंग के लिये भेजते हैं और गवर्नमेंट आफ इण्डिया उनको डेपुटेशन पर बुला लेती है। मगर एक बात है कि ऐसे मौके कम आवें और हम भी बाई एण्ड लार्ज यह प्रयत्न करते हैं कि जो आफिसर्स ट्रेनिंग करके आवें उनको रिटेन किया जावें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मुख्य मन्त्रीजी, वह अधिकारी भविष्य में इस बात का खयाल रखेंगे कि क्या राज्य सरकार चार-पांच साल की जिसकी सर्विस होगी उसी को भेजा जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : नारायण सिन्हा को पता था कि उनकी एक साल की सर्विस रह गई है, तो मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि वह सरकार के खर्चे पर गये थे या स्वयं के खर्चे पर गये थे।

श्री हरिदेव जोशी : श्री नारायण सिन्हा को एक एजेन्सी ने इन्वाइट किया था और उसके इन्वीटेशन पर वे वहां गए थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

राजकीय सचिवालय में शीघ्रलिपिकों की पूर्ति

678. **श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सचिवालय में शीघ्रलिपिकों की कमी पूर्ति हेतु सन् 1962 से 15-9-72 तक कितनी बार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई? वर्षवार परीक्षा के परिणामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जब राज्य सरकार को अपनी आवश्यकतानुसार शीघ्र-लिपिक उपलब्ध नहीं हुए तो कार्मिक (ख-1) विभाग द्वारा राज्य हित को देखते हुये सचिवालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों/वरिष्ठ लिपिकों की शीघ्रलिपि में विभागीय परीक्षा लेकर उत्तीर्ण कर्मचारियों को अस्थाई रूप से शीघ्रलिपिक पद पर समय-समय पर नियुक्त किया गया? यदि हां, तो इस प्रकार आयोजित परीक्षा के परिणामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि सचिवालय में स्टेनोटाईपिस्टों के दो-तीन पद ही सृजित हैं परन्तु अस्थाई रूप से नियुक्त शीघ्रलिपिकों को आर्थिक लाभ देने हेतु उन्हें स्टेनोटाईपिस्ट के नाम से री-डेजीग्नेट कर 25/- रुपया प्रति माह का विशेष वेतन स्वीकृत किया गया और अब उन्हें इस लाभ से वंचित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण व वेतन निर्धारण हेतु शीघ्रलिपिक पद पर कार्य करने हेतु बिना शर्त के दिनांक 25-2-75 तक विकल्प

(श्री सज्जनसिंह) मांगा गया था ? क्या विभाग ने उपरोक्त कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता सूची बनाई है और क्या कर्मचारियों को वेतन निर्धारण में आर्थिक हानि होती है ? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची एवं आर्थिक हानि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि सचिवालय के वरिष्ठ शीघ्रलिपिकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर राजस्थान सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल सर्विस रूल्स के नियम 26-ए का लाभ दिया जाता है ? और क्या लेखालिपिकों को लेखापाल के पद पर पदोन्नत कर उनके द्वारा पाई गई 10/- रुपये विशेष वेतन को उनके मूल वेतन में शामिल कर उक्त 26-ए नियम का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो अस्थाई रूप से कार्य कर रहे शीघ्रलिपिक/स्टेनोटाईपिस्टों को यह लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(6) राजस्थान सेक्रेटेरियट मिनिस्ट्रीयल सर्विस रूल्स, 1970 में नियम 5 में परन्तुक 5-ए के जोड़े जाने के पूर्व व बाद की अस्थाई शीघ्रलिपिकों की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 678 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि से आय

409. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान प्रदेश में कृषि से सन् 72-73 एवं सन् 73-74 में कितनी आय हुई ? अलग अलग वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त आय प्रदेश की कुल आय की कितने प्रतिशत थी ?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि से 1972-73 व 1973-74 में आंकी गई शुद्ध आय के वर्ष वार अनुमानित आंकड़ों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त आय प्रदेश की कुल आय की प्रतिशत स्थिति इस प्रकार है:—

	1972-73	1973-74
प्रचलित मूल्यों के आधार पर	38.01%	45.51%
स्थिर मूल्यों (1954-55) मूल्यों के आधार पर	21.81%	25.08%

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)

जैतसर सरकारी फार्म

401. श्री गुरदयालसिंह संधू (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैतसर सरकारी फार्म पर क्या व्यय व आय होती है ? इसमें पिछले

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
पांच वर्षों से क्या मुनाफा हो रहा है ? सरकार इस फार्म को नहरी पानी प्रति हजार एकड़ पर क्या दे रही है और पानी किस प्रतिशत इंटेनसिटी से दिया जा रहा है ?

(2) आय व व्यय का पिछले पांच साल का पूरा ब्योरा दिया जावे ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार के बीज गुणन फार्म जैतसर के पिछले पांच वर्ष की आय, व्यय तथा लाभ के आंकड़ों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। नहरी पानी गंग नहर से प्रति हजार एकड़ पर 2.5 क्यूसेक से दिया जा रहा है तथा पानी की इंटेनसिटी 1974–75 में 95.00 प्रतिशत है।

(2) वांछित सूचना उपरोक्त तालिका में दर्शा दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखिये)

कुक्कुट पालन केन्द्र, टौंक

402. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुक्कुट पालन केन्द्र टौंक में कितना दाना तैयार होता है ?

(2) दाने का क्या भाव है ? क्या दाने पर साढ़े सात प्रतिशत से टैक्स लगता है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रथम स्टेज पर टैक्स वसूल हो जाता है ? यदि हां, तो क्या दाने को सस्ता करने हेतु विभाग साढ़े सात प्रतिशत टैक्स माफ कराने हेतु कार्यवाही करना उचित समझता है ?

(4) वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है उसमें से टौंक कुक्कुट केन्द्र को दाना सस्ता करने हेतु क्यों नहीं दिया जाता ?

(5) क्या सरकार के पास यह रिपोर्ट है कि कुक्कुट पालन दाना महंगा हो जाने के कारण घाटे में जा रहा है ?

उत्तर

(1) कुक्कुट पालन केन्द्र पर दाना तैयार नहीं होता। सघन कुक्कुट विकास खण्ड, टौंक में लगभग 500 क्विन्टल दाना प्रति वर्ष तैयार होता है।

(2) दाने का भाव लगभग 100) रु. प्रति क्विन्टल होता है। दाने पर 7 प्रतिशत की दर से सैल्स टैक्स लगता है।

(3) मुर्गी आहार बनाने में (काम में आने वाली सभी चीजों पर) प्रथम स्टेज में टैक्स नहीं लिया जाता। राज्य सरकार के अंतिम निर्णय के अनुसार सैल्स टैक्स लिया जाना अनिवार्य है।

(4) टौंक खण्ड विश्व खाद्य मक्का कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता है।

(5) ऐसी राज्य सरकार के पास कोई रिपोर्ट नही है कि कुक्कुट पालन घाटे पर

Page No 27

(27)

(पशु पालन मंत्री)

जा रहा है (परन्तु मंहगाई के कारण लाभांश कम हो गया है)।

ग्राम पट्टी (बामनवास) स्थित श्री नरसिंहजी महाराज का मंदिर

403. श्री मोठालाल (लालसोट) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सच है कि ग्राम पट्टी कलां बामनवास जिला सवाई माधोपुर स्थित माफी मन्दिर श्री नरसिंह जी महाराज डूंगरी की सेवा पूजा अनुदान गत आठ वर्षों से मन्दिर को प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे मन्दिर की सेवा पूजा व साफ सफा व अन्य कार्यों में भारी रुकावट आ रही है ? ई यदि हां, तो क्यों तथा अनुदान देना कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

उक्त मंदिर के पुजारी श्री नृसिंहदासजी का स्वर्गवास होने के कारण उनका उत्तराधिकारी का निर्णय दिनांक 20-12-74 को हुआ है। आशा है अब उनका वार्षिकी का भुगतान शीघ्र हो जायेगा।

आदर्शनगर (जयपुर) में फ्रन्टियर फुटबाल क्लब

404. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार घनी बस्तियों के बीच खेल के मैदान छोड़ने के पक्ष में है ?

(2) क्या यह सही है कि फिर भी पुनर्वास विभाग आदर्शनगर बस्ती जयपुर में मिले फ्रंटियर फुटबाल क्लब के एक मात्र मैदान को बेचना चाहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त फुटबाल मैदान का कुल रकबा कितना है ? इसे नगर विकास न्यास ने अस्थायी तौर पर किस वर्ष में संस्था को दिया था ? उस वक्त इसका क्या प्रति गज आवंटन मूल्य था ?

(4) क्या यह सही है कि इस मैदान को बेचने से बचाने के लिये मुख्य मंत्री जी ने स्थगन आदेश दिये थे ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने स्थगन आदेशों को निरस्त नहीं किया है ? यदि हां, तो पुनर्वास विभाग इस मैदान को आये दिन किस प्रकार छेड़ता है ?

उत्तर

(1) जी हां। जहां सरकार मुनासिब समझे।

(2) जी हां।

इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पुनर्वास विभाग द्वारा भगतसिंह पार्क की विकास योजना के अन्तर्गत फुटबाल का मैदान भी बनाया जायेगा और जो इस स्थान से करीब दो फर्लांग दूरी पर है।

इसके अलावा यह जमीन बहुमूल्य है और यह आबादी क्षेत्र में रखी गई है तथा जैसी मैदान की वर्तमान स्थिति है उसके माफिक फुटबाल मैदान पूर्व/पश्चिम दिशा में नहीं रखा जा सकता है।

Page No 28

(28)

(पुनर्वास मंत्री)

(3) कुल रकवा 12,600 वर्गगज है। इस मैदान को फुटवाल खेल के प्रयोग में लाने हेतु न्यास के तत्कालीन सचिव द्वारा सन् 1964 में आरजी तरियां इजाजत दी गई थी। उस समय फतेह टीबा योजना की रिजर्व प्राईस 10 रु. प्रतिवर्ग गज थी।

(4) जी हां, स्थगन आदेश दिये हैं। पुनर्विचार वास्ते।

(5) जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

अकलेरा तहसील के अन्तर्गत काश्त योग्य वन भूमि

405. श्री भेरूलाल (अकलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा तहसील चेत्र के पटवार सर्किल बैरागढ–भालता–मिश्रोली टोडरी–जगन्नाथ गरवोल्या–बांसखेड़ी–मेवातियाना–वोरखेडी–गूजरान–बनेठ और गेहूंखेड़ी आदि में कृषि योग्य काफी तादाद की भूमि इस वक्त वन विभाग के अधिकार में है ? यदि हां, तो कितना कितना रकबा किस किस पटवार सर्किल में हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सच है कि वन विभाग को उक्त भूमि से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को काश्त करने हेतु अकलेरा तहसील के काफी भूमिहीन कृषकों ने तहसील अथवा परगना अधिकारी अथवा जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं ?

(4) क्या यह भी सच है कि वन विभाग के अधिकारी की उक्त भूमि को राजस्व में परिवर्तन किये जाने हेतु गठित समिति को समय समय पर भूमिहीन कृषकों द्वारा अथवा तहसील द्वारा अवगतार्थ पत्र दिये किन्तु समिति ने आज तक इस ओर ध्यान देकर कोई उचित निर्णय नहीं लिया? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस भूमि को वन विभाग से राजस्व में लिये जाने हेतु शीघ्र ही निर्णय देने का गठित समिति को आदेश प्रदान कर भूमिहीन कृषकों को आवंटित कराये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) भूमि के काश्त करने हेतु अकलेरा तहसील में कोई प्रा. पत्र प्राप्त नहीं हुए, परगना अधिकारी कार्यालय में 55 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं तथा जिलाधीश कार्यालय में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(4) वन विभाग की भूमि को राजस्व में परिवर्तन करने के लिये जिला स्तर कमेटी से तब ही निर्णय लिये जाते हैं जब इस सम्बन्ध में प्रस्ताव नियमानुसार तहसील

(राजस्व मंत्री)
स्तर कमेटी द्वारा रेफर किये जावें। तहसील स्तर कमेटी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से विचार नहीं किया जा सका। अतः राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

तहसील प्रतापगढ़ के किसानों को पास बुकों का वितरण

406. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चितौडगढ़ तहसील प्रतापगढ़ में कुल कितने खातेदार किसान है? इनमें से कितने किसानों को पास बुकें दी जा चुकी है?

(2) क्या यह सही हैं कि पास बुकें किसानों को नहीं मिलने से काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं? यदि हां, तो बाकी खातेदारों को कब तक पास बुकें वितरित कर दी जायेंगी?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ में कुल खातेदार किसानों की संख्या 33485 है। इनमें से 20108 किसानों को पास बुकें दी जा चुकी हैं।

(2) जी हां। शेष खातेदारों को माह जून, 1975 तक पास बुकें वितरित किये जाने का प्रयास किया जावेगा।

जयपुर जिले में मोअत्तिल पटवारी

407. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कब से कौन कौन पटवारी मोअत्तिल हैं? मय कारणों के सूची सदन की मेज पर रखी जावे?

(2) क्या यह सच है कि 3–3 वर्ष समाप्त होने पर भी जांच पूर्ण नहीं की गई? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर 6 महीने से अधिक मोअत्तिल रखे गये हैं?

(3) क्या यह सच है कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को इतनी लम्बी अवधि तक मोअत्तिल रखना सरकार एवं कर्मचारी के हित में नहीं है? यदि हां, तो उक्त मामलों में कब तक अंतिम निर्णय किये जाने का विचार है?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 42 पटवारी निलम्बित हैं जिनकी सूची कारणों सहित संलग्न है।

(2) यह सही है कि कुछ मामलों में 6 मास से अधिक समय हो जाने पर भी जांच पूरी नहीं हो पायी है लेकिन विलम्ब उन्हीं मामलों में होता है जिनमें पटवारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं। जैसे धनराशि का अपहरण, रिकार्ड में हेर-फेर करना एवं गलत आवंटन एवं गलत तरीके से नियमन कराना आदि। फिर भी 6 मास बाद प्रत्येक निलम्बन के मामले पर पुनः विचार किया जाता है और जांच शीघ्र पूर्ण करने के लिये जांच अधिकारियों को समय समय पर जिलाधीश द्वारा आवश्यक अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे जाते हैं।

(राजस्व मंत्री)

(3) यह सही नहीं है कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को अकारण निलम्बित रखा जाता है। निलम्बित उन्हीं कर्मचारियों को किया जाता है जिनके विरुद्ध गम्भीर आरोप होते हैं। मामलों का निपटारा जांच अधिकारी द्वारा, जांच प्रतिवेदन भेजने पर किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जयपुर जिले में नवीन तहसीलें

408. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नवीन तहसील क्षेत्र कायम किए जाने के क्या आधार हैं? क्या राज्य सरकार जनसंख्या के अनुपातिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नवीन तहसीलें कायम करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की तहसील आमेर, फुलेरा, जमवारामगढ़, विराटनगर, कोटपूतली की जन संख्या तथा क्षेत्र को देखते हुए, चौमूं, शाहपुरा, जोबनेर, अचरोल, मनोहरपुर में नवीन तहसीलें स्थापित करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) जयपुर जिले की वर्तमान तहसीलों की पृथक् पृथक् जनसंख्या एवं क्षेत्र क्या हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सच है कि सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया जा चुका है कि तहसील पंचायत समिति, पुलिस स्टेशन एवं विधान सभा समक्षेत्र होने चाहिये? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सामान्यतया राज्य सरकार नवीन तहसील क्षेत्र कायम करने का इरादा नहीं रखती।

(2) जी नहीं।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—5 देखिये)।

जयपुर जिले में मन्दिरों की कृषि भूमि

409. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में मन्दिरों की कृषि भूमि उनके पुजारियों के नाम लगा दी गई? यदि हां, तो कृपया तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नियमानुसार यह गलत है? यदि हां, तो इसके बारे में अब क्या कार्यवाही की जा रही है?

(स्थगित किया गया)

सिरोही जिले में कृषि भूमि का आवंटन

410. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में गत तीन वर्षों में कितनी और किस किस को कृषि भूमि आवंटित की गई है तथा किस किस को कब्जे दे दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में आने वाले सरकारी अधिकारियों ने गरीब मजदूर काश्तकारों की कृषि भूमि दबा कर अपने फार्म बना लिये हैं ? यदि हां, तो कितने और किस किस ने कितनी भूमि पर फार्म बनाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत लम्बे समय से गरीब काश्तकारों से पटवारी सरकारी भूमि पर काश्त करवाते है और फिर उनके विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के केस बना कर जुर्माना करते रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और किसके विरुद्ध मामले दर्ज हुए हैं ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 3 वर्षों में कुल 1357 भूमिहीनों को 3820.43 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया गया है व 1286 व्यक्तियों को कब्जे दे दिये गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखिये)

तहसील घड़साना एवं छत्तरगढ में भूमि का आवंटन

411. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की तहसील घड़साना एवं छत्तरगढ़ नम्बर 1 तथा नम्बर 2 तहसीलों में जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर तक किन किन तिथियों को किस किस कृषक को भूमि आवंटित की गई ? चक मुरब्बों के नम्बर, तादाद रकबा दर्शाते हुए सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या उपरोक्त आवंटित भूमि परमानेन्ट एवं आरजी दोनों प्रकार की है ? यदि हां, तो परमानेन्ट एवं आरजी हवाला देते हुए भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उपरोक्त भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, फौजियों, हरिकापतन क्षेत्र के किसानों को भी आवंटित की गई ? यदि हां तो उसके रकबे का मय सम्पूर्ण विभक्त रूप से सूची में अंकित करते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर जिले में लघु उद्योग

412. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम को 1971-72, 1972-73, 1973-74

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

एवं 1974-75 में उद्योगों हेतु कितने आवेदन-पत्र जिलेवार प्राप्त हुए हैं ? इनमें से कितने स्वीकृत हुए एवं कितने अस्वीकृत हुए ? अस्वीकृत होने के क्या कारण हैं ?

(2) बाड़मेर जिले से किन किन उद्योगों के आवेदन-पत्र स्वीकार हुए हैं ? और उन्हें क्या सहायता मिली है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम को 1971-72, 72-73, 73-74 एवं 74-75 को उद्योगों हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः स्वीकृत एवं अस्वीकृत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा उद्योगों को केवल लोहा एवं कोयला उपलब्ध कराया जाता है जो इन का उपयोग निर्माण कार्य या उत्पादन के लिए करते हैं। इस समय इस जिले में लोहे व कोयले की कोई भी कमी नहीं हैं और वे अपनी निर्धारित क्षमता तक प्राप्त कर सकते हैं।

मंत्री मण्डल के सदस्यों द्वारा लिया गया टी.ए. व डी. ए.

413. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान के मंत्री मंडल के सदस्यों ने सन् 72, 73 और 74 में वर्ष वार कितना कितना टी. ए. और डी. ए. उठाया ? सबसे अधिक टी. ए. डी. ए. किस सदस्य ने उठाया ?

उत्तर

राजस्थान के मंत्री मण्डल के सदस्यों द्वारा सन् 72, 73 और 74 में लिये गये टी.ए. और डी.ए. की सूचना संलग्न तालिका में अंकित करदी है। सबसे अधिक टी.ए. व डी.ए. वर्ष 72, 73 व 74 में निम्नलिखित मंत्रिपरिषद् के सदस्यों ने लिया:—

वर्ष	मंत्रि परिषद् के सदस्य का नाम व पद
1972	स्व. श्री बरकतुल्ला खां, भू. पू. मुख्य मंत्री।
1973	श्री चन्दनमल वैद, वित्त मंत्री
1974	श्री हरिदेव जोशी, मुख्यमंत्री।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखिये)

राजकीय एवं सहायता प्राप्त कॉलेज

414. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितने राजकीय एवं सहायता प्राप्त कालेज हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान में 26 जिले हैं उनमें कुल मिलाकर 50 राजकीय एवं 27 सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं जिनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

हायर सैकेण्डरी स्कूल, भीम

415. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की भीम हायर सैकेण्डरी स्कूल के लिए राज्य सरकार द्वारा 5000/- की राशि भवन निर्माण हेतु अनुदान के लिए पत्र संख्या एफ. 21(4) ई. डी. यू. सी।जी. ग्रार. 5।73 से स्वीकृत की गई थी ? किन्तु 11 माह के लम्बे अर्से बाद भी अभी तक यह राशि स्थानीय शाला को प्राप्त नहीं हुई ?

(2) क्या यह सही है कि इस राशि के नहीं मिलने का एक मात्र कारण भीम हायर सैकेण्डरी जिला उदयपुर के स्थान पर भीम हायर सैकन्डरी जिला अजमेर लिख दिया गया था ? यदि हां, तो इस जिले की गलत लिखने की त्रुटि किस अधिकारी द्वारा की गई ?

(1) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में भीम हायर सैकेन्डरी द्वारा कई बार लिखित या व्यक्तिगत मिलने पर भी यह राशि उन्हें नहीं मिल पाई इसका कारण बताया जावे ? क्या यह राशि अब भीम हायर सैकेण्डरी स्कूल को मिल जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या इस प्रकार की तुच्छ भूलों के कारण जो विद्यालय इस प्रकार के महत्व-पूर्ण सहयोग से वंचित रह जाते हैं एवं उनकी प्रगति में बाधा पहुंचती है उसे सरकार भविष्य में सुधारने का प्रयत्न करेगी एवं दोषी अधिकारियों के प्रति उचित कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की भीम हायर सैकण्डरी स्कूल के लिए राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ. 21(4)ईडीयू।जी ग्रार–5। 73 दिनाक 13–3–74 द्वारा 5000/- रुपये स्वीकृत किये गए थे।

(2) यह सही है कि स्वीकृत आदेश में उक्त विद्यालय को अजमेर जिले में दिखाया गया और इसी कारण से यह राशि समय पर हस्तान्तरित नहीं की जा सकी। बाद में राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ. 21 (4) ईडीयू।जी. ग्रार. 5।73 दिनांक 19–6–74 द्वारा संशोधित आदेश प्रसारित कर दिया।

(3) ऐसी कोई जानकारी राज्य सर-कार को नहीं है। राशि मिलने में विलम्ब होने का कारण यही है कि यह राशि जिला परिषद्, उदयपुर को जिला परिषद, अजमेर द्वारा हस्तान्तरित नहीं की जा सकी है। इस बारे में विद्यालय निरीक्षक, उदयपुर द्वारा निरन्तर प्रयास जारी है।

(4) यह भूल अनजाने में हुई है। भविष्य में विशेष सतर्कता बरती जावेगी।

बाड़मेर व जैसलमेर जिले में ग्रडीनों का निर्माण

416. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में वर्ष 1968–69, 1969–70, 1970–71,

Page No 34

(34)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

1971–72, 1972–73, 1973–74 एवं 1974-75 में अकाल राहत में कितने खड़ीनों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया ? कृपया नामों की सूची दें । उपरोक्त कार्यों पर कुल कितनी धन राशि व्यय हुई तथा इनमें से 1973–74 की वर्षा में कितनी खड़ीनें क्षतिग्रस्त हो गईं और उनके मरम्मत और सुधार के लिए या कदम उठाये जा रहे हैं ।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से सरकार द्वारा अभी तक खाद्यान्न की लेवी की नीति और कार्यक्रम घोषित न किये जाने के विषय में,

2. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, रामकिशन, केदारनाथ, और निरंजननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले की चोहटन तहसील के गांव इरादा में गत 27 फरवरी को सच्चू नामक व्यक्ति की भूख से मृत्यु के विषय में,

3. श्री मोहरसिंह (दादुलपुर) : सदस्य विधान सभा की ओर से गत 13 मार्च को बीड़मादरा ढाणी में देशी शराब के ठेके से ले आई हुई शराब पीने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के विषय में,

4. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों व स्थानीय प्राधिकारियों के अधीन सेवाओं की हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा देने के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

5. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील जमवारामगढ़ में कलचपुरी सोप स्टोन माइन्स के मालिक द्वारा की गई तालाबन्दी से 56 मजदूरों के बेकार हो जाने के विषय में । यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है,

6. गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम उच्छपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में गत 31 दिसम्बर को 14 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति का कत्ल किये जाने के विषय में,

7. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन के विषय में,

8. श्री मालाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 6 मार्च को रामगंज मंडी के नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम किशोरपुरा एवं मालपुरा में कुछ किसानों की अकारण पिटाई के विषय में,

9. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 17 मार्च को, किशनगढ़, मदनगंज चौराहे पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की दुकान पर किये गये सशस्त्र आक्रमण के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय क्षेत्र में श्रमिकों के परिवारों की 44 झोपड़ियों में गत 19 मार्च को आग लग जाने के विषय में,

ये प्रश्न अविलम्वनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जमवारामगढ़ तहसील में कलचपुरी एक स्थान है जहां पर कि सोप स्टोन की माइन है और वहां पर 56 मजदूर काम करते हैं। इस माइन में श्री पी. के. जैन बेनामी मालिक हैं, दरअसल खास मालिक सांवरमलजी लोहिया हैं जो एक बहुत बड़े आदमी हैं उन्होंने मजदूरों को न तो बोनस दिया और न मजदूरी देते हैं। उनकी मजदूरी की दर 3 रु. 35 पैसे प्रति मजदूर प्रति दिन है जो भी मजदूरों को समय पर नहीं मिलता है। तीन महीने का वेतन माह जनवरी, फरवरी और दिसम्बर का–आज तक उनको नहीं दिया गया है और मजदूरों को जो बोनस देना चाहिए वह भी नहीं दिया गया। लास्ट इयर 1974 में एक एक माह का एक एक साल का बोनस दिया था और वह भी 8.33 प्रतिशत की बजाय केवल 4 प्रतिशत से उनका चुकारा किया गया। जब मजदूरों ने अपनी मजदूरी मांगी तो 26 फरवरी 1975 को तालाबन्दी करके गायब हो गये। मजदूरों के सामने बड़ी समस्या हो गई, वे लोग वहां पर दिन रात चौकसी करते रहे और परेशान रहे। कई बार उन्होंने उनके चक्कर लगाये पर उनको समय ही नहीं मिलता और इस कारण से 56 व्यक्तियों का परिवार भूख से परेशान इधर उधर फिर रहे हैं। इसके लिये उन्होंने श्रम विभाग से और दूसरी जगह भी एप्रोच की परन्तु सरकार ने भी कोई इन्टरफियेरेन्स नहीं किया। मान्यवर जब कभी ऐसे मौके आते हैं और मजदूरों का मामला होता है, तो जो कानून मजदूरों की भलाई के लिये बनाये जाते हैं और किताबों में बहुत कुछ लिख दिया जाता है परन्तु दुर्भाग्य से वह सब सेठों की तिजोरियों में ही बन्द रहता है और एक भी अधिकारी मजदूरों की भलाई के लिये कोई काम नहीं करके सेठों की ही मदद करते हैं। जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो मजदूरों को पुलिस से पिटवाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। कहने में तो समाजवादी सरकार है और मजदूरों की हितैषी है और किसानों का हित करने वाली है, ऐसे कानून भी बनायेगी, लेकिन यह सब कानून कायदे सेठों की तिजोरियों में दब जाते हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस मामले में इन्टरफीयरेन्स करके उन गरीब मजदूरों को उनका वेतन दिलवाये और उनको भूखों मरने से बचावे। नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जायेंगे, बेचारे मजदूर और इस स्थगन प्रस्ताव को लोकमहत्व का समझकर तत्काल कार्यवाही कराई जावे।

श्री मनोहरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है जानकारी के लिये, लेकिन मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय और सरकार इस पर जून से पहले विचार करने वाली नहीं। पिछली

(श्री मनोहरलाल)

बार भी अध्यक्ष महोदय सरकार ने 11 जून को लेवी आर्डर प्रसारित किये थे, और डाकुओं और लुटेरों की तरह काश्तकारों के घर में घुस गये। 11 तारीख को आदेश निकाला और 13 को उनके घरों में घुस गये। पहले यह कहा गया था कि हारवेस्टिंग के वक्त खलिहानों में लेवी ली जायेगी लेकिन उनके घरों में घुसकर और यहां तक हुआ कि बेचारे काश्तकार हैं उनको 40/- मन में बाजार से खरीद कर लेवी देनी पड़ी और उनको 70–72) रु. प्रति मन गेहूं खरीद कर देना पड़ा। जिस प्रदेश को किसानों का राज्य कहते हैं जिस देश में 80 परसेंट लोग किसान रहते हैं वहां पर ऐसी नालायकी हो, इस तरह की बदतमीजी हो कि छोटे छोटे अधिकारी घर में घुसकर पीटें और घर में से गल्ला ले आयें कहां तक उचित है? कलक्टर ने कहा कि इस तरह घरों में घुसकर गैर कानूनी तरीके से एस. डी. एम. और तहसीलदार घरों में से गल्ला ले आए, उन्होंने आदेश जारी किए कि गल्ला वापस किया जाए, आज तक वे भूखे मर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि न उनको पैसा मिला, न गेहूं। आप भी उसी लाइन पर जाना चाहते हैं। मैंने आपको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या कठिनाई है, आपको क्या परेशानी है कांग्रेस दल के विधायकों को। मैं पूछना चाहता हूं कि लेवी किस से लेंगे किस प्रकार से लेंगे, कब लेंगे, कटाई शुरू हो चुकी है, खलियान आ चुका है, आप नहीं बताना चाहते हैं, मुझे आशा है कि आप जून महीने में फिर वही करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार सरकार के कम से कम आधे कर्मचारी पिट कर मरेंगे, उनको जनता पीटेगी, उनकी ठुकाई होगी···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मनोहर लाल : जहां तक गुरु नानक बाका कैनाल का सवाल है, टैक्निकली वीक नहीं है। मैं मान सकता हूं कि कोई टैक्निकल बात होगी लेकिन सड़क की बात कहें तो आप नहीं मानते बिजली की बात कहें तो आप नहीं मानते। शाहपुरा में किसानों ने एडवांस लिया, ट्यूब वेल्स फिट हो गए, आप कनेक्शन्स नहीं दे रहे हैं। अभियन्ता 500) 500) एक एक कनेक्शन का मांगता है किसानों से। आप कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन आप यह तो बतायें कि लेवी की नीति आपकी क्या होगी। मैं चाहता हूं कि जिस काश्तकार के पास फालतू धान हो, उससे लेवी लीजिए लेकिन जो छोटा काश्तकार है, जिसको आप शिड्यूल्ड कास्ट व भूमिहीन मानते हैं उनसे मत लीजिए। पिछली बार कामां तहसीलदार ने काश्तकार की घड़ी छीनली, नतीजा यह हुआ कि जनता ने तहसीलदार को पीटा। डींग का एस. डी. एम. लेवी खा गया, नगर का तहसीलदार 30 बोरी गेहूं की खा गया। किसान ने रसीद ली, पटवारी मारा जा रहा है। इस तरह काश्तकार लुट गए। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय अगर सच्चाई है तो समय से पूर्व, फसल से पहले लेवी की नीति की घोषणा करें कि किस से लेंगे, कब लेंगे और कितना लेंगे क्या उसका मूल्य होगा। तब मैं मानकर चलूंगा कि कृषि मंत्री महोदय प्रगतिशील हैं नहीं तो समझूंगा कि काश्तकारों के विरोधी हैं, प्रगतिशील नहीं हैं।

श्री गुर दयाल सिंह संधु : मेरा स्थगन प्रस्ताव है। अलवर जिले में ऊनपुरा गांव है। वहां 31 दिसम्बर, 1974 को 4 बजे कत्ल हुआ और एक तारीख को बानसूर पुलिस थाने पर केस दर्ज किया। 14 आदमियों के नाम उसमें दर्ज कराए गए कि 14 आदमियों ने कत्ल किया है। पुलिस 14 में से केवल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकी है और जो बाकी 10 व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और उसके भाई का एलीगेशन है, आई. जी. पी. को उन्होंने लिखकर दिया है कि वहां 36562) रु. इसलिए वसूल किए गए कि उनका बंटवारा पुलिस में किया जाकर पुलिस को चुप कराया जाए। यह गंभीर आरोप है। सरकार को इस संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह हरिजन निर्दोष लोगों को तलब किया जाय और मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को जानकारी देने के लिए मजबूर करें।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : सरदार गुरदयाल सिंह के प्रस्ताव के बारे में··

श्री अध्यक्ष : कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल लीजिए।

श्री मोहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बावड़ी थावरिया में 4 व 5 के बीच में एक व्यक्ति का कत्ल हुआ, 14 आदमियों ने उसका कत्ल किया। यह 31।12 का किस्सा है। एक तारीख को बानसुर थाने पर उसके भाई ने रपट दर्ज कराई लेकिन अभी 4 जने ही गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस से मिलकर केस को दबाया जा रहा है। इसके अन्दर बड़े आदमियों का हाथ है। 36562) रु. की वसूली की गई है पुलिस का मुंह बंद करने के लिए सिम्बु अहीर 1500), छाजू एवं लखू 2250), बंसी अहीर 2250), मुखराम 1500), प्रभू रामेश्वर 1500), भामां, जगदीश, सूरजा, फूला 1500) भंग, मौरा, रामजीलाल, छीता 1500), भाहेड़ा अहीर 2000), भोखला 2000), प्रहलाद 2000), ओमकार 1125), सूण्डा 1125) दीना 1125) रामनिवास 1125)····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहर सिंह : इस तरह 21 आदमियों से 36562) रु. इकट्ठे किए गए पुलिस का मुंह बंद करने के लिए, इसमें कुछ राजनेताओं का हाथ है। आप सदन के 5 सदस्यों की एक समिति बनाकर आन दी स्पाट जांच करायें और मुल्जिमान को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। थोड़ी देरी होगी तो चालान कर देंगे, मुकदमे में वजन नहीं रहेगा और मुकदमें हारने का खतरा हो जाएगा और जालिम बच जायेंगे। इसलिए जो स्थगन प्रस्ताव श्री गुरुदयालसिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जल्दी से जल्दी इस मामले की सही ढंग से जांच की जाए, सदन के 5 विधायक वहां से जायं और देखें क्योंकि इसके अंदर राजनेताओं का हाथ है।

श्री मालाराम : अध्यक्ष महोदय, रामगंजमंडी के गांव किशोरपुरा एवं मालपुरा में नायब तहसीलदार ने बदमाशी की और काश्तकारों की मार पिटाई की। इसके खिलाफ

Page No 38

(38).

(श्री मालाराम)

10-12 लोगों के खिलाफ केसेज बनाए हैं। राज्य सरकार को कुछ सोचना चाहिये कि ऐसे काश्तकारों और गरीब किसानों को परेशान करने में किसका हाथ है। नाबालिग बच्चे को पीटा गया है। नायब तहसीलदार को पीटने के खिलाफ केस बनाया गया है और 10–20 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसके लिए सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट किया है यह कहते हुए कि यह अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिनांक 17–3–75 को एक मिल के मालिक विमल कुमार ने एक मोची के लड़के को स्कूटर से एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी फैक्ट्री बंद करके उस मोची की दुकान पर जाकर उसके साथ पिटाई करे, उस मोची की सारी दुकान को समाप्त कर दे···

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : एक्सीडेंट हुआ या नहीं, कन्फर्म्ड है ?

श्री भानु कुमार शास्त्री : आपको पता नहीं, आप कांग्रेस के पटल पर बैठे हो, आप तो किशनगढ़ के निवासी हैं, एफ.आई.आर. की कापी मेरे पास है।

श्री प्रतापसिंह : एक छोटी सी बात होती है···

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे आशा नहीं थी कि कांग्रेस बेंचिज पर बैठकर कोई इतना गिर सकता है। पुलिस ने डकैती और ट्रेसपास का केस दर्ज किया है। अध्यक्ष महोदय उसकी कापी मेरे पास है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस ओर विशेष तौर से ध्यान दे। मेरे समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति की दुकानों को तहस नहस कर दिया उसको बुरी तरह से पीटा गया पुलिस में उसने रिपोर्ट दर्ज करायी, मेडिकल सार्टिफिकेट भी पेश किया था लेकिन ऐसा क्या कारण है कि उस व्यक्ति के खिलाफ में कोई कार्यवाही आज तक नहीं हो सकी। अध्यक्ष महोदय ऐसा भी लोग कहते हैं कि विमल कुमार की वहां के पुलिस अधिकारी से संबंध होने की वजह से कोई भी उसके खिलाफ में एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मेरे पास अध्यक्ष महोदय उसकी फोटो कापी है, दुकान को किस तरह से तहस नहस किया गया और उसकी दुकान को लूटा गया अध्यक्ष महोदय मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है कि मामला डकैती का है ट्रेसपास का है, उस गरीब को पीटने का है पर कोई एक्शन आज तक नहीं। इसलिये मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस इस मामले में तुरन्त एक्शन ले और इस प्रकार की जो प्रवृतियां बढ़ रही हैं उसको तुरन्त रोका जाना चाहिये। और चूंकि वहां की पुलिस अब कोई न्यायपूर्ण जांच नहीं कर सकती है इसलिये मैं आपके माध्यम से यह राज्य सरकार से अपेक्षा करना चाहूंगा कि वह इस सारे कान्ड के लिये एक दूसरे आफिसर को जांच करने के लिये नियुक्त करे ताकि वह व्यक्ति जो बेचारा शिड्यूल्ड कास्ट का है उसको न्याय मिल सके। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री निरन्जननाथ-आचार्य ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, अकाल की इस विभीषिका में अकालग्रस्त क्षेत्रों में मृत्युएं हो रही है उसके संबंध में आपने जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखा मैं इस संबंध में परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहूंगा । सदन में भी अध्यक्ष महोदय कई बार मुख्य मन्त्रीजी ने इस बात के लिये उल्लेख किया कि अकाल की भयंकर विभीषिका है और यहां पर यह उल्लेख भी किया कि अकाल के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकी हैं । उन्होंने समय समय पर अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख किया कि अकाल की विभीषिका इतनी भयंकर है कि लोग भूख से मर सकते हैं। इसलिये वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर भूख से लोगों का मरना अनिवार्य है । जैसा कि यहां पर सदन में माननीय सदस्य ने कहा था कि चौहटन में एक व्यक्ति की भूख से मृत्यु हो गयी उसके साथ ही दो और भूख से मर चुके हैं। ऐसी सूचनायें समाचार पत्रों में भी छप रही हैं । इसी तरह का उदाहरण जनता मोर्चे के नेता महोदय ने कहा कि डूंगरपुर में पांच की मृत्यु तो हो चुकी है । उनको उन पांच व्यक्तियों की मृत्यु भूख से मरने की उस क्षेत्र के संरपंचों ने तस्दीक की है । तो अध्यक्ष महोदय यह पांच ही नहीं हुई हो सकता है और जो मृत्यु हुई हैं उसके बारे में संभव है, व सरकार को मालूम ही नहीं हुआ हो । ऐसा हो सकता है वह सरकार की निगाह में नहीं आयी हो । मौतें भूख से ऐसी परिस्थितियों में होना अनिवार्य है । इस संबंध में हो सकता है सरकार के पास खबर नहीं हो । क्योंकि सरकार के पास इस संबंध में जो सूचना आती है वह आती है, तहसीलदार की रिपोर्ट से और तहसीलदार का आधार होता है, नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार का आधार होता है सूचना का पटवारी अगर पटवारी या तहसीलदार या कलेक्टर अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति की भूख से मरने की स्वीकारोक्ति कर ले यह तो हो नहीं सकता । ऐसी स्थिति में जबकि राजस्थान में अकाल की भयंकर विभीषिका है । अकाल की विभीषिका में जलने वालों की संख्या हजारों की ही नहीं बल्कि लाखों की है तो अकाल राहत कार्य खोलने की तुरन्त आवश्यकता है । लेकिन अकाल राहत कार्य आप अपर्याप्त मात्रा में खोलते हैं । लोग भूख से मर रहे हैं । और आप से जब पूछा जाता है तो सदन में यह जवाब दिया जाता है कि भूख से राजस्थान में कोई नहीं मरा, जो भी मरा है वह तो कमजोरी के कारण मरा । बीमारी के कारण मरा है । मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि भूख से व्यक्ति कमजोर होता है फिर वह बीमार होता है और वह व्यक्ति सड़ सड़ कर मरता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण अपना दे । और अगर राज्य सरकार मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं है तो में एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस सदन के तीन माननीय सदस्यों की एक समिति बनायी जाय जो कि इस बारे में जांच करे कि अकाल के कारण कहां कहां पर कितनी कितनी मृत्युयें हुई हैं । इसके

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

साथ ही वह समिति अकाल की समस्या को सुलझाने के लिये राज्य सरकार को अपने सुझाव दे। यही मेरा निवेदन है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के यह क्लीयर इन्स्ट्रक्शन्स हैं कलेक्टर को, अगर किसी व्यक्ति की अकालग्रस्त क्षेत्र में भूख से मृत्यु हो गयी तो उसकी मृत्यु के लिये वह कलेक्टर जिम्मेदार होगा तो कलेक्टर इस प्रकार की रिपोर्ट देकर क्या अपनी नौकरी से हाथ धोना पसन्द करेगा वह तो यही कहेगा कि बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी। आज हम न्यूज पेपर्स में तरह-तरह की न्यूज पढ़ते हैं कई माननीय सदस्यों ने यहां आकर सदन में बताया भी है कि भूख से लोगों की अकालग्रस्त एरिया में मृत्यु हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां की पापूलेशन के अन्दर 30 परसेन्ट लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पोवर्टी लाइन की श्रेणी में आते हैं।

भूख से लोग मर जाते हैं, आप कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाते हैं, कलेक्टर कभी ऐसी रिपोर्ट देगा नहीं। तो ऐसी बातों की जानकारी तब ही हो सकती है जब आप एक माननीय सदस्यों की समिति बनाकर उसकी जांच करवायें। आप भले ही कांग्रेस के पांच सदस्यों की कमेटी बना लीजिये जो कि उन जगहों का, जिसका कि माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, दौरा करे और अपनी रिपोर्ट दे। ऐसी मिसालें पहले भी हुई हैं। पांच सात साल पहले ऐसी एक कमेटी बनी थी और मुख्य मंत्री ने उनके साथ जांच की है। तो सही पिक्चर देने के लिये यह जरूरी है कि ऐसी एक समिति बनाई जाये। आज डेढ़ करोड़ लोग अकाल से अफेक्टेड हैं। आप जाकर देखिये। कितने आदमियों को काम नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती और आहिस्ता आहिस्ता रोटी न मिलने के कारण वह कमजोर हो जाता है और कमजोर आदमियों को कोई न कोई बीमारी लग ही जाती है, फिर आप कहते हैं कि वह आदमी तो उस बीमारी से मरा। तो आपकी जो इनफार्मेशन है वह अधूरी है। इसलिये आप इस सदन की एक कमेटी के मारफत इसकी जांच करवाइये ताकि आपको सही सूचना मिल सके और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने भी आपके हाथ इस रिपोर्ट से मजबूत होंगे और आप कह सकेंगे कि राजस्थान की हालत वास्तव में क्या है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल के कारण एक के बाद एक करके कई इन्सान मरते रहे इस प्रकार का प्रसंग इस सत्र में कई बार आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पांच व्यक्तियों के नाम, उनके पतों सहित, पंचों और सरपंचों के दस्तखत सहित मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किये। उन्होंने बताया कि विजयनगर, जो अजमेर जिले में आता है, उसके ग्राम शिवपुरी में धन्ना वल्द छोटू तथा उसकी पत्नी गंगा की किस प्रकार भूख के कारण दर्दनाक मृत्यु हो गई।

(12.25 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

इस सम्बन्ध में सदन में भी ध्यान आकर्षित किया गया।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, चोहटन के अन्दर भूख से मृत्यु हुई। हरजी गांव के अन्दर 27 फरवरी को भूख से मृत्यु हुई। हांडी गांव के अन्दर रामसिंह की मृत्यु हुई और इसी चोहटन के अन्दर रिणमल भील की मृत्यु हुई जिसका कि अभी अभी आपके सामने मावली से आने वाले और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जिक्र किया।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या भूख के कारण हमारे राजस्थान में एक के बाद एक आदमी की मृत्यु होती रहेगी और हम यहां पर अपने आप को बातों में लिप्त रखेंगे? कहा यह जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी ने कहा कि राजस्थान में एक भी मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई। यह आंकड़े इस तरह के आंकड़े हैं जो मंत्री महोदय के इशारे पर, राज्य सरकार को जीवित रखने के लिये, नौकरशाही द्वारा दिये जाते हैं और अपने हृदय को दबाते हुए ऐसी रिपोर्टर्स दी जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विजयनगर और चोहटन के बारे में यहां पर सदन में हमने नाम, पता, जाति, तारीख आदि का विस्तार देते हुए इस बात को रखा और, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बात का प्रमाण है, वहां के गांव के लोगों का सब का वेरीफीकेशन है कि हमने पहले पटवारी को इत्तिला की कि स्थिति नाजुक होती जा रही है पटवारी ने रिपोर्ट के द्वारा कहा कि किसी प्रकार से धान का इन्तजाम किया जाय, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि गांव के लोगों ने, शिवपुरी के लोगों ने कई दिनों का धान इकट्ठा करके इस परिवार को चलाया है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा टेप से...

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow to play the tape in the House.

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मंत्री महोदय ने बिना किसी प्रमाण के रखा उसको तो आपने अलाऊ कर दिया और मेरे पास प्रमाण हैं, उसमें अधिकारियों ने इकबाल किया है, सरकार माई बाप है...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्टेटमेंट है वहां का...

व्यवस्था

सदन में टेप की प्रस्तुती

श्री उपाध्यक्ष : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने टेप रिकार्ड पेश करने की इजाजत चाही है मैं उनको डिस्प्ले करने की इजाजत नहीं दे सकता। पहले भी इसी सदन के प्रांगण पर इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है और इस प्रकार से डिस्प्ले करने की इजाजत नहीं दी गयी थी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस सत्र में तो नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : उस रूलिंग में टेप को डिस्प्ले करना डिसअलाऊ किया है।

श्री केदारनाथ : वह अध्यक्षजी तो हमारे साथ बैठे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदमी बदलता है, मान्यता शाश्वत होती है।

श्री केदारनाथ : कन्डीशन्स बदल रही हैं इसलिये मान्यतायें भी बदल सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

पहले आसन से जो व्यवस्था दी गयी थी उसी व्यवस्था को मानते हुए इस सदन की मान्यता और परम्परा रही है । दिनांक 18 अगस्त, 1969 को एक टैप रेकार्ड सदन में सुनाना चाहा उस पर माननीय अध्यक्ष की यह व्यवस्था थी । यह श्री भैरोंसिंह ने श्री बृजसुन्दर शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इस मामले से सम्बन्धित एक टेप रेकार्ड सदन में सुनाने की अनुमति चाही थी ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कोई आपत्ति नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

"दिनांक 19 अगस्त, 1969 को श्री अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी :

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा के मामले में कल माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह ने टेप रिकार्ड में, जो बातचीत रेकार्ड की गई थी, उसको सुनाने की आज्ञा मांगी थी । मैंने इस प्रश्न पर विचार करके व्यवस्था देने के लिये कल सदन को निवेदन किया था । इस प्रश्न पर मैंने बहुत ही विचार और चिन्तन किया है । यद्यपि न्यायालयों में साक्ष्य के दौरान टेप रिकार्ड सुनाने के उदाहरण हैं और जिस व्यक्ति की बातचीत टेप की गयी है उसको साक्षी के रूप में, उससे जिरह करके, उसके आधार पर उसकी शहादत की कीमत, मूल्यांकन करने की स्थिति में सुनाने के उदाहरण मुझे प्राप्त हुए हैं । किन्तु संसद अथवा राष्ट्र की विधान सभाओं में टेप सुनाये जाने का कोई उदाहरण परम्परा के रूप में अथवा उन पर किसी प्रकार की व्यवस्था मुझको प्राप्त नहीं हो सकी कि जिससे उस परम्परा को बनाने में अथवा इस नई परम्परा को कायम करने में इस सदन को सहायता मिल सके ।

इस मामले के दो पहलू हैं । प्रथम तो मामले पर, मामले में वाद-विवाद करना इस सदन के प्रांगण पर प्राइमाफेसी एविडेन्स के आधार पर दूसरा यदि सदन की यह मान्यता हो जाती है कि इस मामले में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, यह प्राइमाफेसी की हद तक पहुंचते हैं, तब एक समिति का गठन करना और उस प्रस्ताव के अन्तर्गत इस समिति का गठन होने के बाद इन्क्वायरी प्रारम्भ होती है । इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद और प्रस्ताव के अन्तर्गत समिति का गठन, समिति के गठन के बाद समिति को अधिकार है कि साक्षी ले, उस पर निर्णय दे और उसके बाद जो भी इस प्रश्न का ओपरेटिव पोर्शन है, उसके माफिक आगे की कार्यवाही करे ।

इस प्रसंग को लेकर माननीय भैरोंसिंह जी की ओर से टेप की बातचीत को टेप पर सुनाने का आग्रह है और उधर स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी एक टेप मेरे सामने प्रस्तुत करके उसके साथ ही उसका एक एक्स्ट्रेक्ट प्रस्तुत किया है और उन्होंने भी मांग की है कि इस टेप को सुनाने की उन्हें भी आज्ञा प्रदान की जाय क्योंकि सदन के सम्मुख एक नई परम्परा बनाने का प्रश्न उपस्थित है, यदि यह प्रश्न इस प्रस्ताव के अन्तर्गत किसी नवगठित समिति के

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्मुख प्रस्तुत होता तो स्थिति बहुत विपरीत होती। मैं बहुत चिन्तन के बाद, नयी परम्परा और परम्परा भी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो एक तरफ एक के पक्ष में अपनी बात कहता है और दूसरे पक्ष में अपनी ओर से दूसरी बात कहता है ऐसी स्थिति में मैं इस परम्परा को नये तरीके से बनाने की हालत में नही हूं, अतः दोनों ही पक्षों को मैं अपने टेप बजाने की इजाजत नहीं देता।" इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना उचित समझूंगा कि राष्ट्र की अन्य विधान सभाओं में भी इस प्रकार के प्रसंग आये हैं और टेप रेकार्ड को डिस्प्ले करने या उसको रखने की स्थिति में इजाजत नहीं दी है। राष्ट्र की विधान सभाओं में जो फैसले हुए हैं उनमें यह निर्णय लिये गये हैं कि टेप रेकार्ड को सदन में डिस्प्ले करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अतः अपने सदन की परम्परा और राष्ट्र के अन्य विधान सभाओं की परम्परा के अनुकूल मैं इस टेप रेकार्ड को डिस्प्ले करने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो आज्ञा दी है, उसको में शिरोधार्य समझ कर पालन करूंगा लेकिन क्या ही अच्छा होता कि नये युग का सूत्रपात करते। नया युग, नया जमाना।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नयी विकृतियां।

श्री गुमानमल लोढ़ा : विकृतियां तो आपके पास रहती हैं। हमारी मान्यता है और आपने यह फरमाया, उपाध्यक्ष महोदय, आप एक कुशल एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रतापसिंहजी· · ·

श्री उपाध्यक्ष : इलाहबाद हाईकोर्ट में अभी अलाऊ किया है। That I cannot deny. सन् 69 में माननीय अध्यक्षजी ने निर्णय दिया। कोर्ट ऑफ लॉ में इस प्रकार के एवीडेन्स मिलते हैं एप्रीशियेशन के लिये, टेप रेकार्ड डिस्प्ले के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन विधान सभा या संसद में कोई परम्परा नहीं है और आज तक किसी सदन या संसद में इस तरह से टेप रेकार्ड की इजाजत नहीं दी गयी है, आसन की ओर से। यहां पर भी वही परम्परा है और उसको पालन करने के लिये मैंने निवेदन किया है। लेटेस्ट तो कोर्ट ऑफ लॉ का ही है एविडेन्स।

श्री गुमानमल लोढ़ा : I know it, आप उसको बदलेंगे तब ही तो यह लेटेस्ट रहेगा। खाली अकाल है, मंत्रीजी ने जबानी कह दिया। आप मुझे प्रूफ डिस्प्ले करने की इजाजत दें। मैं इसको माननीय मंत्रीजी के सुपुर्द कर दूंगा आपकी आज्ञा से।

श्री केदारनाथ : यदि इसको अध्यक्षजी के चेम्बर में सुन लिया जाय तो हमारा परपज सर्व हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय अध्यक्षजी के स्वीट डिस्क्रिशन पर है, उनके विवेक पर है कि वे इसको सुनना पसन्द करें अथवा नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह प्रार्थना तो इस आसन से है। और आसन की ही अन्तिम व्यवस्था होती है। अध्यक्षजी से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे सकता। चैम्बर में भी सुनने की इजाजत नहीं दे सकता।

एक माननीय सदस्य : यस लोबी और नो लोबी ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यस लोबी और नो लोबी का पोइन्ट नहीं । यह मोस्ट ओबिडियेन्ट सर्वेन्ट की तरह आपके हैं । हम तो अच्छी बात होती है उसको अच्छा कहते हैं और बुरी बात होती है तो बुरा कहते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : Most obedient opposition.

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गुमानमल लोढ़ा : मोस्ट फोर्सफुल अपोजिशन है । That is within you. हमारा तो पीसफुल अपोजिशन है । माननीय मंत्री महोदय किसी प्रकार गुमराह कर दें सदन को भूख से मौत होने के प्रश्न पर भी, इसलिये मैं चाहता था कि इसको आप यहां पर भी नहीं सुनेंगे, वहां पर भी नहीं सुनेंगे, मरने की बात पर इन्कार नहीं करेंगे इसलिये विजयनगर में चलिये, शिवपुरी में चलिये पटवारी की रिपोर्ट कैसे हुई यह प्रकट होता है कि झूठी रिपोर्ट देने के लिए बाध्य किया गया है । मैं समझता हूं....

श्रीमती नगेन्द्र बाला : आपने कहा यह फोर्स फुल अपोजीशन है तो वह पानी तो मुल्तान गया ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लेकिन यह पानी तो आपके सामने हैं, अब पता नहीं वह पानी कौन-सा था । यह गंगा का पानी है इसमें आप भी वह जायेंगे और या इधर आ जायेंगे, गंगा जब घुमड़-घुमड़ कर आती है तो वह वहा ले जाती है और वह दिल्ली से भी घुमड़-घुमड़ कर आ रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि टेप रैकार्ड के बारे में जो आज्ञा दी है यदि माननीय मंत्री महोदय अपने विवेक से भूख से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की कमेटी बैठा दें । गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है । उपाध्यक्ष महोदय मुझे तो डिस्प्ले करना है, कर दूंगा, यहां नहीं करने देंगे तो जनता का दरवाजा तो खुला हुआ है और उपाध्यक्ष महोदय इसके अलावा हमारे पास प्रमाण हैं । वहां के लोगों की दस्ती करके आया हूं, न उनके पास खाने को है न उनमें अब शक्ति रही है, न उनके पास धान है, न कुछ और ही यह रिपोर्ट पटवारी की है, तहसीलदार की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की और उपाध्यक्ष महोदय पूरा परिवार समाप्त हो गया ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं शिवपुरी, विजयनगर, चौहटन, डूंगरपुर और कोरखड़ा गांव है सराड़ा तहसील में जिसमें जादू राम पुत्र खेमली नाम का व्यक्ति भूख से पीड़ित होकर और कोई साधन नहीं मिला तो आखिर में गांव में पाड़े को काट कर मांस खा रहे थे तो उसको उसके पीछे पड़ा हुआ खून मिला उसको पीकर सो गया और मर गया । इस प्रकार भूख से मरने की स्पष्ट बात है । कोई बीमारी तो है नहीं जो कोई डाक्टर अपने आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट देकर डिमान्स्ट्रेशन करना चाहेगा ऐसा कौन सा पटवारी होगा जो अपनी आत्म हत्या करेगा यह तो वेरीफिकेशन यहां की कमेटी कर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सकती है। मेरा निवेदन है यह मानवीय प्रश्न है, न किसी दल का प्रश्न है, और न किसी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, न ना पक्ष की लोबी का सवाल है और न हां पक्ष की लोबी का सवाल है और इसको इस प्रकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं बनाना चाहिए। यदि इसका हल नहीं कर सके तो, और यह कहें कि भूख से मरने नहीं दिया जायगा, इस प्रकार का आर्डिनेन्स जारी कर दिया जैसे कि यमराज पर आपका आर्डिनेन्स चलता है। इस आर्डिनेन्स के जरिये आप अपनी स्वयं की रक्षा तो कर लेते। भूख से मरने की बात हो रही है, स्पष्ट प्रमाण है और फिर कह देते हैं कि भूख से मरने नहीं दिया जायगा जैसे आप उसे रोक ही लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के 4–5 माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय और जो नये राजा-महाराजा हैं, उनके सामने रैय्यत मरती रहे और वे सुनते रहें तो···

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यमराज पर आर्डिनेन्स चलता है लम्बी कहानी है, मैं कभी सुनाऊंगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : फिर विधान सभा के चुनाव ही नहीं करवायें, चुनाव को रोक दें।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस मामले की जांच करवाने के लिए और यह टेप रेकार्ड स्टेटमेंट है, मैं माननीय मंत्री जी को सबमिट कर दूंगा। सारे कागज हैं शिवपुरी, चौहटन तहसीलों के बारे में। नाम पते हैं। प्रस्तुत कर दूंगा और मैं यह चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय पूरी जांच करवायें और हम उम्मीद करेंगे आज कोई दूसरा कार्य हाथ में लें तो जो समिति का निर्णय है यही पर करवा दें। मुझे लगता है उनको भी ऐतराज नहीं है। सभी की भावना है और उचित भी यही होगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे इतना कहना है अकाल का विषय है और गंभीर विषय है। इस मामले में हमारे जो सराड़ा तहसील से आये हुए माननीय सदस्य हैं श्री देवीलाल जी उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। वास्तव में भील लोग पाड़ा नहीं खाते हैं लेकिन भूख की तड़प से पाड़े को काट कर खा गए और उनका खून पी गये और, उपाध्यक्ष महोदय, जब वे रात को खून पी कर सो गये तो उनका सुबह सारा बदन अकड़ा हुआ मिला और मर गये। इस प्रकार भूख से मरने की शिकायत उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र में हो गई है। मैं चाहूंगा कि जिलाधीश महोदय को आदेश प्रदान करें कि उनके राहत कार्यों के अन्दर अनाज का वितरण हो ताकि भूख से मरने से कम से कम रोका जा सके। भूख से मरने की प्रवृत्ति, यह राजस्थान सरकार पर कलंक है। आज भी भूख से मर जावें तो यह एक आश्चर्य की बात है और खेद की वात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की मौतों को रोका जाय। नहीं तो, जो राज्य सरकार इस प्रकार के बड़े बड़े आश्वासन कि आदिवासियों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों को प्लाटों का आवंटन करेगी सब बेकार हैं। आज मानव की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है भोजन और भोजन की आवश्यकता को प्रथम पूरा करें। जो आवश्यक चीज है उसको ही यह सरकार पूरा नहीं करे तो फिर इस

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
सरकार को भी सरकार बने रहने का औचित्य नहीं है।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन महानुभावों ने अकाल से, भूख से मृत्यु होना बताया है मैं उसका समर्थन करता हूं। कल भी मैंने अकाल की समस्या के बारे में कहा था कि भामासी गांव के दो व्यक्ति भूख से मर चुके हैं। उसकी जांच करने के लिए एक यहां के महानुभावों की टीम बना दी जाय। वास्तव में यह बड़ा चिन्तनीय विषय है। आगे भूख से न मरें इसके लिए सख्त कदम उठाना चाहिये और इसकी जल्दी से जल्दी जांच की जाय और भविष्य में इस तरह के उपाय किये जायं कि अकाल से मौतें न हों। इन शब्दों के साथ मैं यह मांग करता हुआ कि इसके लिये एक समिति बना दी जाय तो जो मौतें हुई हैं उनकी भी जांच की जाय। इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करूंगा।

श्री केदारनाथ : फिर इसके बारे में क्या हुआ हम्बल रिक्वेस्ट है?

श्री गुमानमल लोढा : समिति के बारे में क्या किया, उपाध्यक्ष महोदय? उनको एतराज नहीं हैं, मैं समझता हूं, मानवीय प्रश्न है इस पर गंभीरता से सोचना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य नियमों से पूरी तरह परिचित हैं। न कार्य सूची में समिति बनाने का मोशन है। केवल माननीय अध्यक्ष जी से स्थगन प्रस्ताव की जानकारी के लिये भेजा है। आपका प्रस्ताव सरकार के पास जानकारी के लिये गया हुआ है। इतनी ही सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने दी है और इस प्रकार समिति बनाने के प्रश्न का नियमों में प्रावधान नहीं है इसलिये मैं कोई इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव को जानकारी के लिये भेजा गया है और हम यह जानते हैं कि जानकारी पत्र द्वारा मिल जायगी। ऐसी स्थिति में जब विषय स्थिति हो, यह प्रश्न रखा गया है। राज्य सरकार भी मौन है और हम यह चाहते हैं कि सरकार हमारा सुझाव ले ले और माननीय सदस्यों का सरकार सुझाव ले सके तो मैं समझता हूं केन्द्रीय सरकार से और मदद लेने में सहायता मिलेगी। इसलिये इस प्रश्न, को जो विषमता लिये हुए है, आप कृपया सिरियसनेस के साथ लीजिये और सदन का प्रश्न बनाकर एक बार और मत प्रकट करने दीजिये और जो केन्द्रीय सरकार ने सहायता देना अस्वीकार किया है वह प्रश्न संभवतः स्वीकारोक्ति में भी बदल सके क्योंकि एक महीने के बाद भूखी जनता अग्नि परीक्षा में जायगी और यहां मौतें हीं मौतें होंगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूख से मर जायं, पाड़े का खून पीकर मर जाय और फिर भी राज्य सरकार मौन रहे। इसके लिय क्या राज्य सरकार माननीय सदस्यों की समिति बनाने का विचार करेगी नहीं, फिर ऐसी स्थिति में क्या हमारा औचित्य है? क्या नियम और उपनियम हैं, जिन के आधार पर मानवीय प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते हैं तो फिर

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
मानवीय प्रश्न पर विचार के लिये भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है · · ·

श्री मोहरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव था छोटा सा · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद : इस बारे में अकाल राहत मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया है।

श्री गुमानमल लोढा : वह स्टेटमेंट गलत है।

श्री मोहर सिंह : आप लोग तो कहते हैं मौत नहीं हुई है और हम लोग कहते हैं मौतें हो रही हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : लोग मर जायं और आप एक वक्तव्य देकर कि भूख से नहीं मरे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आधार है।

श्री गुमानमल लोढा : आधार क्या है ? आधार आपका झूठा है।

श्री मोहरसिंह : इस तरह लीपा पोती करने से भूख बन्द नहीं होगी इसके लिये कुछ करना होगा।

श्री गुमानमल लोढा : इसीलिये, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पैदा हुआ है। इसके लिये इन्कार कर दिया और विना जांच के लिये इन्कार कर दिया। सुबह एलीगेशन लगाया और शाम को इन्कार कर दिया। कोई भी सूचना आयेगी मौत की और कह देंगे भूख से नहीं मरा है।

तो मेरा यह निवेदन करना है कि इसके बारे में मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है और बड़ा ही मानवीय सुझाव है कि 3 सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर दी जाये—इसमें मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब आप एक वर्शन दे रहे हैं और हमारे पास डोकुमेन्टरी प्रूफ हैं, टेप रेकर्डेड प्रूफ हैं माननीय मंत्री महोदय अभी घोषणा कर दें कि वह स्वयं चलेंगे और विजयनगर और एक दो स्थानों पर चलकर जांच कर लें। कल के बाद परसों छुट्टी है और कल हम उनके साथ में चले जायेंगे। इतना तो होना चाहिए अन्यथा आप बहुमत के आधार पर जनतंत्रीय परम्पराओं को तोड़कर और प्रजातंत्र का जनाजा निकाल करके और संविधान में आग लगाकर चलना चाहते हैं और मौन रहना चाहते हैं यह उचित नहीं है। यह सारा सदन, विवेक और सब मौन बेकार है। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको स्वीकार करलें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री गुमानमल लोढा : इस बात पर लॉजिकल कन्क्लूजन पर पहुंचना बहुत आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदय को साथ चलने में भी इन्कारी है ?

श्री केदारनाथ : अब तो कन्सर्न्ड मंत्री जी भी आ गये हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आप हमारे साथ कल चले चलिये। सिर्फ एक केस ही ले लीजिए और सिर्फ विजयनगर ही चले चलिये और चलकर जांच कर लीजिए। 'टेक आनली वन केस'।

श्री केदारनाथ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक एडजॉर्नमेन्ट मोशन पर बोलते हुए कोई इन्नोसेन्ट सुझाव आ जाये कि अकाल से मृत्यु हुई है उसके लिये सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बना दी जाये। वह तो रूलिंग पार्टी के हाथ मजबूत करने की बात है और सेन्टर के सामने भी हमारा केस अच्छी तरह से प्लीड हो जायेगा। इसलिए सुझाव के रूप में रूलिंग पार्टी को मानने से इन्कार नहीं करना चाहिए और हम नहीं चाहते कि मौत के नाम से कोई पॉलिटिकल कैपिटल हम अर्न करें। फिर भी हम नाराजगी प्रकट करेंगे यदि हमारे ऐसे इन्नोसेन्ट सुझाव को भी नहीं माना गया तो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, इसका क्या नतीजा निकला ?

श्री चन्दनमल वैद : क्या नतीजा निकलता। बोल लिये।

श्री गुमानमल लोढा : वह अकाल राहत मंत्री नहीं, अकाली मंत्री हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल मंत्री जी आ गये हैं और एवीडेन्ट्री प्रूफ के साथ में, डाकुमेन्ट्स के साथ में हमने कहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौनसी दिक्कत है। कल शाम को चलें। आपको छूट है चाहें जब चलें। आप चाहें तो इस बात के लिए औपचारिक घोषणा मत कीजिए लेकिन वहां जाकर इन्वेस्टीगेशन करके आ जाइये। आप पटवारी की रिपोर्ट के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आखिर हम यह सब कैसे टॉलरेट कर सकते है, आज की एज में। इस प्रकार से सदन में बैठना बेकार है। हर मसले को बहुमत के आधार पर रोक दिया जाये तो यह तो जघन्य स्थिति बन जाती है जिसमें सदन में बैठना अर्थपूर्ण नहीं लगता। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी विवशता को भी समझ सकता हूं क्योंकि आसन सरकार को मजबूर नहीं कर सकता और इस प्रश्न पर किसी प्रकार का निर्देश नहीं दे सकता और आसन मंत्री महोदय को केवल उसी बात के लिए बाध्य कर सकता है जो कि नियमों में है और मंत्री जी यदि हठ करलें तो भी आप इन्टर फियर नहीं कर सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आसन के मन को समझा जा सकता है। उसकी उद्विग्नता को समझा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री गुमानमल लोढा : इस मामले में हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री मोहरसिंह।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि टेप रेकर्डर प्ले मत करो और हमने नहीं किया। हम चाहते हैं कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार और बहुत ही शालीन तरीके से इसका फैसला किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरी भी अर्ज सुन लें। आपने प्रश्न यह उठाया कि इस मसले पर सदन की एक समिति का गठन किया जाये। मैंने कहा कि आज की

(श्री उपाध्यक्ष)

कार्य सूची में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है और न संकल्प ही है इसलिए इस पर किसी तरह का विचार नहीं किया जा सकता। चूंकि यह सूचना केवल माननीय अध्यक्ष जी ने आपका स्थगन प्रस्ताव आया उसके सम्बन्ध में आपको दी है कि आपका यह स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा गया है। आपके विचार आज आपने सरकार के सामने व्यक्त कर दिये और यह आपको अवसर मिला है। आप मंत्री जी के साथ कहीं जाना चाहते हैं, मौके पर जाना चाहते हैं, यह आपके और उनके बीच की चीज है और आसन इसमें कुछ नहीं कर सकता और न मैं आदेश ही दे सकता हूं किसी समिति के गठन का और न नियमों में प्रावधान है कि आसन निर्देश दे सके कि समिति का गठन किया जाये। ऐसे मामलों में पहले भी व्यवस्था हो चुकी है, आसन कोई निर्देश नहीं कर सकता समिति के गठन के लिए। इसलिए मैं समझता हूं····

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अच्छे मूड में आये हैं और लगता है कि वह स्वीकार कर रहे हैं इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : यह यहीं समाप्त होता है और मैं इसको क्लोज करता हूं।

श्री मोहर सिंह।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, गुलाबसिंह जी आये हैं और वह कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए पहले उनकी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह–आपका स्थगन प्रस्ताव है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस मामले में तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। कभी हां भी कीजिए, कभी इकरार भी कीजिए।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, अकाल के नाम से मौतें हुई हैं और इस सुझाव को नहीं मानने का मतलब यह है कि रूलिंग पार्टी इससे पालिटिकल केपिटल अर्न कर रही है और मैं इसके विरोध स्वरूप वाक आउट करता हूं जबकि हमारा इतना इन्नोसेन्ट सुझाव भी नहीं मानते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्यों का सदन से बहिगमन)

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भूख से रोजाना लोगों की जानें जा रही हैं और इस सदन के तीन या पांच सदस्यों की समिति आप बनाना नहीं चाहते हैं और न इसके लिए तैयार हैं इसलिए इसके विरोधस्वरूप हम सदन से वाक आउट करते हैं और मेरा एक और स्थगन प्रस्ताव था वह मेरे जाने के बाद कार्यवाही से रह जायेगा लेकिन इसकी भी परवाह नहीं करते हुए और अकाल के प्रश्न को अहमियत देते हुए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

[श्री मोहरसिंह (भाकपा) का सदन से बहिर्गमन]

(जनता मोर्चा के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी तरफ से तो इजाजत है।

सूचना-प्राप्ति-प्रश्न

चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट पर हैंडग्रेनेड फेंकने सम्बन्धी घटना

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑन ए पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशन, सर । मैंने माननीय चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट पर जो घातक और बर्बर हमला हुआ हैंडग्रेनेड द्वारा उसके सम्बन्ध में एक प्रस्ताव यहां पर अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया है और चूंकि यह ऐसा बर्बर हमला फासिस्टवृत्ति का एक परिचायक है, मैंने निवेदन किया था कि इस प्रस्ताव पर आज ही विचार किया जाये । मैं चाहता हूं कि उसका समय निर्धारित कर दें क्योंकि यह प्रश्न विरोधी दल का ही नहीं बल्कि सत्ता दल का भी एक मत का प्रश्न है इसलिए इस प्रश्न पर विचार करने हेतु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही समय निर्धारित किया जाना चाहिए और आज नहीं तो कल उसका समय निर्धारित किया जाना चाहिए । ऐसा मैंने निवेदन किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव तो नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अण्डर आर्टिकल 119 है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर प्रस्ताव है˙˙

श्री उपाध्यक्ष : अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इन्फार्मेशन चाही है आसन से ।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह इन्फार्मेशन चाही है कि आज उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की कार पर ग्रेनेड फेंकने की जो घटना हुई है उसके बारे में यहां प्रस्ताव रखना चाहा है और उसे माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत किया है । मैंने टेबल आफीस से जानकारी की है । वह प्रस्ताव अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने विचाराधीन है और उसको एग्जामिन कर रहे हैं और आपकी यह भावना है कि इस पर कल किसी समय यहां विचार किया जावे, मैं मावली से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह माननीय अध्यक्ष महोदय से उनके चेम्बर में सम्पर्क स्थापित कर लें˙˙˙

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा निवेदन है कि यह एक मत का प्रस्ताव है और भर्त्सना का प्रस्ताव है मोशन के जरिये । यह सारा सदन इसके साथ है और सदन के प्रस्ताव के रूप में लिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री केदारनाथ : अगर आज इसको नहीं लिया गया तो मान्यवर इसकी अहमियत नहीं रहेगी । इसके पहले जो भी स्टेट असेम्बलीज सेशन में हैं वे चिन्ता का, निन्दा का प्रस्ताव पास कर देंगी तो इसकी अहमियत कल नहीं रहेगी । इसलिए हमारा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी उग्रता को और आप सब की संवेदनशीलता को अनुभव करता हूं और इसलिए मैंने निवेदन किया कि चूंकि यह आज की कार्यसूची में नहीं है और कार्यसूची में संशोधन करने का अधिकार केवल अध्यक्ष महोदय को है इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, पहले भी निवेदन किया और अब पुनः निवेदन कर रहा हूं कि मान

(श्री उपाध्यक्ष)

नीय अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क स्थापित कर लें। यदि वे उचित समझें और आज की कार्यसूची में रखना चाहें तो यह उनके विवेक पर निर्भर करता है। मैं निवेदन करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय से उनके चैम्बर में सम्पर्क स्थापित करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके उन पर रोक लगादी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज इस बात को कह कर कि वह भी राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेज दिया गया है, मैं समझता हूं कि इसको राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा, ससम्मान निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी प्रस्ताव आज तक राज्य सरकार के जानकारी के लिए गए हैं, सदन की कार्यवाही 31 मार्च को समाप्त हो जावेगी और वह जानकारी आने वाली नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण है···

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : पिछली बार भी इसी राज्य सरकार ने एक विधेयक लाकर, स्टेट की आवश्यक सेवाओं के नाते विधेयक लाकर राज्य सरकार ने हड़तालों पर रोक लगाने की कोशिश की थी और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के इस कदम का घोर विरोध करना चाहता हूं, और उस समय भी पूरे राजस्थान की भावना को समझ कर और सदन की भावना को समझ कर राज्य सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया था, उसके लिए राज्य सरकार को वहां पर धन्यवाद दिया था लेकिन यहां पर जो इस प्रकार गृह विभाग ने अधिसूचना निकाली है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं, और घोर निन्दा इस मायने में करता हूं कि राज्य सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनकी तिथियों के बारे में आज अनिश्चितता है, दूसरी ओर विश्वविद्यालय के जितने शिक्षक हैं वह अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जो चाहे स्थायी हों या अस्थायी हों, अड़े हुए हैं कि हम न तो परीक्षा लेंगे, न कॉपियां जांचेंगे और न वहां पर मौजूद रहेंगे और इस बात को लेकर 24 तारीख से राजस्थान विधान सभा के सामने अपने धरने का कार्य-क्रम प्रारम्भ करेंगे। 5 अप्रेल तक उनका कार्य-क्रम है वह चलेगा और निवेदन करना है कि उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक हमारी मांगें स्वीकार नहीं की जायं हम परीक्षा कार्य में किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर एक ओर तो राज्य के कर्मचारी चाहे वह अपने कर्मचारी हों, चाहे लोकल सेल्फ के कर्मचारी हों, अपनी वाजिब मांगों को लेकर आते हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के कर्मचारी हमारे अंग हैं उनकी वाजिब मांगें राज्य सरकार को माननी चाहिये और उनको

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके निश्चित तिथियां एग्जामिनेशन की घोषित करना राज्य सरकार का परम कर्त्तव्य है। वह विधेयक वापिस ले लिया लेकिन यहां गृह विभाग से इस समय अधिसूचना निकालना किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। तो शिक्षा के अन्दर चाहे निर्देशक कार्यालय के अन्दर, माध्यमिक शिक्षा में, नगरपालिकाओं में या पंचायत के क्षेत्रों में यदि कोई कर्मचारी काम करते हैं, यदि उनकी भी वाजिब मांगें हैं शिक्षकों के साथ स्थानीय जो स्वायत्त शासन सेवायें हैं उनके भी कर्मचारी अपनी वाजिब मांगें हैं उनको मानना सरकार का कर्त्तव्य है। मैं निवेदन करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में असंतोष है, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनमें असंतोष है और यह सरकार यह मान ले कि हम तो नकटे बने बैठे रहें, हमारे कन्धे पर तोपें हैं तो हमें ठम ठम से क्या डरना है तो राज्य सरकार को यह घमण्ड हो जाना और नकटे बने रहना उचित नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में पहले भी यह प्रश्न आया था और यह प्रिविलेज का मोशन बन जाता है। जब विधान सभा में शिक्षकों की मांगों के बारे में यहां पर मुख्य मंत्रीजी और श्रीमान शिक्षा मंत्रीजी के सामने जब बात की गई, विधान सभा का जिस समय सत्र चल रहा है तो उस समय सदन को विश्वास में लेकर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के ऊपर, अपनी स्थानीय स्वायत्त शासी सेवाओं की हड़ताल पर रोक लगा दे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का एक प्रकार से निश्चित रूप से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अपमान है और यह सदन का मैं समझता हूं कि प्रिविलेज का मोशन बनता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मेरा विनम्र निवेदन है कि राज्य सरकार इस निकम्मे, इस काले कानून को तुरन्त वापस ले और राज्य सरकार, अपने शिक्षा मंत्रीजी हैं, मुख्य मंत्रीजी हैं वह मुख्य मंत्रीजी गृह विभाग के नाते और शिक्षा मंत्रीजी शिक्षा के नाते इस प्रकार की अधिसूचना गृह विभाग से जारी कराते हैं तो मैं मानता हूं कि विधान सभा में प्रिविलेज का मोशन बनता है। यह सदन का अपमान है। 31 तारीख को विधान सभा का सत्र समाप्त हो जाएगा और 8 तारीख तक आन्दोलन चलेगा, तिथियां घोषित हुई नहीं कि एग्जामिनेशन कब होंगे, विद्यार्थी क्षेत्र में इस बात का भयंकर असंतोष है। हमारे बालकों में, नन्ने मुन्नों में इस बात को लेकर असन्तोष है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि उनके पर्चे कौन तय करेगा, उनकी कॉपियां कौन जांचेगा, कौन रिजल्ट तैयार करेगा, इस प्रकार की अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि यह अधिसूचना जो राज्य सरकार ने गृह विभाग से निकाली है उसे सरकार वापिस ले और निश्चित रूप से आज ही की तारीख में माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी का वक्तव्य सदन में हो जाय तब तो यह उग्रता शांत होगी। और फिर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सदन में नहीं कहेंगे तो फिर कहाँ कहेंगे? 31 तारीख के बाद कौन सुनने वाला है? इसलिए इसक

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
अहमियत को देखते हुए आज ही सदन में वक्तव्य दिया जाय और गृह विभाग की अधिसूचना को वापिस करने की घोषणा की जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, दो ही मुद्दे मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। अभी तक तो आप शिक्षक दिवस मनाते रहे हैं और शिक्षकों का बड़ा सम्मान और उनके प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते रहे हैं और यह समझते रहे हैं कि शिक्षकों को सम्मान देने से समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है और हमारी भावी पौध आगे बढ़ेगी। आपका यह कदम बिल्कुल विपरीत जा रहा है। जो शिक्षक वर्ग अभी तक मौन था, मांगों के प्रति और मौन रह कर आपको निवेदन किया करता था, उसको आप उग्र बनाना चाहते हैं ताकि समाज का धरातल हिल जाय। इस शिक्षक वर्ग को सम्भालना, उनको सुविधायें देना और उनको सम्मान और स्नेह देकर उनको सम्भालना आपका कर्त्तव्य था लेकिन न जाने कैसे, क्यों और किसके कहने से डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अन्दर आपने इस शिक्षक वर्ग की स्ट्राइक को नियंत्रित करके और शिक्षक वर्ग को उग्र बना दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपकी भावना उनके प्रति है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसको समझ कर चलना चाहिए इस विधान सभा का सत्र आरम्भ है आपने यह कदम डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत उठा कर और शिक्षकों पर नियंत्रण लगाया है यह नियंत्रण मेरा विश्वास है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह मान कर चलना चाहिए आपने सदन की अवेहलना की है। यह प्रतिबन्ध लगाने के पूर्व आप को इस सम्बन्ध में सदन को अवगत कराना था कि यह सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए, सदन को कोन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था और इस नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य देना चाहिये था। इसलिए आपने ऐसा न करके शिक्षक वर्ग को ही नाराज नहीं किया है लेकिन सदन की गरिमा पर भी ठेस पहुंचाने का प्रयत्न किया है। मैं यह चाहता हूं कि आप इस नोटिफिकेशन निकालने के पूर्व सदन को कान्फीडेन्स में लेते। यदि इससे पूर्व ही आप सदन को कान्फीडेन्स में लेते या उसके बाद सदन को जानकारी देते कि आपने इस विवशतावश यह जारी किया है और उसका आधार बतलाते हुए अपना स्पष्टीकरण करते कि इस आधार पर आपने यह कदम उठाया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आप शिक्षकों को विश्व-विद्यालय के शिक्षकों को, इस नोटिफिकेशन के आधार पर उद्विग्न न करें। आप उन से मिलें, सहानुभूति दें और उनको समझावें और उनमें उग्रता न आने दें वरना यह उग्रता सारे राजस्थान में फैलेगी। मैं यह समझता हूं कि आप शिक्षा मंत्रीजी सदन से क्षमा याचना करें क्योंकि आपने इस सदन की अवहेलना की है और यह बतलावें कि आपने यह कदम क्यों लिया?

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के ऊपर रोक के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव है उसका मैं····

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने प्रस्ताव के बारे में ही बोलें·····

श्री मोहरसिंह : दोनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ···

श्री उपाध्यक्ष : इनके बारे में न बोलें····

श्री मोहरसिंह : क्या मुझे हक नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष : आप को हक तो है मेरी बात सुन लीजिये····

(शोरगुल)

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदन की गरिमा का प्रश्न है। राज्य कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है···

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने हमें यह कहा था, प्रिविलेज मोशन है, इसी पॉइन्ट पर प्रिविलेज मोशन है, वह मोशन उनके सामने विचारार्थ है उन्होंने यह आदेश दिया है कि जिस समय यह एडजोर्नमेन्ट मोशन आवे उस समय इस पर आप अपने विचार प्रकट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानकारी कर लूंगा···

श्री मोहरसिंह : ···· उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का हुक्म निकालना, आदेश देना, नोटिफिकेशन निकालना कि राज्य कर्मचारी किसी प्रकार से कोई हड़ताल नहीं कर सकते और नगरपालिका, पंचायत समिति, इस सब में जो एम्पलॉइज हैं, उन पर भी यह रोक लगी है तो यह वास्तव में आज के समाजवादी युग में कहां तक अनुकूल होगा। प्रजातन्त्र की मर्यादाओं के अन्दर हड़ताल कर रोष जाहिर करना, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना, और उस वक्त भी हड़ताल न कर सकें तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां तक प्रजातन्त्र के उसूलों के अनुकूल है ? इसी तरह से आगे बढ कर यह प्रतिबन्ध लगाया है जब कि सदन सेशन में है, तो यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। अध्यादेश निकाल करके प्रतिबन्ध लगाकर के इस सदन के महत्व को कम किया जा रहा है। यह एक प्रकार से सदन के कार्य पर रोक लगाना है। इसका हम प्रबल विरोध करते हैं। सदन के कार्य पर रोक लगाने का यह अध्यादेश है जिसके द्वारा आपने हड़ताल पर रोक लगाई है। सरकार का यह कदम बड़ा भारी आपत्तिजनक है इसलिए इसको तुरन्त वापिस लिया जाना चाहिये। भार्गव साहब ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है. तहेदिल से मैं उसका समर्थन करता हूँ···

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री गुमानमल लोढा : इनको कह लेने दीजिये।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एशेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स एक्ट 1970, इसके तहत 3 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकला है–तीन तरह की सर्विसेज को एशेन्शियल ट्रीट करने के बाद इन की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। मान्यवर, इसके अलावा जितनी सारी पंचायत समितियां हैं, लोकल बॉडीज और दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, इनके अन्दर जितने एम्पलॉइज काम करने वाले हैं, उन एम्प-

(श्री केदारनाथ)
लॉईज के हड़ताल करने का जो फन्डामेन्टल राइट है मौजूदा कान्स्टीट्यूशन के तहत उस पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। 8 मार्च को मान्यवर यूनिवर्सिटीज में काम करने वाले लेक्चरार, प्रोफेसर, टीचर्स और एफीलिएटेड कॉलेजेज के टीचर्स की पे-स्केल के रिविजन का प्रश्न हो, हो, बढ़ोतरी का प्रश्न हो, केन्द्रीय सरकार के एजूकेशन डिपार्टमेन्ट यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट कमीशन की जो रिकमण्डेशन है उसके आधार पर मान्यवर हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने यहां पर यह कहा था कि यह हमारे विचाराधीन है और जब ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, उसके बाद नोटीफिकेशन निकाल देना एक ग्रेटनिंग की तरह है। यह कदम आपने जब उठाया है जबकि उनकी मांगे आपके विचाराधीन हैं, आपके और उनके बीच डायलॉग चल रहा है। उससे पहले पेशबंदी करके यह ऑर्डिनेन्स निकाल दिया गया है—एशेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति हड़ताल करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जायेगा। मान्यवर, एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन में काम करने वाले टीचर्स फैसला कर लें तो जितने प्रेक्टिकल एक्जामिनेशन हैं वे बेकार हो जाएंगे। इससे कितना बड़ा क्योस (chaos) पैदा हो जायेगा एजूकेशन सेक्टर में, यह क्योस फेस करने की, मैं समझता हूं, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी क्षमता भी नहीं है। इसमें स्टूडेन्ट इनवोल्व होंगे। राजस्थान का शहर, कस्बा कोई इससे अछूता नहीं रहेगा और हर इन्स्टीट्यूशन इससे प्रभावित होगी। मान्यवर, यह देखना आपका फर्ज है, दूसरी स्टेट्स ने भी, जो तीन, चार स्टेट्स डेफिसिट में है उन्होंने भी केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने जो हिदायतें दी हैं, मान लिया है। हमारा यह निवेदन है कि आप उनसे बातचीत कीजिये, इसका कोई रास्ता निकालिये ताकि एग्जामिनेशन हों। मान्यवर यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी बनता है, हाउस सेशन में है और सरकार ने इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है····

श्री उपाध्यक्ष : यह मोशन तो अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है उस समय बोल लें।

श्री लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया हुआ है वह सरकार के विचाराधीन है और प्रस्ताव चूंकि इस संदर्भ में है तो अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि अपने विचार इस प्रस्ताव के समय रख दें।

उपाध्यक्ष महोदय, ये दो प्रश्न हमारे सामने आये हैं। एक तो यह है कि राजस्थान में जितने विद्यार्थी हैं उनके जीवन में यह समय जिस प्रकार गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि पिछले कई वर्षों में या आज तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है। वे आश्वस्त नहीं हैं कि परीक्षाएं होंगी। कई प्रकार की धारणाएं चल रही हैं। हड़ताल चल रही है। यह घोषणा भी हुई है कि विधान सभा पर धरना दिया जाये। नियमानुसार पेपर्स सेट होने चाहिये कम से कम एक डेढ़ महीने पहले से तैयार होने प्रारंभ हो जाते हैं। परन्तु पेपर सेट नहीं हो रहे हैं और सारा का सारा विद्यार्थी वर्ग आज असमंजस में है—पढ़ाई करें या न करें। यह स्थिति है और, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कोई निर्णय न ले—यह समझ में आता है कि राज्य सरकार कोई निर्णय ले और निर्णय लेकर उसकी पालना करवाये।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
राज्य सरकार की निर्णय लेने की स्थिति न बने और उसमें भी यह बात-स्थिति बने, मैं जोधपुर में था, तब यह खबर आई कि मंत्रिमण्डल की बैठक हो रही है, बैठक हो चुकी है लेकिन एक प्रगतिशील मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। यह मैंने प्रोफेसर, विद्यार्थियों से सुना कि प्रगतिशील मंत्री के विरोध के कारण मामला रुक गया। एक प्रगतिशील मंत्री के विरोध के कारण राजस्थान के दस लाख विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया। तीन करोड़ रुपये मिलने वाले थे, 6 साल के अन्दर, और इस साल 50।60 लाख रुपया मिला, उससे यह राज्य वंचित रह जायेगा और दूसरी तरफ इस प्रकार की क्योस की स्थिति बन गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हम इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहें, चाहे वह कोई भी मोशन हो, मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सारी केबिनेट के लोग यहां पर बैठे हैं, उधर बैठने वाले सदस्यों का ध्यान भी हम आकर्षित करना चाहते हैं, कोई भी मंत्री हो, परन्तु यह शिक्षा मंत्री का दायित्व है, मुख्य मंत्री का दायित्व है, वित्त मंत्री भी इसके पक्ष में है, फिर समझ में नहीं आता एक प्रगतिशील मंत्री के विरोध से यह मामला कैसे रुक गया। यह एक अनहोनी बात है . . .

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका स्पष्टीकरण कर दें—प्रगतिशील मंत्री कौन हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : मैं इस पर बोलना नहीं चाहता—कौन मंत्री हैं और कौन नहीं। मेरा किसी मंत्री से लगाव नहीं है और न कोई किसी से विरोध ही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिस बात से जनता का लाभ होता हो, हित होता हो, उस बात की स्वीकृति राज्य सरकार को देना चाहिये। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मंत्री महोदय, ने आश्वासन दे दिया इस पर विचार हो रहा है। लोग रोजाना इन्तजार करते रहे कि आज घोषणा होगी और वह घोषणा न होकर कपटद्वार से यह इसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स एक्ट के तहत, इमरजेन्सी की कपटद्वार से, एक आज्ञा जारी कर दी जाये सरे ड्योढ़ी से आये नहीं और यह कपट द्वार, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा हो गया है कि हर काम को करने के लिए कपटद्वारे का उपयोग करें। विधान सभा में घोषणा न करें। यहां पर मुख्य मंत्री घोषणा करते कि इस प्रकार से सरकारी कर्मचारी, शिक्षक प्राध्यापकों की हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाते हैं और उसके यह कारण हैं, 1-2-3-4। यह कारण आप देते और उसका हम यहां पर विवेचन करते। आपकी बात भी सुनते और हमारा व्यू पाईन्ट भी रख देते। यह तो होती लोकतन्त्रीय परम्परा, लेकिन कपटद्वारे से नोटीफिकेशन निकाल दिया कि किसी प्रकार की हड़ताल करना शिक्षकों, कर्मचारियों वगैरह के लिए आफेन्स होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वही बात हुई कि आपने चीखने-चिल्लाने पर और जबान खोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। केबिनेट में डिसकशन कर दिया और निकाल दिया। अब विधान सभा समाप्त हो जाय तो उसके साथ में ही राजस्थान पुलिस को कह दिया जायगा कि डंडे उठा लो और आ जाओ यूनिवर्सिटी के मैदान में। युनिवर्सिटी के कैम्पस में घुस

Page No 57

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जाओ और जो हड़ताल या धरना कर रहे हैं उनको डाल दो जेलों में। शिक्षा मंत्री जी को जेल मंत्री बना दिया है। और दमन का ताण्डव नृत्य राजस्थान में प्रारम्भ कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या यह हमारे लिए सब के लिए, चिन्ता की बात नहीं है? प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं यह तो माननीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन यह संसदीय परम्परा की बात नहीं थी। लाखों राजस्थान में कर्मचारी हैं, पटवारी हैं वे भी कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं वह भी कर्मचारी हैं, आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं वह भी कर्मचारी हैं सब, शिक्षक हैं वह भी कर्मचारी हैं सब पर प्रतिबन्ध लगा दिया हड़ताल करने का तो यह बहुत गम्भीर मामला है और इसके ऊपर एक और यह है कि इसको बैकडोअर से लाया जाय और दूसरी ओर इसके बारे में घोषणा नहीं की जाय। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन तो माननीय अध्यक्ष तय कर देंगे और जैसा भी निर्णय वह देंगे वह स्वीकार कर लेंगे कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन है या नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि माननीय सदस्यों के साथ में यह अशोभनीय अवश्य है सत्तापक्ष की ओर से कि आज उनको डार्क में रख कर इस प्रकार का नोटीफिकेशन निकालें।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्षमा मांगें। मुख्य मंत्रीजी से नहीं कहा शिक्षा मंत्री जी से कहा, लेकिन जो नोटिफीकेशन निकाला है उसमें सब शामिल हैं। तो सब खड़े होकर क्षमा मांगें तो यह लोकतन्त्रीय होगा। डंडे के बल पर यदि शिक्षा मंत्री जी करें तो इसके बारे में स्पष्टीकरण कर दें। केबिनेट मीटिंग और कर लें। मैं माननीय मंत्रीजी का हृदय परिवर्तन करना चाहूंगा कि आज उन विद्यार्थियों की, शिक्षकों के कान्शस की आवाज को सुनलें जो कान्शस की आवाज राष्ट्रपति के चुनाव के समय सुनी थी। आज शिक्षकों की आत्मा की आवाज को सुन लें और सारी केबीनेट बैठकर उसको पारित कर दें और घोषणा कर दें ताकि डेडलाक रिमूव होगा।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव के खड़े होने पर) माननीय सदस्य, मैंने तो आपको पहले ही निवेदन किया था। उस समय आप बोले नहीं। दुबारा चान्स लेना चाहते हैं यह कैसे सम्भव है?

श्री मोहरसिंह : आपने दुबारा भी तो कहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है...

श्री केदारनाथ : शिक्षा मंत्रीजी जवाब देना चाहते थे कुछ।

श्री मोहरसिंह : वह जवाब देने के लिए नहीं प्रतिबन्ध लगाने के लिए हैं।

श्री केदारनाथ : अभी पेपर्स सेट हुए नहीं और एक्जाम की डेट पोस्टपोन करते जा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह मंत्रीजी भी साथ में बिराजे हुए हैं प्रगतिशील कहलाने वाले।

श्री केदारनाथ : सरकार डिवाइड एण्ड रूल पैदा करके आज भी टीचर्स यह तय नहीं

(श्री केदारनाथ)

कर पाये हैं और बहुत सारा वक्त लग जायगा तो आप ऐसी हालत में आप उनकी बात को सुनकर डेडलाक जो क्रियेट हो गया है उसको खत्म करने का हल निकालें और रिवीजन उनको दे दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी का या मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमेंट कब आयेगा ? यह बड़ी अहमियत का प्रश्न है। वह कहते तो यह हैं कि यह मेरे परिवार के लोग हैं और मैं इनको अपना मानकर चलता हूं और आधी रात को भी आ जायें तो इनकी बात को सुनने को तैयार हूं। यह मुख्य मंत्रीजी बार बार घोषणा करते हैं और राज्य कर्मचारियों को अपने परिवार का बताते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बढ़कर कोई अहमियत का प्रश्न नहीं हो सकता है। शिक्षकों में असन्तोष है, विद्यार्थियों में असन्तोष है, राज्य-कर्मचारियों में असन्तोष है और स्वायत्त शासन संस्थाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों और विभिन्न प्रकार की स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारियों में असन्तोष है तो राजस्थान में भयंकर रूप से लोगों में असन्तोष है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट दे इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वर्ना राज्य सरकार बिल्कुल विनाश के कगार पर खड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि कर्मचारी अगर असहयोग करने लगेंगे, शिक्षक असहयोग करेंगे तो यह राज्य सरकार अधिक दिन नहीं टिकने वाली है क्योंकि यह काला कानून पास करने वाली सरकार है। यह मैं समझता हूं कि एक महान् निकम्मा रद्दी की टोकरी में डाला जाने वाला राज्य कर्मचारियों पर कुठाराघात करने वाला, स्वायत्त शासन संस्थाओं पर कुठाराघात करने वाला, शिक्षकों के साथ में ज्यादती करने वाला कानून है। ऐसा निकम्मा कानून और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इस पर गम्भीर रूप से विचार होकर राज्य सरकार को बाध्य किया जाय कि वह इस सूचना को वापिस ले और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे। माननीय उपाध्यक्ष, इससे ज्यादा गम्भीर और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है।

मैं समझता हूं कि अकाल का गम्भीर प्रश्न था लेकिन यह तो सम्पूर्ण राजस्थान आग में लगाने वाला प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष, इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि यहां पर विरोधी दल के नेता बैठे हुए हैं और सत्तारूढ़ दल के लोग बैठे हुए है। माननीय उपाध्यक्ष, आप मेरी भावनाओं की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार को इस अधिसूचना को वापिस लेने के लिए बाध्य करें···

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और राज्य सरकार को स्टेटमेंट देने के लिए कहें।

श्री रामगोपाल : उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार बजे मुखबन्द होने वाला है···

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भादरा तहसील में शराब से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बाबत मेरा स्थगन-प्रस्ताव है। चार व्यक्ति भादरा के रहने वाले—भारतसिंह, नथू, रणजीत और भारतसिंह का लड़का। ये चार व्यक्ति

(श्री मोहन सिंह)

भादरा शराब के ठेके की दुकान पर साढ़े 6 बजे गये और दो बोतल शराब लेते हैं। एक हरे रंग की बोतल थी और दूसरी गुलाबी रंग की थी। वह साढ़े 6 बजे शराब की बोतल लेकर गांव में आते हैं और 8॥ बजे शराब पीते हैं और 10 बजे नत्थू और रणजीत जिनका पास में घर था वहां पर जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं और करीब डेढ़ बजे उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर भारतसिंह का 17 वर्ष का लड़का समाप्त हो जाता है। सुगन भारती बेहोश पाया जाता है। वह थाने में रिपोर्ट करता जाता है। इस प्रकार का अगर कोई मामला है तो तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। यह 13 तारीख का जिक है। सुना है कि शराब के ठेके को जब्त कर लिया गया है। उसमें क्या किसी प्रकार की यह घृणित कार्यवाही ठेकेदार की हो तो उन पर कार्यवाही होना चाहिये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सुनते हैं कि शराब में इस प्रकार की मिलावट हो। शायद कोई जहर मिलाया गया हो। व्यक्तिगत वैर निकाला गया हो। क्या बात है? इस मसले पर जल्दी से कार्यवाही करके जो दोषी हो उसको दंडित करना चाहिए।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान पशु चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अनुदान की मांगें मांग संख्या 43, 18 व 44

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री खनिज मंत्रीजी।

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,89,24,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(विराम)

श्रीमती कमला बेनिवाल (राज्य मंत्री, सूचना और प्रचार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 18 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
राज्यपाल महोदय को 48,89 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 44 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,13,51,000 तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग सं. 43, 18 व 44 पर कटौती प्रस्ताव

श्री मनोहरलाल (कामां)
श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)
श्री मीठालाल मीणा (लालसोट)
श्री गिरधारीलाल भार्गव
(हवामहल बाजार, जयपुर)

1. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खनिज बाहुल्य होते हुये भी इसका उपयोग करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 528 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के खनिज क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं टूटी हुई सड़कों के निर्माण, सुधार एवं मरम्मत की चर्चा के लिये)।

3 श्री जयकिशन तोसावड़ा (फागी): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण के अभाव पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी तहसील में अभ्रक के लिए सर्वेक्षण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना एवं प्रचार के माध्यम ग्राम ग्राम में जाकर किसानों को अपनी सही स्थिति का भान कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

6. श्री दीपंकर (लाडनूं) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायल्टी की वसूली में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज सम्पदा से सम्बन्धित उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-सम्पर्क विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कलकत्ता—दिल्ली स्थित सूचना केन्द्रों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(श्री दीपंकर)

10. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 523 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोडियम सल्फेट प्लांट के विस्तार में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 523 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना सोडियम फैक्ट्री में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

12. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-गर्भ में पड़े भण्डार का उचित सर्वेक्षण करने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के सुधार हेतु जितना धन रखा गया है उसका उचित फल प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के सूचना केन्द्र जो अन्य राज्यों में स्थापित किये गये उन केन्द्रों द्वारा प्रदेश की उचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-सम्पर्क विभाग द्वारा विज्ञापन देने में बरती जाने वाली भेदभाव की प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

16. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों का ठेका मन-मानी रेट पर देने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना और प्रचार की संतोषप्रद व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

19. श्री मीनसेन (लूणकरणसर): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 528 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशल कारीगरों को रॉक फास्फेट खानों पर स्थानान्तरित करने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना कोयला खान के विकास पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 1.0 रुपया कम कर दिया जाय (घड़साना से आनन्दगढ़ व राजस्थान नहर की पूगल शाखा की आर. डी. 112 कालोनी तक 6 मील लम्बाई × चार मील चौड़ाई एवं कहीं कहीं 10 से 20 फुट मोटाई तक जिप्सम उपलब्ध है इस सम्बन्ध में सर्वे

(श्री भीमसेन)
करके इस खनिज के उपयोग पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की बीकानेर, चूरू, लाडनूं के कच्चे माल की खरीद, तैयार माल की बिक्री के लिये समुचित प्रशासनिक व्यवस्था करके ऊनी उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु ऊनी धागे के उपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

23. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारशहर) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में अपर्याप्त एवं टूटी हुई सड़कों के निर्माण, सुधार एवं मरम्मत के लिये राज्य सरकार की अत्यन्त उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

24. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग के माध्यम से शाहबाद पंचायत समिति की खनिज सम्पदा के विदोहन नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 385 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना और प्रचार के राजस्थान में विस्तार एवं विकास पर चर्चा के लिये)।

26. श्री रामप्रताप बोहरा (झालरापाटन) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पक्के पत्थर की खानों के ठेकेदारों द्वारा रायल्टी की चोरी करने पर चर्चा के लिये)।

27. श्री बलवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खनिज सम्पदा के सही उपयोग न करने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के विस्तार और विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा राजकीय उपक्रमों को सुसंगठित और लाभप्रद बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

30. श्री लूणाराम (डूंगरगढ) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के पट्टे जारी करने में होने वाले घोटालों पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर में खनिज सेलेनाइट के पट्टे देने की प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे छोटे ग्रामों में सूचनार्थ कोई इंतजाम नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री लूणाराम)

33. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 526 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू ऊन मिल में अधिक तकुवे लगाने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

34. श्री फतेसिंह (डीग) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिजकों को विभाग द्वारा सुविधायें दी जायें, इस पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना एवं प्रचार व्यवस्था में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (प्रदेश में राजकीय उपभोक्ता उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

37. श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में खनिज कार्यों को हाथ में लेने तथा उनका सर्वे करने पर चर्चा के लिये)।

38. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खनिज संपदा के उपयोग पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार हेतु चर्चा के लिये)।

40. श्री चेतराम : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले की खानों में मालिकों द्वारा सरकार को पूरा टैक्स नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना एवं प्रचार की सुविधा उपलब्ध कराने व राजस्थान में विकास तथा विस्तार पर चर्चा के लिये)।

42. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में रॉक-फास्फेट की उपलब्धि होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा खनन कराने में उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील के गागरिया स्टेशन (रेल्वे) में जिप्सम का अधिक भण्डार है परन्तु उसके खनन में खनिज विभाग की उदासीनता का रुख अपनाने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खनिज सम्पदा की खोज के लिये नये सिरे से सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में रॉक-फास्फेट की बाहुल्यता होते हुए भी उसका उपयोग करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में सूचना केन्द्र स्थापित करने में उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में सूचना केन्द्र स्थापित करने में उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पचादरा साल्ट में कार्य करने वाले ठेकेदारों और मजदूरों को अपनी मेहनत का वाजिब फल प्राप्त न होने के कारण उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

49. श्री अजीतसिंह (टोंक) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक की खनिज सम्पदा के विकास हेतु चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 726 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक चर्म शोधक उद्योग को सुचारु रूप से चलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

51. श्री रामलाल (बाड़ी) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले की खानों में सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

52. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में खास कर बीकानेर जिले में बजरी की खानों पर लगने वाले मजदूरों से रायल्टी की वसूली में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

53. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानखेड़ा-तहसील वदाना में छिपे हुए खनिज पदार्थों के सर्वे की प्रगति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

54. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील में खनिज पर आधारित उद्योग की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

(श्री मनोहर कोठारी)

55. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा नगर और तहसील में राजकीय क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

56. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में खनिज सम्पदा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

57. श्री नत्थासिंह (नदबई): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की खानों की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में सूचना केन्द्र की समस्या पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में राजकीय उपक्रमों की स्थापना की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

60. श्री माणकचन्द सोगाणी (अजमेर पूर्व): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा कार्य कराये जाने की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये)।

61. श्री भैरूलाल (अकलेरा): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में खनिज सर्वेक्षण में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों को निकाले जाने में सरकार द्वारा बरती गई उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

62. श्री जेठमल बरबड़ (पर्वतसर): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना नगर में नई खानों की लीज देने तथा परवतसर तहसील के ग्रामों में नई रेंजों में खानों की लीज पर देने हेतु चर्चा के लिये)।

63. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में खनिज उद्योगों के विकास की संभावनाओं पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में खनिज सम्पदा का विस्तृत सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर में ग्रेनाइट पत्थर की खान का वैज्ञानिक तरीके से खनन करने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में तांबा

Page No 66

(६६)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
व शीशा निकलने की संभावना के बारे में चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पी. आर.ओ. का पद सृजन करने के बारे में चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों में मैनेजमेन्ट में श्रमिकों की साझेदारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 329 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों में घाटे की व्यवस्था शीघ्र खत्म करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर ऊनी मिल में घाटा निरन्तर बढ़ने के बारे में चर्चा के लिये)।

71. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में जंगलात विभाग से निकाल कर कितनी भूमि खनिज विभाग ने अपने कब्जे में लेकर किस किस खनिज के खनन हेतु आवंटित की उस पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में खान खोदने के लिये छोटे छोटे टुकड़े शिड्यूल कास्ट एवं ट्राइब के लोगों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में मिलने वाली सिलीका सेन्ड का उचित खनन नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में सेन्ड स्टोन की खानों पर राज्य सरकार द्वारा सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के सूचना व प्रचार विभाग की राजनीतिक निष्पक्षता बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

76. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में खनिज विभाग की मिली भगत से रायल्टी की होने वाली चोरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में लाइम स्टोन के खनन पट्टे नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रम विभाग की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

79. श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनन पट्टों की पद्धति में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा तहसील में खनिज क्षेत्र में सड़कों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की अकर्मण्यता से राजकीय उपक्रमों में बढ़ते हुए घाटे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

82. श्री केशरीमल (ब्यावर) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में फैल्स पार और क्वार्ट्ज का भारी मात्रा में मिलने पर उसका उपयोग करने में हो रही ढिलाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

83. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में लाइम स्टोन भारी मात्रा में होने पर भी उपयोग न करने पर चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों के ठीक संचालन हेतु श्रमिकों को संचालक मण्डल में लेने के बारे में चर्चा के लिए)।

85. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों में खरीद फरोख्त में भारी घोटालों को रोकने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 44 मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों को चलाने की वर्तमान दोषपूर्ण नीति और अक्षम व्यक्ति लगाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

87. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर जयपुर) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-गर्भ सम्पदा का विदोहन करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-सम्पर्क विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

89. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना कोयला खान के उत्खनन हेतु कम राशि आवंटित होने पर चर्चा के लिए)।

90. श्री विजयसिंह राठौड (मांडल) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री विजयसिंह राठौड़)
(अभ्रक खानों के विकास हेतु चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों पर कार्य करने वाले मजदूरों को समय पर वेतन न मिलने पर चर्चा के लिए)।

92. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टंगस्टन माईन डेगाना के विकास हेतु प्रावधान नहीं रखने पर चर्चा के लिए)।

93. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों एवं अनुसूचित जातियों को खनिज के ठेके नहीं दिये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुलमेरा जिला बीकानेर के लाल पत्थर का राजकीय इमारतों में उपयोग लिए जाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

95. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में मुलतानी मिट्टी की बन्द खानों से होने वाली राष्ट्रीय हानि एवं बेकारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

96. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजरी की खानों में मजदूरों को होने वाली मौतों की रोक-थाम हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना कोयला के बन्द होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

98. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जायसर एवं घरेरा जिप्सम की खान की अवनति के कारण मजदूरों की बढ़ती बेकारी के लिए चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना कोयला खान को चालू करवाने हेतु चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों में अनुसूचित जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने एवं नियुक्तियों में नहीं लिए जाने पर उपक्रम विभाग द्वारा कोई ध्यान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नशीली वस्तुओं के प्रयोग को रोकने हेतु जिला बीकानेर के ग्रामीण

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
क्षेत्र में जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के मजदूरों को चलता फिरता सिनेमा दिखला कर ज्ञान की वृद्धि कराने हेतु चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के तहसील मुख्यालयों पर सार्वजनिक रेडियो लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मृत्यु भोज के विरुद्ध जन-भावना बनाने हेतु जिला बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र में जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

105. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालाणी) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विरमानिया जिला जैसलमेर स्थित रॉक-फास्फेट की खान का खनन आरंभ कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

106. श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज पदार्थों के खनन में सरकार एकाधिकार की नीति की पोषक रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

107. श्री नानालाल (राजसमंद) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में दरीबा-खान का उत्पादित शीशा-जस्ता द्वारा राज्य सरकार के लाभ हेतु चर्चा के लिये)।

108. श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत माग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा कुछ उद्योगपतियों को अनावश्यक रूप से विशेष सुविधायें प्रदान करने पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रम संस्थाओं के प्रशासन में सुधार लाने पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सार्वजनिक हित के प्रचार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

111. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में खानों की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

112. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर—बांसवाड़ा में खनिज सम्पदा के विदोहन में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

(२२)

(श्री नाथूराम)

113. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रेफाइट परियोजना बांसवाड़ा पर काम शीघ्र कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में उपलब्ध मेगनीज, ग्रेफाइट तथा अन्य खनिजों की उपयोगिता की वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना केन्द्रों की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

116. श्री मीठालाल (लालसोट): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय लालसोट (जयपुर) में खनिजों का सर्वे करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू व लालसोट तहसील में विभाग के ठेकेदारों द्वारा किसानों से अपने निजी कार्य पर लाये जा रहे चेजे, पत्थर व बजरी आदि से नाजायज रायल्टी वसूली करने के कारण किसानों में भारी असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील की बन्द लोहे की खान को चालू न करने के कारण जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट–तहसील के खनिज विकास न करने से व्याप्त जन असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में सूचना केन्द्र स्थापित न करने के कारण जनता में व्यापक असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

121. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-सम्पर्क विभाग की फोटो सेवाओं के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

122. श्री गौरीशंकर (खानपुर): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले के पत्रकारों को दिये जाने वाले विज्ञापनों में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

123. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा): मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों में अव्यवस्था के कारण बढ़ते हुए घाटे की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

124. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों में अव्यवस्था के कारण होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

125. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 726 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शुगर मिल द्वारा सीजन के अन्त में किसानों को अधिक पड़ाई के गन्ने की कीमत दिलाने हेतु कोई ऋण नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग सं. 44, मुख्य शीर्षक 726 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शुगर मिल में गन्ना देर से तोलने पर मिल द्वारा हर्जाना देने हेतु ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 726 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शुगर मिल में किसानों को गन्ना उठाने की गारन्टी दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 726 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने की कीमत का भुगतान समय पर न किये जाने पर उसका ऋण बन्द करने हेतु चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 726 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शुगर मिल में किसान जिस समय गन्ने की कीमत प्राप्त करने हेतु मिल कार्यालय में जाता है, उस समय उसके ठहरने, बैठने की सुविधा का कोई प्रबन्ध करने हेतु कोई प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 726 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगागनर शुगर मिल में किसानों को उसके गन्ने का सही वजन मिल सके उसके लिए आटोमेटिक वैज्ञानिक कांटे लगाने हेतु ऋण दिलाने पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 726 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियमानुसार जो 625 ग्राम प्रति क्वि. कड़दा लेना होता है उसके स्थान पर 2½ किलोग्राम से 4 किलोग्राम तक का कड़दा गंगानगर शुगर मिल द्वारा वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 726 के अन्तर्गत मांग में में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्ष 1973-74 में गंगानगर शुगर मिल द्वारा 35 पैसे प्रति क्विण्टल गन्ने की कीमत में जो बढ़ोतरी की गयी थी उसका भुगतान उन किसानों को, जो फैक्टरी पर गन्ना नहीं देते और बाहर फैक्टरी द्वारा लगाये गये कांटों पर गन्ना देते हैं, उन्हें न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 43, 18 व 44 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल ।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सूचना और प्रचार

(श्री मनोहरलाल)

विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। लोकतन्त्र में, उपाध्यक्ष महोदय, समाचारपत्र लोकतन्त्र को मजबूत करने का काम करता है। देखने को, उपाध्यक्ष महोदय, मिलता है कि किसी मंत्री महोदय के यहां पर शादी हो गई तो सूचना विभाग यह छाप देगा कि अच्छी शादी हुई है। मंत्री महोदय को छींक आगई तो सूचना और प्रसार विभाग यह छाप देगा कि छींक आगई। उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचना और प्रसार विभाग का काम केवल यह रह गया है कि मंत्रियों की बातों को ही छापते रहें। जनता को इस तरह की जानकारी नहीं है। कहीं पर भाषण दे दिया उसको सूचना विभाग ने छापकर भरतपुर भेज दिया, अलवर भेज दिया और वहां के अखबार वालों में बांट दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, ये अखबार वाले इनके गुलाम हैं। यह उनसे पेटियां लेते हैं जो उनकी बातें छापते रहें ! यह तो अखबार वाले अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। यह उनका अहसान है, मेहरबानी है, जो आपकी खबरें छापते हैं। वर्ना आप उनको क्या देते हैं ? क्या करते हैं आप उनके लिए ? आप कहते हैं कि आपने सारे राज्य में कई उपक्रम बनाये हैं। क्या किसी ने पत्रकारों के लिए आटोनोमस बाडी बनादी है। आप लोकतन्त्र की बात करते हैं। आप यह सोचते हैं कि पत्रकारों के बारे में एक स्वायत्तशासी संस्था बनायें। समाचार पत्रों को बल देने के लिए, लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए आटोनोमस बाडी बनानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्रकारों और अखबार वालों की मेहरबानी है कि विरोधी दल के लोग भी बोलते हैं तो वह छाप देते हैं। चूंकि पत्रकारों पर सरकार का दबाव है उनको परेशान और तंग करते हैं। तो वह छापे जाते हैं। लेकिन आम जनता में जो परेशानी है वह कौन छापे ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आपका सूचना विभाग काम करता है। केवल मन्त्रियों के भाषण छापता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं एक करोड़ लीजिये, दो करोड़ लीजिये। जैसे कि पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेण्ट है। पैसा लेता है। फीस लेता है। आप पैसा लीजिये, फीस लीजिये। जनता का कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आता है। किसी तहसीलदार या थानेदार की बदमाशी है। वह आपके कार्यालय में आकर मिले। आप उसकी शिकायतों को अखबारों के माध्यम से या विभाग को लिखकर दूर करवायें। वह शिकायतें अखबार वालों को मिलनी चाहिए। इस प्रकार से आपको इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए। यही नहीं है कि अधिकारियों के भाषण छापे जायें। मन्त्रियों के भाषण छापे जायें। राजस्थान का एक भी आदमी नहीं जानता है। आज कालेज में पढ़ने वाले हैं, वह कालेज छोड़कर बैठे हैं। उनको यह पता नहीं है कि राजस्थान का बजट क्या है। आप साधारण भाषा में पंचायत और तहसील स्तर तक इसको पहुंचायें। आप ऐसा बजट छपायें किस जिले में कितना विकास कर रहे हैं, क्या नीतियां हैं। जनता को कुछ भी मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना होता है, क्या झगड़े होते हैं। यह बात बजट के प्रचार द्वारा बता दें। आप जनता को सूचना दें, विभागों को सूचना दें। आप एक तरफ प्रचार करते हैं, आप

(श्री मनोहर लाल)

बजट पास करते हैं, साधारण जनता को पता नहीं है। इसलिए आप साधारण जनता की भाषा में छापें। आप बताइये, फलां चीज को इसीलिए रोक दिया जाता है, कहां पर राजनैतिक झगड़े हैं, गुड़गांव कैनाल कैसे चालू करेंगे। आपका सूचना विभाग यह काम करे। आप उनको यह साफ बता दें कि गुड़गांव कैनाल नहीं बन सकती है तो आप झगड़ों से बच जायेंगे। आप अधिकारियों को सूचना भेजते हैं। आप जनता से सूचना नहीं लेते हैं। इस तरह से अखबारों के पास जो खबरें आती हैं, उनको छापते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि आप अपने पास से इस धन्धे को हटा लें। इसके लिए स्वायत्तशासी संस्था बनायें। आप रोडवेज कारपोरेशन बनाते हैं, कई प्रकार के कारपोरेशन बनाते हैं, पत्रकारों का भी बनायें। पत्रकारों का जो ए क्लास, बी क्लास में वर्गीकरण होता है, इसमें पक्षपात है। मैं मन्त्री महोदय से मिला हूं। "लालनिशान" भरतपुर का साप्ताहिक अखबार है। मैंने वहां कहा था कि "लालनिशान" को ए क्लास में मान्यता क्यों नहीं मिलती है। आप सब को मदद दें। लेकिन मैं पूछता हूं, लालनिशान भरतपुर से निकलता है। उसको ए क्लास में मान्यता देने में क्या कठिनाई है? लेकिन पीली पत्रकारिता तभी पैदा होती है, जब आप पक्षपात करते हैं। सही समय पर आप कदम नहीं उठाते हैं। इसके लिए यह बहुत जरूरी है। इसी विधान सभा की तरह के मुकाबले की एक संस्था हो जो नान पोलिटिकल हो। लोकतन्त्र में पत्रकारिता और पत्रकारों को संरक्षण हो। जिस प्रकार से आप मदद दें वह विधान सभा की तरह हो, न्यायपालिका की तरह से हो, नगरपालिका की तरह से हो, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को आप यह दिखायें कि लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए पत्रकारों को सही समय पर सहायता मिलती थी। उनके लिए, बोर्ड का गठन किया गया। जिसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप शुरू करें। आप अगर नहीं करेंगे तो जैसा कि दूसरे अखबार वाले छाप रहे हैं, सच्ची झूठी छापते रहते हैं, वह छापते रहेंगे। नहीं तो वह सही दृष्टिकोण पायेंगे। सही विचार होंगे। आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं खनिज के मामले में। जैसा कि कांग्रेस के विधायक कहते रहते हैं, कि 20–20 साल से लोग बैठे हुये हैं। सही माने में देखा जाये तो राजस्थान के अन्दर 80 अरब से ज्यादा के मिनरल हैं। पर आप कितना कर पाते हैं। ज्यादा सही जानकारी मुझे है नहीं। मैं तो सवाई माधोपुर और भरतपुर के बारे में ही पढ़ा करता हूं, खनिज के बारे में। मैंने कई बार यह पढ़ा है कि लोग पहुंचते हैं और फिर तारीख बढ़ा देते हैं। कुछ ठेकेदार और कुछ अधिकारी मिले हुए होते हैं, वह मनमाने ढंग से टेम्पोरेरी परमिट लेते हैं, कोई पुराना ठेका रिन्यू करा लेता है, कोई यों ही चलता रहता है, कोई नये ठेकेदार से मिलें, तो उससे यह जानकारी मिलेगी कि अधिकारी और पुराने ठेकेदार मिल गये हैं और गड़बड़ी कर ली है। इस कारण नया ठेका नहीं हो पाता है, बोली नहीं हो पाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री मनोहर लाल)

अगर बोली नहीं बढ़े, अगर कीमत नहीं बढ़े तो डिपार्टमेन्ट चलाने से क्या लाभ है। छः सात करोड़ इस महकमे पर आप खर्च करना चाहते हैं। इससे आमदनी क्या होती है? पुरानी रेट पर ठेके चल रहे हैं। नीलाम नहीं करना चाहते हैं, बोली नहीं लगवाना चाहते हैं। नीलाम की तारीख तय हो जाती है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और तारीख बढ़ा देते है। नतीजा यह होता है कि गड़बड़ घोटाला इसमें चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हर जगह पचायत समिति के स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर, जो गजट में छापते हैं, तो कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। आपको सबको सूचना देनी चाहिये कि किस खान का ठेका कौनसी तारीख को करना है। उस तारीख की सूचना हर आदमी को होनी चाहिए। वरना आपके अधिकारी ठेकेदार से मिलकर गड़बड़ी कर देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। इससे तो अच्छा है, आप ठेके पर ही छोड़ दीजिये, बोली मत लगाइये। मैं कामां और डीग का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां शोरा निकलता है। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि उसका ठेका कब कौन ले जाता है। एक सेठ जी हैं, उसके बारे में सुना करते हैं कि यह शोरा मथुरा ले जाता है। उसके पास कोई पट्टा नहीं है, कोई बोली नहीं हुई, कोई नीलामी नहीं हुई लेकिन बराबर तीस-पैंतीस साल से वह लेता आ रहा है ठेका। और अभी पांच छः साल से उसके पास कुछ भी नहीं है। कभी कहता है, हाई कोर्ट से स्टे लाया हूं। किस बात पर स्टे लाया है? उपाध्यक्ष महोदय, बरसात में नुकसान हो गया। जबकि शोरे से बरसात का कोई ताल्लुक नहीं है। शोरा निकलता है गांव की मिट्टी में और पानी भरता है जंगल में। उसमें घाटे का सवाल नहीं है। लेकिन घाटे के सवाल पर वह लाखों रुपये का सरकार को नुकसान दे रहा है, उस इलाके का हो रहा है। यह सही मालूम नहीं होता है कि कितना शोरा कामां डीग में पैदा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा उदाहरण मैं नहीं देना चाहता हूं, केवल एक बात कहना चाहता हूं। राष्ट्रीयकरण आप करना चाहते हैं, राजकीय व्यापार आप करना चाहते हैं, राजकीय उद्योग आप लगाना चाहते हैं। यह सारी आप नकल कर रहे हैं, समाजवादी देशों की नकल कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूस में जितने राजकीय उपक्रम हैं, या सरकारी कारखाने हैं उनमें से एक भी कारखाना, उपाध्यक्ष महोदय, नुकसान में नहीं चलता है। मैं प्राफिट की बात नहीं कह रहा हूं। प्राफिट नहीं कमा सकते हैं, तो मत कमाइये। लेकिन आप दूसरे महकमे की कमाई को लेकर राजकीय कारखाने में मत लगाइये। रोडवेज घाटे में चल रहा है, आर. एस. ई. बी. घाटे में चल रहा है, शुगर मिल घाटे में चल रहा है तीनों घाटे में चल रहे हैं, आपके जितने राजकीय उपक्रम हैं वह घाटे में चलें और रेवेन्यू का पैसा आता है या दूसरी जगह से कलेक्शन आता है, वह इनमें लगाते रहें तो कितने दिन यह सरकार चलने वाली है? यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, रूस में जितने कारखाने हैं, सरकारी उप-

(श्री मनोहर लाल)

क्रम हैं, वह प्राफिट में चलते हैं और प्राफिट का हिस्सा राज्य कोष में जमा कराते हैं, वह पैसा विकास के काम में आता है और राजकीय योजनायें बनती हैं उनमें पैसा जाता है। हमारे यहां टाटा वगैरह सारा लाभ उठा लेते हैं, बिड़ला को लाभ होता है, बड़े बड़े कारखाने हैं उनमें वृद्धि होती है और आपके सारे राजकीय उपक्रम हैं, वह घाटा खाते हैं। और आप मुनाफा भी दिखायेंगे जैसे अब की बार मुनाफा दिखाया है। तो राजकीय उपक्रम क्यों मुनाफे में जाता है? इसलिए कि आपने टैक्स नहीं दिया होगा, आपने दूसरा खर्च बचाया होगा, मेन्टेनेन्स का खर्च बकाया होगा, वर्कशाप का खर्च बकाया होगा। आप देना जानते नहीं, उसका रिकार्ड नहीं रखते। लेकिन लेना जो है, उसको दिखा कर बता दिया कि प्राफिट हो गया। पिछली बार ऐसा हुआ, रोडवेज में मुनाफा दिखाया गया यह बताया गया कि 27 लाख का मुनाफा है। लेकिन 28 लाख पैसेन्जर टैक्स का देना बाकी था। पैसेन्जर टैक्स देने के बाद मुनाफा बताते तब तो कोई बात थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं नहीं कहता, प्राफिट का मोटो लेकर चलें, प्राफिट में चलायें, लेकिन कम से कम उपक्रम को वहां पर लगायें जहां जनता को लाभ मिले।

आप बिजली का काम करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन जहां बिजली की जरूरत है वहां पर बिजली नहीं ले जाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, कामां में राव नाम का एक ग्राम है, वहां पर चालीस दरख्वास्त पड़ी हुई हैं लेकिन आप कनेक्शन नहीं देते हैं। लेकिन जहां एक भी दरख्वास्त नहीं है वहां आप जबर्दस्ती कनेक्शन दे रहे हैं। शाहपुरा के काश्तकार आये हैं नीचे बैठे हुए हैं, उनसे पांच सौ और हजार रुपये असिस्टेन्ट इंजिनियर मांगता है। उनकी कनेक्शन की दरख्वास्त ले ली, एस्टीमेट बना दिये, एडवान्स जमा हो गया। करीब पचास काश्तकार ऐसे हैं जो ट्यूब वेल लगा चुके हैं, लेकिन कुओं में वहां कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। कनेक्शन वहां देना चाहते हैं जहां जनता को लाभ नहीं, काश्तकारों को लाभ नहीं, जहां से कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। नतीजा यह होगा कि राजकीय उपक्रम है, इसमें घाटा होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजकीय उपक्रम से लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो घाटा भी नहीं उठाइये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आज जिस विषय पर सदन में चर्चा कर रहे हैं, केवल यही ऐसा विषय है जिसमें कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश भाग्यशाली है, इस मायने में कि हमारे प्रदेश में खनिज सम्पदा काफी है। एक तरफ इस बात का ख्याल करते हैं कि हमारे प्रदेश में खनिज सम्पदा काफी है, दूसरी तरफ देखते हैं

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

कि प्रदेश अकाल में से गुजर रहा है, हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था बिगड़ रही है। हमारे प्रदेश में खानों का अच्छी तरह विकास करें तो हमारी अर्थ व्यवस्था का विकास हो सकता है और अकाल की, जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से प्रदेश कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी खनिज सम्पदा प्रदेश में है, दुर्भाग्य की बात है कि उसका पूरा उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे खनिज मंत्री वैसे भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा विभाग मिला है जिसमें काफी गुंजाइश है। अगर इस गुंजाइश का लाभ विभाग लेता नहीं और न सरकार को और न जनता को लाभ मिले तो मैं समझता हूं कि इससे एक दूसरी बात जाहिर है। मैं कहना चाहता हूं, मंत्रीजी, आप आखिर कर क्या रहे हैं। पिछले कई सालों से विभाग की जो स्थिति चल रही है, या पुराना ढर्रा जो चल रहा है उसमें कोई रद्दोबदल, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। कितने ठेकेदार हैं, आप लिस्ट उठा कर देखें, मंत्री महोदय, कभी आपने देखी होंगी, दस पन्द्रह साल से खान का ठेका लेकर बैठे हैं। मैं समझता हूं, वह बराबर नाम अदल बदल करके ठेका ले रहे हैं। आप जांच करिये, मैं आपको चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में दस बीस आदमियों का गिरोह है जो खनिज सम्पदा पर हावी है यह इस तरह छाया हुआ है कि गरीब लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को हरिजनों को सहकारी समितियों को, जब कि सरकारी नीति है कि इनको ठेका दिया जाना चाहिए, इन्हें खान का ठेका दिया जाना चाहिए, खान का पट्टा दिया जाना चाहिऐ, लेकिन, मैं समझता हूं, इस घोषणा के बाद भी नहीं दे पाये हैं। इसका एकमात्र कारण है कि यह गिरोह इस विभाग पर छाया हुआ है, उसमें रद्दोबदल करना मुश्किल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बारे में निश्चित रूप से कोई आधार बनायें, आप निश्चित रूप से इस विभाग के अधिकारियों से मंत्रणा कीजिये, गम्भीर विचार कीजिये, इसमें किस प्रकार परिवर्तन लायें। आपकी घोषणा है कि खानों के पट्टों में, खानों के ठेकों में प्राथमिकता देंगे हरिजनों को, पिछड़े हुए लोगों को, सहकारी समितियों को। आपके आदेश और घोषणायें अच्छी हैं लेकिन इनका पालन नीचे जाकर कहां तक होता है यह देखने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके विभाग के अधिकारियों की है। मैं कहना चाहूंगा, मैं मेरे क्षेत्र की दृष्टि से अधिक जानता हूं, दूसरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं, विशेष जानकारी नहीं, लेकिन वहां भी लोग वंश परम्परा रूप से छाये हुए होंगे। मेरे क्षेत्र में लाइम स्टोन और जो पत्थर काला होता है, वहां काला पत्थर मिलता है, जिससे रिजर्व बैंक की बिल्डिंग बनी हुई है, अजमेर रोडवेज का बस स्टेण्ड बनाया हुआ है। लेकिन खेद यह है कि नाम होता है मकराने का होता है। यह क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपका विभाग इस बारे में चुपचाप बैठा हुआ है। चुपचाप इस मायने में कि पत्थर जहां निकलता है और पालिश और कटिंग मकराने में होता है। इस कारण नाम हो गया मकराने का। मैं कहना चाहता हूं, इस विभाग को आप तेजी से चलायें। इसके अलावा बहुत बड़ा सर्वे हुआ मेरे क्षेत्र में और इस सदन में यह घोषणा भी की गई थी राज्यपाल महोदय के

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

अभिभाषण में कि कोटपूतली में बहुत लाइम स्टोन है, वहां पर सीमेन्ट फेक्ट्री लगाने के लिए पर्याप्त लाइम स्टोन है। लेकिन मुझे दुःख है, उसके बाद राजस्थान में एक सीमेन्ट फैक्ट्री लग गई, लेकिन कोटपूतली में नहीं लगाई गई। पिछले दिनों उद्योग विभाग पर चर्चा हो रही थी तब मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आठ साल से चल रही है। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है यह समझ में नहीं आता है। इस सदन में कह कर टाल दिया जाता है कि कोई पार्टी तैयार नहीं है, या यह कह कर टाल दिया जाता है कि केन्द्रीय सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजा है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई प्राइवेट पार्टी तैयार नहीं है तो आप मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा इस काम को शुरू करायें और क्यों नहीं काम शुरू किया गया जब आपके पास सारे साधन उपलब्ध हैं, सारी सुविधायें हैं और लोग वहां के चाहते भी हैं, वहां पर लोगों को काम मिलेगा और उत्पादन में भी फायदा होगा तो फिर क्यों नहीं वहां पर सीमेन्ट फेक्ट्री की स्थापना की गई ? ज्यादा से ज्यादा आप यही कह सकते हैं कि कई जगह सीमेन्ट फेक्टरियां आपने स्थापित की हैं। कई स्थानों पर कोटपूतली के बाद सर्वे हुए थे और वहां पर आपने सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना कर दी लेकिन कोटपूतली में नहीं की, आखिर इसका क्या कारण है जबकि आपसे कई बार निवेदन किया जा चुका है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप दूसरे क्षेत्रों का विकास करना चाहते हो तो हमारे क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं हैं, काफी खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, पत्थर भी अच्छा निकलता है और काफी मात्रा में निकलता है तो फिर मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए भी अधिक से अधिक कार्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग ने एक परिपत्र निकाल रखा है कि जिससे खानों का ठेका उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहले से ठेकेदार हैं और पिछड़े वर्गों को, किसानों को या सहकारी समितियों को ठेका नहीं मिल पाता है। मैंने पिछली बार भी इस सदन में प्रश्न उठाया था और माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग का जवाब देने का तरीका है, उसी के अनुसार आप जवाब देते हैं, आपने जवाब दिया कि जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। माननीय मन्त्री जी आखिर आप तक पहुंचना किसी भी आम आदमी के लिये, आम नागरिक के लिये बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी सुविधाएं आप दे रहे हैं वह इसलिए है कि गरीबों को, हरिजनों को और पिछड़े वर्ग को उससे राहत मिल सके और विकास में सहायता मिले। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय, केवल ठेकेदार लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं, आपने उसमें कई तरह की सीमाएं लगा रखी हैं, उनमें किसानों को, पिछड़े वर्ग को या सहकारी समितियों को कोई फायदा नहीं होता है और वे उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधायें दे रखी हैं जहां पर किसान या हरिजनों को उससे लाभ मिला है। क्या आपने कभी यह जांच करने

(207)

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

की कोशिश की है ? जहां तक रायल्टी और आमदनी का सवाल है, आज जितनी भी रायल्टी की चोरियां और लेबर लॉ की अवहेलना खनिज विभाग में हो रही हैं, शायद और किसी भी विभाग में नहीं मिलेंगी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विभाग के काम को तेजी से शुरू किया जाय और इस प्रकार की गलतियों के लिए विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई जाय जिससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सके। "इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप आमदनी का जरिया बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप सुविधायें भी नहीं देना चाहते हैं। मेरे क्षेत्र में बार बार यह मांग की गई है कि खनिज क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा जाय जिससे बड़ी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। जब माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि जहां पर खनिज क्षेत्र हैं। उनको सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए तो फिर क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया जाता है। एक तरफ तो आप खनिजों से ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त करना चाहते हो, और जब उन स्थानों को सड़कों से नहीं जोड़ा जायगा तो यह कैसे संभव है ? इसलिए मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जब वे इस काम को हाथ में लें तो कोटपूतली का अवश्य ध्यान रखें। वहां से बहुत आमदनी हो सकती है। वहां पर इस सड़क की बहुत बड़ी गुंजाइश भी है, इससे निश्चित रूप से सरकार की आमदनी बढ़ेगी, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से इस विषय में धारणायें बनायें कि जितनी आमदनी खनिजों से होती है उसका कितना परसन्टेज आप सड़कों पर खर्च करना चाहते हैं। यह हो सकता है कि खनिज विभाग तो आपके पास हो और पी. डब्लू. डी. किसी दूसरे मन्त्रीजी के पास हो। पैसों का मामला होने से वित्त मन्त्रीजी का भी इससे सम्बन्ध है लेकिन वित्त मन्त्रीजी थोड़े कन्जूस हैं। लेकिन आप उन खनिजों से जो आमदनी होती है उनके आंकड़े उनके सामने रखें और उनको सन्तुष्ट करने की कोशिश करें कि जितना खर्च होगा उससे कहीं अधिक आमदनी होगी सरकार को, तो मेरा निश्चित विश्वास है कि इसके लिये पैसा मिल जायेगा।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लेबर जो राजकीय उद्योगों में काम करते हैं उनके साथ बहुत अन्याय होता है। प्राइवेट फैक्टिरियों में भी काम ढंग से होता है परन्तु राजकीय उद्योगों में आपके लेबर वेलफेयर आफिसर क्या करते हैं, वे कुछ काम नहीं कर रहे हैं और वहां पर मजदूरों के प्रति न्याय नहीं हो रहा है। वे उनकी दिक्कतों को महसूस ही नहीं करते हैं, न उनके टाइमिंग का ही खयाल रखा जाता है।

इसी प्रकार से जो आपका ठेका देने का सिस्टम है वह भी आपको बदलना चाहिए। जो लोग पहले से ही खानों का ठेका लिये हुए हैं वे ही वर्षों तक उस पर छाये रहते हैं और दूसरे व्यक्तियों को मौका ही नहीं देते। वे सब कानून समझते हैं और उन पर कब्जा किये हुए हैं। जब भी ठेके होते हैं तो वे अपने हिसाब से बिठा

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

लेते हैं आपको इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से आपने ठेकों के रिन्यूअल का जो टाइम रखा है वह दो तीन महीने पहले कराना पड़ता है। ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि समय से पहले ही उसका रिन्यूअल कराना आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रिन्यूअल समय से पहले नहीं होना चाहिए। ठेके देने में या पट्टे देने में कुछ इस प्रकार के नियम बनाये जायें जिससे गरीब लोग और हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को और सहकारी समितियां भी इसका लाभ उठा सकें। इसलिए इसमें तब्दीली लायी जानी चाहिए। आप क्यों नहीं कम्पिटीटिव मार्केट में ठेके करवाते हैं। बहुत-सी जगहों पर बहुत-सा खनिज एरिया ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरे क्षेत्र में भी है, आपको एडवरटाईज करवाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। इससे सरकार को आमदनी भी होगी और वहां के निवासियों को रोजगार भी मिलेगा। नहीं तो यह एक बड़ी विडम्बना है कि माल भी मौजूद है और दूसरी तरफ मजदूर लोगों को भूखों मरने की नौबत आ रही है, इस विडम्बना को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा मैं कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : उसकी मन्जूरी हो गई है, आपके यहां।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अगर स्वीकृति हो गई है तो मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो पत्थर कोटपूतली में निकलता है, वह कटिंग और पालिश के लिये मकराणा जाता है और उसी के नाम से बिकता है। इसलिए कोटपूतली में ही पत्थर के कटिंग और पालिश की व्यवस्था होनी चाहिए। मकराना के नाम से कोटपूतली का पत्थर चलता रहे, यह एक बड़ी विडम्बना है। इसलिए इस विडम्बना को समाप्त करना चाहिए और हमारे यहां पर ही इस पत्थर की कटिंग और पालिश की व्यवस्था की जावे। इसी प्रकार से मैं चाइनाक्ले के बारे निवेदन करना चाहूंगा कि उसका भी विस्तार किया जाय ताकि लोगों को काम मिले और सरकार को भी आमदनी हो सके। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं आशा करता हूं कि जिन बातों की ओर मैंने निवेदन किया है, माननीय मन्त्री महोदय, अवश्य ही उस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे। एक बात, वैसे मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सदन का तो बहुत अनुभव है परन्तु विभाग का अनुभव है या नहीं, कह नहीं सकता। आप अपने विभाग में भी कुछ तब्दीलियां ला सकें तो काफी सुधार होने की आशा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं राजकीय उपक्रम विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह एक ऐसा विभाग है, इसके बारे में जब कभी हम सोचते हैं तो निराशा ही होती है, इसलिए कि सरकार के हाथ में कोई व्यापार ऐसा नहीं दिखाई देता जो लाभ में चल रहा हो। वैसे व्यापार अवश्य करना चाहिये, उसमें हानि भी होती है। लेकिन राजकीय उपक्रमों में हमेशा ही निराशा का सामना करना पड़ता है। आखिर यह क्यों नहीं सफल हो रहा है?

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

इस ओर विचार किया जाना चाहिये। आज लाखों रुपयों का सरकार को नुकसान हो रहा है, इस पर विचार किया जाना चाहिये। धौलपुर में ग्लास फैक्टरी को गंगानगर शुगर मिल ने टेक ओवर कर लिया है। परन्तु इससे कोई फायदा नहीं है। मेरा निवेदन है कि किसी इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी की रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिये, वहां पर कोई भी अधिकारी रिपोर्ट बना देगा उस पर विश्वास कर लिया जाता है। इसी प्रकार से राजकीय उपक्रमों में जो लोग काम करते हैं उनसे हमारी सरकार यह महसूस करती है कि उनमें एग्जीक्यूटिव आफिसर आर.ए.एस. या आई.ए.एस. आफिसरों की नियुक्तियां की जाती हैं, सरकार यह महसूस करती है कि वे किसी भी विभाग में काम कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मेरी यह मान्यता है कि एक आई.ए.एस. या आर.ए.एस. हर जगह काम कर सकेंगे, यह गलत है, खास तौर से राजकीय उद्योगों में, उनकी उस उद्योग विशेष के सम्बन्ध में ट्रेनिंग होनी चाहिए। होता क्या है कि कोई आफिसर दो-चार वर्ष का अनुभव प्राप्त करता है तब तक उसका तबादला कर दिया जाता है। इसलिए निश्चित रूप से क्राइटेरिया फिक्स कर दी जाए कि जो लोग ट्रेण्ड होंगे उनको ही व्यापार में लगाया जाएगा। इसके अलावा जब आप लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ इन्सेंटिव देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जो लोग लाभ कमाकर देंगे, उनको बोनस के रूप में या दूसरी तरह से प्रेरणा दें कि जो लाभ देंगे उनको इतना पैसा वेतन के अलावा देंगे ताकि लोग मन लगाकर काम कर सकें और उनमें इच्छा हो लाभ कमाने की...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं समाप्त कर रहा हूं, कुछ रियायत होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : 4।। बजे मुखबन्द का प्रयोग होगा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : तो मैं भी अपना मुख बन्द कर रहा हूं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए। जहां तक लेबर का सवाल है, मुझे जानकारी मिली है कि राजकीय उपक्रमों में भी लेबर का शोषण हो रहा है। कम से कम राजकीय उपक्रमों में तो लेबर को रियायतें मिलनी चाहिए, सारी सुविधायें मिलनी चाहिए। बाकी एक विभाग था जन सम्पर्क, उसके लिए बाद में सम्पर्क कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिन मांगों पर चर्चा हो रही है, मैंने दो मांगों पर अपने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। सर्वप्रथम मैं खनिज विभाग की मांग पर अपने विचार रखूंगा। हमारे पास जो प्रगति विवरण पत्रिका है उसका मैंने अध्ययन किया। हमें निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि पत्रिका जो विभाग ने दी है उसका प्रथम जो पृष्ठ है उसकी प्रथम लाईन है, वह भी कहती है कि हमारे भारत वर्ष में राजस्थान प्रान्त का प्रथम स्थान है। यह हमारे राज्य को ईश्वरीय देन है और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि अगर हम अपने प्रान्त को विकास की दृष्टि से कुछ बनाना चाहते हैं तो हमें उसके विकास के

(श्री राम गोपाल)

लिए श्राय के स्रोतों को ढूंढना पड़ेगा। जिस खनिज के जरिए हमारे राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी होती है, वह भी हमारा एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। इसके अध्ययन से हमने पता लगाया और अपने मस्तिष्क पर हमने कल्पना की कि राजस्थान में खनिज सम्पदा का अतुल भंडार है, अपार भंडार भरा पड़ा हुआ है। खनिज सम्पदा, यह लक्ष्मी अनेक प्रकार के परिधानों में लिप्त हुई भूमि के गर्भ में सोई हुई है। मंत्रीजी बहुत ही प्रसन्न होकर मेरे शब्दों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें निश्चित रुप से इसका लाभ उठाना चाहिये। निश्चित रूप से हमने इसमें प्रगति की है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जितना लक्ष्य निर्धारित किया या जितना आय का स्रोत बटोरा, 27 वर्षों के अन्दर जो प्रगति रही है, उसको मैं संतोषजनक नहीं मानता। अगर मैं इसको संतोषजनक मानता या सरकार इस आय को संतोषजनक मानती, तो मेरे अनुभव के अनुसार जो हम कहते हैं कि विकास के लिए हमारे पास बजट में कमी है, राजस्थान में अगर हम विकास करना चाहे तो भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विकास कार्यों की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रगति जो कि खनिज विभाग के माध्यम से हुई है उसके लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा क्योंकि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं इसमें जो मन्थर गति चल रही है उसके बारे में जब 1974-75 में खनिज सम्पदा के विकास हेतु जो हमने परियोजनाओं का कार्य करने का निर्णय लिया है उसके लक्ष्य निर्धारित किये थे 35 परियोजनाओं के। उसके अन्दर हम 27 परियोजनाओं का कार्य कर सकते हैं और हमारा कार्य चालू है। केवल 7 ही परियोजनाओं में कार्य पूरा किया जा चुका है। एक तरफ तो यह गति है और दूसरी तरफ हमें देखना पड़ेगा कि जब इन परि-योजनाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा जिला हो या भू-गर्भ हो जहां खनिज सम्पदा नहीं हो। भू-गर्भ में सम्पदा का अतुल भंडार है। वैसे तो खनिज मंत्री वित्त विभाग को हिस्सा देते हैं, यह विरोधा-भास नहीं होना चाहिये, इस सामन्जस्य को आपको बिठाना पड़ेगा, अगर हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। अगर आपने सामन्जस्य बिठा लिया, खनिज सम्पदा को निकालने की कोशिश की, स्रोतों को हमने विकसित किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम राजस्थान की काया को पलट देंगे। हम देखते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाडा, भरतपुर जिलों का नाम इसमें है, बूंदी का नाम जैसे कि मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया, अलवर का चित्र हमारे सामने आया है एक ही स्थान पर, वैसे ही हमारे राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की सम्पदा पड़ी हुई है। सरकार को इस आय के स्रोत को प्राप्त करने के लिए अधिक बल देना चाहिये, बजट में ज्यादा प्रावधान रखना चाहिये और राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी करनी चाहिये और राज्य की भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, हमारे सदन में किसी भी तरफ से आवाज आती है, जो माननीय सदस्य अपनी आवाज रखते हैं, राजस्थान के

(श्री रामगोपाल)

कोने-कोने की आवाज है उससे पता लगता है कि राजस्थान का चित्र क्या है। हमें इस रूप से देखना पड़ेगा कि हमारी यह खनिज सम्पदा आय का स्रोत है जिसे प्राप्त करने में हमें ज्यादा बल देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां कोटा डिविजन के अन्दर खनिज विभाग के द्वारा जो कार्य हुआ है उसको हम, उपाध्यक्ष महोदय, भूल नहीं सकते है। और कोटा डिविजन के अन्दर खनिज कार्य हुए हैं उसके लिये यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया कि चूंकि खनिज मन्त्री कोटा डिविजन के हैं इसलिये वहां पर खनिज के काम हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज के काम न केवल कोटा डिविजन में ही हुए हैं बल्कि उदयपुर डिविजन में भी हुए हैं और राजस्थान के काफी इलाकों में हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा डिविजन में जो खनिज कार्य हुए हैं उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर खनिज का अतुल भण्डार है इसलिये उसको बढ़ाया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह है कि राज्य सरकार को चाहिये कि जो कोटा डिविजन में खनिज का अतुल भन्डार है, उसकी जांच करके उसके लिये योजनायें बनायी जानी चाहियें। हमारे कोटा, बून्दी, झालावाड़ क्षेत्र में चूंकि पहाड़ियां अधिक हैं वहां पर अतुल खनिज सम्पदा है जिसका कि काफी विकास हो सकता है। इससे हमारे यहां का विकास का कार्य भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे यहां पर सर्वे कार्य चल रहे हैं पर यहां पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस रफ्तार से खनिज उद्योगों का विकास होना चाहिये खनिज सम्पदा का एक्सप्लोरेशन होना चाहिये वह उतनी रफ्तार से नहीं हो रहे हैं। वहां पर मन्थर गति से काम चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शाहबाद में काफी खनिज सम्पदा है पर आज तक पिछले 27 वर्षों में कोई खनिज कार्य नहीं शुरू किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद का पूरा इलाका पिछड़े वर्ग तथा आदिवासियों की जनसंख्या का है जहां पर एक जाति सहरिया के लोग रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इनसे पिछड़ी जाति कोई भी नहीं होगी। अगर आप कभी शाहबाद पधारे हों नहीं तो, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे साथ शाहबाद चलें और देखें कि वहां उन सहरिया जाति के लोगों की हालत कितनी खराब है और कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं पुराने आदिवासी हैं जिन का आज तक कोई विकास नहीं किया गया है। उनकी हालत आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी क्या स्थिति है। मैं तो उनकी हालत यहां पर अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा कालेज में खनिज शास्त्र की पढ़ाई होनी चाहिये क्योंकि वहां पर काफी पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों में अतुल खनिज सम्पदा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य घण्टी का मतलब समझते हैं। आप समाप्त करें।

श्री रामगोपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े में, शार्ट में अभी समाप्त कर देता हूं। दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं सहरियां जाति के विकास के बारे में कहना चाहूंगा। दूसरे वहां पर कोटा डिविजन में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां कि पहाड़ियां हैं वहां पर खनिज की काफी सम्भावनायें हैं उनका सर्वे कराया जावे तथा जहां पर सर्वे हो चुका है वहां पर खनिज उद्योग कायम किये जाने चाहियें ताकि वहां के लोगों का जो कि बहुत ही पिछड़े हैं काम धन्धा मिल सके वहां के लोगों को लाइसेंस खनिज उद्योग खोलने के लिये दिये जायं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चूंकि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने काम धन्धे के लिये ऋण देती है वह ऋण इन सहरिया जाति के लोगों को दिये जाने चाहिये ताकि यह लोग अपने विकास को और आगे बढ़ा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की मैं और मांग करता हूं कि हमारे कोटा के अन्दर हालांकि वहां पर बड़े उद्योग लगे हुए हैं पर कोई प्रचार और प्रसार के साधन नहीं हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार ध्यान दें। आज हमारे वहां पर प्रचार और प्रसार का कोई विकास नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम अपनी योजनाओं का प्रचार और प्रसार करते हैं तो एक तरफ हमारी जनता को तो पता पड़ता ही है कि हमारी सरकार क्या क्या कर रही है पर उन्हें यह भी पता लग सकता है कि राज्य सरकार से हमें क्या लाभ हो सकता है। कौनसी कौनसी योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार अनुदान दे सकती है या ऋण दे सकती है। इसके अलावा थोड़ा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपने राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर में आकाशवाणी के केन्द्र खोल रखे हैं जयपुर में भी हैं। लेकिन जयपुर तो मुख्यालय है। मेरा निवेदन है कि कोटा में भी आकाशवाणी का स्टेशन खोला जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप समाप्त करिये। यह राज्य सरकार का सबजेक्ट नहीं है।

श्री रामगोपाल : इसके लिये राज्य सरकार भारत सरकार को सुझाव दे।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आप पार्लियामेंट में उठायें जब जावें तब।

श्री रामगोपाल : आपका आशीर्वाद होगा तो वहां पर भी जा सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप पार्लियामेंट में जाने की घोषणा कर रहे हैं क्या ?

श्री रामगोपाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कोटा में आकाशवाणी का केन्द्र खोला जाय। इसके लिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सुझाव देना चाहूंगा वह भारत सरकार से इस बारे में सिफारिश करे कि कोटा में आकाशवाणी का केन्द्र खोला जावे। उपाध्यक्ष

(श्री रामगोपाल)

महोदय, इससे राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनका हमारे कोटा डिविजन में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। आज हमारे यहां पर गांवों में लोग ट्रांजिस्टर लगाये हुए खेतों में गाने सुनते हैं। राजस्थान के अन्दर अलग अलग संस्कृतियां हैं उनके गाने वगैरहा आते हैं मैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करके इतना ही कहना चाहूंगा कि इन से हमारी जो संस्कृतियां हैं उनको बढ़ावा मिलता है। आज जोधपुर केन्द्र से राजस्थानी के गीत आते हैं उसी तरह हमारे यहां के हाड़ोती के संस्कृति गीत काफी अच्छे हैं वह इन केन्द्रों द्वारा दूसरे जगह पहुंचें तो लोगों को एक दूसरे की संस्कृति के बारे में पता चलता है। इस तरह विकास होता है। इसी तरह अलवर के लोक गीत आते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप यह समझते हैं कि घन्टी का क्या मतलब होता है ? आप समाप्त करें।

श्री रामगोपाल : उपाध्यक्ष महोदय एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो हमारे यहां पर शाम को प्रादेशिक समाचार आते हैं वह सुबह भी आने चाहियें।

(समय—समाप्ति घन्टी)

बस धन्यवाद।

सूचना प्रश्न

विधान सभा-भवन के समक्ष एक लाख मजदूरों का प्रदर्शन

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि राजस्थान के कोने कोने से एक लाख लोग सदन के सामने फासिस्टों के खिलाफ में प्रदर्शन करने आये हैं। मैं आपको और आपके माध्यम से मन्त्री महोदयों को निवेदन करना चाहूंगा कि वह उनके समक्ष जावें और उनसे मिलें। वह आपसे मिलना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है इन फासिस्टों से।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। यह आज का सबजेक्ट नहीं है आप क्यों फरमा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो सूचना दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : That you have done and I have allowed that. But I will not allow any further debate.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनसे मिलें वह आपसे मिलने आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : You can give your Memorandum to the Government. But I will not allow any debate. It is not an item on the agenda and I will not allow you any time for debate on this.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, कल जब प्रधान मन्त्री इलाहबाद गयी थीं तो एक व्यक्ति पिस्तोल लिये वहां घूम रहा था उसके बारे में जो सदन में प्रस्ताव आया वह एजेन्डा में था क्या ? इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बम्ब फैंका

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यह उन्हीं की कार्यवाही है। आज उससे हमारे लोकतन्त्र को खतरा पैदा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख व्यक्ति आये हैं। आज, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने यह मांग रखने के लिये आये हैं कि शहरों में आपने घोषणा करदी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को जमीन दी जायेगी, पर वह आज तक नहीं दी गयी है, हरिजनों को आज बुरी तरह निचोड़ा जा रहा है, उनके साथ तरह-तरह का अत्याचार किया जा रहा है। आज वह लोग मांग लेकर आये हैं आपसे मिलना चाहते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई मन्त्री नहीं चलता है तो आप चलें। आपकी जगह थोड़ी देर के लिये प्रोफेसर केदार बैठ जायेंगे। आपसे जनता मिलना चाहती है।

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आज चाहे यह राज करने वाले उनसे नहीं मिलें लेकिन आज मैं इतना कह सकता हूं कि यह लोग पूंजीवाद के शिकजे में आ गये हैं और इसी पूंजीवाद की वजह से हमारे देश में बेरोजगारी आयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें। Not to be recorded.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड नहीं हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य। प्रोसीजर से आप वाकिफ हैं रेगुलर तरीके से आइये। नियमों में आइये कोई समय चाहते हैं तो आप। पुराने सदस्य हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : न पुराने रहेंगे और न ही नये रहेंगे। इस प्रकार का धन्धा चल रहा है, न नये रहने वाले हैं और न ही पुराने रहने वाले हैं।

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री चेतराम : क्या मकसद है प्रोसेशन का ?

श्री केशरीमल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जबर्दस्त अकाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज Not to be recorded.

श्री केशरीमल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने रिकार्ड करने के लिये मना कर दिया है। आप बिराजिये।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आप मेरी बात भी सुनने के लिये तैयार नहीं है। आर्डर प्लीज।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)
आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आप बिराजिये। आप बिराजिये। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। बिराजिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आप बिराजिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप बिराजिये।

श्री रतिराम यादव : उपाध्यक्ष जी, आप

श्री उपाध्यक्ष : आपके साथियों ने राय जाहिर कर दी है।

श्री रतिराम यादव : कम्युनिस्ट पार्टी··

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री रतिराम यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : वाक आउट नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यह कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों ने मांग रखी है यह डेमोक्रेटिक मांग है। मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें और उनसे मिल लें तो अच्छा है। कई नीतियों में हम ये साथ-साथ हैं। समस्या लेकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र भारतीय : बिराजने में, बैठने में कोई ऐतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री पी. के. चौधरी : इसमें··

श्री उपाध्यक्ष : मैं पैरों पर खडा होऊं तो कम से कम मेरी तो सुनें मैं भी तो निवेदन कर ही सकता हूं। माननीय हांडाजी कुछ कहना चाहते हैं प्रदर्शन के सम्बन्ध में जो भी विषय हैं उनके पास। मैंने निवेदन किया कि इस तरह का कोई मोशन हो, यदि नियम में हो तो मुझे अलाऊ करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : डिबेट होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न यह है कि क्या रैली के लिये डिमोंस्ट्रेशन के लिये जो उसके लिये दूसरा प्लेटफार्म हो सकता है और वह ही स्थान उसके लिये है, क्या वह ही स्थान विधान के प्रांगण को भी बनाया जा सकता है? सदन की परम्परायें, प्रिसिडेन्स और सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैंने पहिले ही निवेदन कर दिया था कि नियमों के अनुकूल कोई प्रस्ताव रखना चाहें तो रखिये और उसके लिये जो भी व्यवस्था नियमानुसार होगी वह होगी। उस उद्देश्य

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

के लिये इस सदन के प्रांगण को प्लेट फार्म उसके लिये बनाना चाहें और नियमित कार्यवाही चल रही है उसमें व्यवधान करके अपनी बात कहना चाहें उसके लिए अनुमति देने में असमर्थ हूं। मेमोरेन्डम देना चाहते हैं वह दे सकते हैं सरकार से मंत्री महोदय से मिलना चाहते हैं तो वह मिल सकते हैं और जो भी अभिव्यक्ति आपकी है वह भेजना चाहें सरकार को आप भिजवा सकते हैं उनके पास। सरकार स्टेटमेन्ट दे या न दे, जैसा कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं स्टेटमेंट दें, तो मैं सरकार को इसके लिये बाध्य नहीं कर सकता कि स्टेटमेन्ट सदन में दे। इसलिये चूंकि यह विषय आज की कार्य सूची में नहीं है इसलिये में अलाऊ नहीं कर सकता हूं। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आगे की आज की कार्यवाही ली जाय।

श्री पी. के. चौधरी : रूलिंग मैं मानता हूं। लेकिन मेरा कहना यही है कि They do not want any debate. एक लाख, पचास हजार मजदूर आये हैं बाहर से। इन्फोर्मेशन हाउस को देना चाहते हैं। मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कोई उनसे जाकर मिल ले। विद्‌आउट इन्फोर्मेशन आये हैं। आपकी ओर से मंत्री महोदय को भेजने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री केदारनाथ : वैसे उनकी सेन्टीमेन्ट्स को कनवे करना डेमोक्रेटिक राइट है राज्य सरकार के कोई नामिनी जाकर उनसे मिल लें तो क्या ऐतराज है लेबर क्लास के लोग हैं उनसे मिलने में क्या एतराज हो सकता है एक नई रस्म पैदा हो जायगी। मंत्री मण्डल के कोई सदस्य जाकर उनसे मिल लें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक नई परम्परा, एक नया आदेश या नये आदेश के तरीके की आसन से अपेक्षा की है। वे यह चाहते हैं जो भी आज सी. पी. आई. के माननीय सदस्यों ने रैली के सम्बन्ध में अपनी बात रखी है आसन से कि सरकार को निर्देश दिये जायें उस प्रदर्शन में, रैली में उनके नेताओं से जाकर मिलें। मैं समझता हूं आज तक कभी भी और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कार्य संचालन की प्रक्रिया से बहुत ही पुराने समय से परिचित हैं और इस तरह की आज तक परम्परा नहीं है, मुझे कोई नियमों में भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिला कि कोई आसन की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिये हों या आसन की तरफ से आदेश हों कि माननीय मंत्री मण्डल के सदस्य उनसे मिलें। यदि आप कोई मेमोरेन्डम देना चाहते हैं और मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं मंत्री मण्डल के सदस्यों को दें इसमें आसन बीच में नहीं आता है इसलिये मैं किसी तरह का मंत्री मण्डल के सदस्यों को निर्देश या आदेश देने की स्थिति में नहीं हूं और न यह आसन का कार्य है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाइन्ट आफ आर्डर सर....प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम सम्पूर्ण नहीं है। बहुत सी परम्परायें

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैं और नई परम्परायें बनती हैं । यह कौनसी परम्परा थी कि माननीय सदस्यों से कूट-कूट कर इस्तीफे लिखा लें । जय प्रकाश नारायण ने गुजरात में यह कार्य किया है ये कौन से नियम थे । ये लोग जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति के विरुद्ध हैं और एक जनता के मैन्डेट को लागू करने के सम्बन्ध में हैं । आपका भी इस प्रकार का मैन्डेट रहा है···

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं कहना चाहता हूं देश में फासिस्टवाद के विरुद्ध नई परम्पराओं की आवश्यकता है । आप स्वयं भी पधारें, अध्यक्ष महोदय भी पधारें, मंत्री मण्डल के सदस्य भी पधारें । यह इस आगस्ट हाउस की रक्षा का प्रश्न है । आज जनता का एक मैन्डेट है और ये सारे लोग फासिस्टवाद को इस देश में उत्पन्न कर रहे हैं उसके विरुद्ध लड रहे हैं और फिर आपके सही कानूनों का···

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान की जनता की मांग को लेकर आये हैं और यह कहने आये हैं कि राजस्थान सरकार सही रास्ते को अख्तियार करे और राज्य सरकार जिस प्रकार ब्यूरोक्रेसी के आधार पर चल रही है, जगह-जगह पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं और यहां तक कि जनता का गला घोटा जा रहा है–ये सारी चीजें बन्द होनी चाहियें और अगर आप नहीं पधारते हैं तो हम चले जाते हैं, नई परम्परायें तो बनानी होंगी आज देश को उसकी जरूरत है यह तो आपको मालूम है और आप अच्छी तरह से जानते हैं इसलिये हम सदन छोड़ कर जा रहे हैं और इस चेतावनी के साथ जा रहे हैं राज्य में जो काम करने वाले हैं वे जनतन्त्र को समाप्त करके रहेंगे ।···

(व्यवधान, अश्रव्य)

(भा.क.पा. के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

कई माननीय सदस्य : पधारें, पधारें ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय 28 तारीख को इसी सदन में जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन के बारे में जन संघ के माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये थे उस मामले में भी बिना किसी प्रक्रिया के और नियमों के 3–4 घंटे का वक्त दिया गया था । वक्त के अनुसार नियम और प्रक्रिया बदलती रहती है । 20 हजार आदमी आज बाहर आये हैं, मेहनत कस लोग हैं अतः आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार की व्यवस्था करवा दें गवर्नमेंट के नुमाइन्दे जाकर मिल लें····

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेहनत कस लोग·····

श्री उपाध्यक्ष : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह यहां पर लागू नहीं होता है क्योंकि उस दिन जो चर्चा की थी या जो भी चर्चा थी उस पर विचारों की अभिव्यक्ति थी और उसका कारण यह था कि इस प्रकार का ऐडजोर्नमेन्ट मोशन था । उस पर व्यवस्था होने पर

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को अवसर दिया गया था। आज अवसर नहीं हैं और न कोई ऐडजोर्नमेंट मोशन है, न कोई काल अटेन्शन मोशन है, न किसी तरह का प्रस्ताव है सदन में आसन के सामने किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं इसलिये मैंने जो व्यवस्था दी है वह बिलकुल नियमानुकूल है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय जिस प्रकार रेल में आ गये बिना टिकट के उसी प्रकार यहां आ जाय, यह मंशा है।

मांग सं. 43, 18 व 44 पर अग्रेतर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह सन्धु

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम तो हमारा भी होगा। 3-00 वजे हमारी सलाहकार समिति की मीटिंग है, हमें उसमें जाना है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यहां पर अवसर नहीं मिले तो रैली में दे आवें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो मैं दे आया टेम्पों वालों की रैली में। मैं आपकी तरह सदाबहार नहीं हूं...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप तो गुलबहार हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो मुर्झा गये...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : थोड़े दिनों में आप भी मुर्झा जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो आप ही मुर्झायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तो उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करने जा रहा था...

श्री श्रीराम गोटेवाला : कल तो ××× के सम्मेलन की बात कर रहे थे कहीं खुद तो वे नहीं हैं ?

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपके भाइयों के अधिकार छिन गये, उसका दिया था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके ही भाई हैं...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वह तो लेख है कि ताली बजाने वालों का राज्य आयेगा इसलिये आपके ही भाईबन्ध हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करने जा रहा था आपसे आज इस सदन में सूचना एवं प्रसारण विभाग का ध्यान दिलाना चाहूंगा। राज्य सरकार की इस समय जो जन सम्पर्क विभाग की राज्य मंत्री हैं इन्होंने पत्रकारों के सामने एक...

(2.37 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

घोषणा की थी और यह कहा था केन्द्रीय सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री गुजराल साहब से बातचीत कर ली है और यह बात कर ली है कि आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से प्रादेशिक समाचारों को दो बुलेटिनों में प्रसारित किया जायगा, इस प्रकार की स्वीकृति ले ली है...

यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्वीकृति का आज तक क्या हुआ ? यह माननीय मंत्राणी जी अंत में जब वह कहें तो बतायें। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत गंभीर प्रश्न है और सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि होता क्या है। अमूमन राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही, सायंकाल 7 बजे के बाद तक चलती है और कल तो रात्रि के 2 बजे तक चली। तो माननीय सभापति महोदय, विधान सभा की रात्रि के 8 बजे तक कार्यवाही चले तो हमें तो उसमें कोई शिकवा-शिकायत नहीं हैं। समाचारपत्रों में कोई बात आये या नहीं आये इसका हमें दुःख नहीं है या कटमोशन में हमारा नम्बर चाहे 7 बजे आये या 9 बजे आये इसके लिए हमें कुछ नहीं कहना लेकिन राजस्थान के मंत्री जिस समय स्टेटमेन्ट दें और वह भी सायंकाल 7 बजे प्रसारित नहीं हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता जो कि मंत्री महोदय के श्रीमुख मे बात निकले वह सुनने के लिए 24 घन्टे का इन्तजार करें यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए यह उन्हीं के हित की ओर हक की और राजस्थान की जनता की बहबूदी की बात है।

जब हमारे यहां के मंत्री महोदय ने केन्द्रीय मंत्री से इस प्रकार का आश्वासन ले लिया कि राजस्थान का जो रेडियो है वह दो बुलेटिन प्रसारित करेगा तो फिर कौनसी बात है कि वह बुलेटिन प्रसारित नहीं किये जाते। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कोई इस प्रकार की अनोखी बात हम करने जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अन्य जो प्रदेश हैं उनमें भी प्रति दिन दो बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं तो राजस्थान में ही राजस्थान के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्या किया जा रहा है ?

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के जो मुख्य मंत्री हैं उनको इन सारी बातों की किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है। उनको न तो यह चिन्ता है कि राजस्थान से दो बुलेटिन प्रसारित हों, न उनको यह चिन्ता है कि राजस्थान को भी टेलीवीजन से जोड़ दिया जाये। इसमें उनको दिलचस्पी नहीं है। उन्हें दिलचस्पी इस बात की है कि आखिरकार यह जो सारी बातचीत हो रही है कहां पर दिल्ली में शंकरलालजी एम. एल. ए. हैं, कहां पर पी. के. चौधरी हैं और वह इन्दिराजी से मिल लिए, सुमित्राजी मिल लीं तो देश की प्रधान मंत्री ने उनसे क्या कहा ? इस बात की राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को चिन्ता है। उनको चिन्ता इस बात की है कि खासा कोठी में राजबहादुरजी को जो एट-होम दिया जा रहा है, जो उनका स्वागत किया जा रहा है उसमें कितने विधायक और कौन-कौन विधायक शामिल हुए। इस बात की राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को चिन्ता है। उनको न तो बुलेटिन की चिन्ता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है, न राजस्थान में टेलीवीजन प्रारम्भ होना चाहिए इसकी चिन्ता है। उनको तो अपनी गद्दी से मोह है। राजस्थान के मुख्य मंत्री बने रहें इस बात की चिन्ता है। वरना कौन सा कारण है कि राजस्थान में दो बुलेटिन प्रसारित न हों। 150 किलो मीटर की दूरी पर दिल्ली है और वहां से जयपुर को टेलीवीजन से न जोड़ा जाये ऐसी कौनसी बात है ? जयपुर को टेलीवीजन से क्यों नहीं जोड़ दिया जाता ? मैं समझता हूं कि जयपुर और दिल्ली के बीच में विशेष दूरी भी नहीं है लेकिन राजस्थान की किसी को भी चिन्ता नहीं है। कुर्सी की केवल चिन्ता है। अब वह चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से कुर्सी मिले, उनको यहां पर जिताकर ले आयें फिर वही चाहे अप्रजातांत्रिक तरीके अपनायें और विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर देश में लोकतंत्र को खतम करने के लिए उतारू हो जायें—इस बात की भी चिन्ता नहीं है। डेमोक्रेसी किस प्रकार से चलानी चाहिए इस बात की राजस्थान की सरकार की और राजस्थान के मुख्य मंत्री को चिन्ता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने माननीय मंत्रीजी से कहा था कि यदि हमें राजस्थान में कोई उपयुक्त स्थान मिल जाये तो हम राजस्थान को टेलीवीजन से जोड़ सकते हैं। जोधपुर में आकाशवाणी का प्रसारण हो जाये, वहां पर रेडियो स्टेशन की स्थापना हो जाये—आपने भूमि जोधपुर में उपलब्ध नहीं कराई। राजस्थान में टेलीवीजन के लिए कोई आस पड़ोस की भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी, वहां पर इस प्रकार का केन्द्र स्थापित हो जायेगा—तो न तो जोधपुर की चिन्ता है और न राजस्थान में टेलीवीजन आ जाये उसकी चिन्ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से दो बुलेटिन प्रसारित होने लगें और राजस्थान टेलीवीजन से जुड़ जाये तो माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विकास के लिए टेलीवीजन का आविष्कार और दो बुलेटिन का प्रसारण होना—इससे नया चरण हमारे प्रान्त में प्रारम्भ हो जायेगा। मैं इसलिए यहां पर मांग करना चाहता हूं और सदन में पहले भी दो बुलेटिन प्रसारित होंगे इस प्रकार की मांग यहां पर रखी गई थी, स्थगन प्रस्ताव रखा गया था, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया था और माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी से भी हमने कहा था कि यह आपको भी राइट है, आप भी रेडियो स्टेशन वालों को डाइरेक्शन्स दे सकते हैं कि वह दो बुलेटिन प्रसारित करें और राजस्थान की विधान सभा जिस समय चलती है, दो महीने बजट सत्र चलता है इसलिए दो बुलेटिन की मार्फत सायंकाल न्यूज कवर हो जायें और सुबह हो जायें और राजस्थान की जनता को अपटू-डेट कार्यवाही की सूचना मिल जाये और जैसा अन्य प्रान्तों में दो बुलेटिन चलते हैं वैसे ही यहां पर भी दो बुलेटिन चलें। इसलिए सर्व सम्मति से आज सदन में एक प्रस्ताव पास किया जाये कि राज्य के अन्दर आकाशवाणी के दो समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जायेंगे। यदि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाये तो मैं समझता हूं कि हमारी जो दुर्बल जन सम्पर्क मंत्रीजी हैं, उनमें जो कमजोरी आ गयी है और वह कमजोरी भी उनकी दूर होगी और उनके हाथ भी मजबूत होंगे। केन्द्रीय सरकार से जो राजस्थान की जनता की

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मांग है दो बुलेटिन प्रसारित कराने की और राजस्थान को टेलीवीजन से जोड़ने की वह करवा सकेंगे। इसलिए सभापति महोदय, ऐसा सर्व सम्मति से प्रस्ताव आज सदन में पास किया जाना चाहिये। यह मेरा संकल्प मान लीजिये यह मेरा प्रस्ताव मान लीजिए।

सभापति महोदय, मैं इसके बाद यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्थान की जनसम्पर्क विभाग की पुस्तिका लोगों को पढ़ने के लिए मिली है इसको यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा व्यय प्रशासनिक ढांचे पर ही खर्च हो जाता है और कुछ भी बाकी नहीं बचता है। यह दशा है, इसलिए क्या मंत्री महोदय यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो जन सम्पर्क विभाग है इसने किस प्रकार की प्रसिद्धि राजस्थान के बाहर ली है। राजस्थान का किस प्रकार का नक्शा बाहर दिया है। क्या आपने विभाग का जो कार्य है उसका मूल्यांकन किया है? क्या राजस्थान सरकार इस विभाग के मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बैठाने के लिए तैयार है? होता क्या है कि इसी जन सम्पर्क विभाग में एक फोटो सेल है उसका कितना उपयोग हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह मंत्रियों के फोटो लेगा और मंत्रियों के फोटो भी कैसे लेगा माननीय सभापति कि केन्द्रीय मंत्री हैं, वहां पर राज्य मंत्री भी हैं और वहां पर मुख्य मंत्री जी भी हैं। तो क्या होगा कि वह फोटो इस हिसाब से ली जायेगी कि केन्द्रीय मंत्री की फोटो नहीं आयेगी, स्वागत किया जा रहा है केन्द्रीय मंत्री और उसमें राज्य मंत्री की फोटो नहीं आयेगी, दूसरे मिनिस्टर की फोटो नहीं आयेगी और फोटो खींची जायेगी ऐसे कोने से कि केवल मुख्य मंत्री जी की फोटो आ जाये। फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा जायेगा कि आपकी कितनी बढ़िया फोटो आई है मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर केन्द्रीय मंत्री का अपमान और राज्य के अन्य मंत्रियों का अपमान नहीं होगा। केवल मुख्य मंत्री जी की चापलूसी करने का काम जन सम्पर्क विभाग राजस्थान में कर रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यहां पर भी निवेदन करना चाहूंगा कि आखिरकार उनको फोटो वक्त पर मिलनी चाहिए, वह मिलती नहीं है। अखबारों में फोटो कितनी छपी हैं? कितनी फोटो आपने दी हैं? इसका भी लेखाजोखा होना चाहिये। अखबार वालों को समय पर फोटो मिल जाये, उसी दिन मिल जाये, सायंकाल 5 बजे तक मिल जाये और उसका ब्लाक बन जाये तब तो माननीय सभापति महोदय उसका कोई उपयोग अखबारों में छपने का है। अलबत्ता होता क्या है कि कहीं पर कोई मंत्री प्रेस कान्फ्रेन्स लेगा तो प्रेस-कान्फ्रेन्स शुरू हुई उस समय फोटो खींच ली जायेगी और जिस समय मंत्री प्रेस कान्फ्रेन्स समाप्त करेगा तो वह कहेगा कि यह आपकी बोलते हुए की फोटो है। प्रेस कान्फ्रेन्स शुरू हुई तो फोटो खींच ली और फिर समाप्त हुई तो दे दी कि यह आपकी बोलते हुए की फोटो है। लेकिन वह फोटो समय पर समाचार पत्रों को पहुंच जाये इसकी व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसको फोटो विभाग न मानकर यदि इसका नाम केवल डाक सेक्शन कर दिया जाये तो मुनासिब होगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, दो बुलेटिन के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बारे में, टेलीवीजन से जोड़ने के बारे में और फोटो सेक्शन है उसमें कार्यशीलता आये, उसमें प्रगति आये, और ठीक समय पर लोगों को फोटो दे सकें यह कुछ निवेदन किया है।

अब मैं खानों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि रॉक फास्फेट हम जापान को भेज रहे हैं और इससे बहुत आय होगी। संतुलित बजट है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका किस प्रकार से काम चल रहा है। रॉक फास्फेट वाला व्यवसाय है उसकी किस प्रकार की हमारी केन्द्र में साख है वह छिपी हुई नहीं है। होगा यह कि बजट सत्र समाप्त हो जायेगा और वित्त मंत्रीजी अध्यादेश की मार्फत रॉक फास्फेट को गोडाउन का और गाड़ी की व्यवस्था नहीं होगी और जो हालत आज चीनी की हो रही है कि लोगों को मिल नहीं रही है अब यह तय करना पड़ेगा कि यहां विधान सभा के अन्दर धरने पर बैठना पड़े या बाहर बैठना पड़े। मैं समझता हूं कि वैगन नहीं मिल रहे हैं सम्पूर्ण राजस्थान के लोग चीनी के लिये रो रहे हैं और जयपुर के लोग तड़प रहे हैं कि चीनी नहीं मिली आज दो महीने से। अब कोई न कोई तरकीब खोजनी पड़ेगी और राज्य सरकार को मजबूर करके जनता को जिसको चीनी नहीं मिली है, जिसको अनाज नहीं मिला है वह दिलाना पड़ेगा।

तो मैं निवेदन करूंगा कि रॉक फास्फेट के सम्बन्ध में आज क्या हालत है। यही नहीं धीरे धीरे केन्द्रीय सरकार इस रॉक फास्फेट पर कब्जा कर लेगी और राजस्थान की सरकार उदासीन होकर बैठ जायेगी। मुख्य मंत्री जी कहेंगे मैं क्या करूं, केन्द्र में मेरी चलती नहीं है। मेरा निवेदन करना है कि आखिरकार हमको उस ओर सजग रहना चाहिये वरना रॉक फास्फेट पर केन्द्रीय सरकार कब्जा कर लेगी और हमको आर्थिक रूप से नुकसान होगा।

मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि जस्ता, शीशा, तांबा और नमक इनमें राजस्थान की खरीद के नाते मोनोपोली है। मैं निवेदन करूंगा कि तीस पर्सेंट खानें यहां पर हैं जिनमें ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। इसके बावजूद आज राजस्थान में उद्योग बढ़ते नहीं हैं, हमारी गरज के आधार पर उनको सुविधा देते हैं, उद्योगपति यहां हो नहीं सकता, राजस्थान में सफल हो नहीं सकता और राजस्थान में खनिज पदार्थ, मैं समझता हूं कि खनिज जमीनों के अन्दर दबे हुए हैं, राज्य सरकार इनको निकाल नहीं सकी। यदि राजस्थान में दबे हुए इन खनिजों को ही हम निकाल लें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान अनेक सारे प्रान्तों से सबसे बड़ा विशाल प्रदेश, सबसे बड़ा खनिज पदार्थ वाला प्रदेश हो सकता है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान को जो सोने की चिड़िया कहते हैं, हिन्दुस्थान में राजस्थान सोने की चिड़िया है लेकिन राजस्थान अपने कर्मों के नाते, लोगों को सुविधा न देने के कारण, केन्द्रीय सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से न रख सकने के आधार पर, केन्द्रीय सरकार में अपनी लॉबी न बनाने के आधार पर केन्द्रीय सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से न रखने के आधार पर मैं समझता हूं कि आज राजस्थान की यह हालत है। और हालत यह है माननीय सभापति जी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन न होने के कारण राजस्थान में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जो भी मामूली खनिज उद्योग चल रहे हैं उनके साथ-साथ जो अन्य उद्योग और पनपने चाहिए थे, जो बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होना चाहिए, जो साइड में कल कारखाने स्थापित होने चाहिए थे और जो खानों का एक्स्प्लोरेशन होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। यह यहां के राजस्थान के खनिजों की हालत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहां पर दो बुलेटिन के बारे में, टेलिविजन के बारे में, राजस्थान की खनिज सम्पदा के बारे में जन सम्पर्क विभाग की शिथिलता के बारे में और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों के बारे में नहीं जाकर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाहर चाहे दूसरे लोग हैं इम्फा नामक संस्था है वह इस प्रकार राजस्थान का प्रचार न करके मुख्य मंत्रीजी के चारों ओर चक्कर लगाती रहे, उनके चारों ओर घूमती रही और राजस्थान के मंत्री मण्डल के चारों ओर घूमते रहें तो मैं समझता हूं, माननीय सभापति जी, हमारे यहां पर भी समितियां हैं, हमारे यहां पर भी समाचार-पत्र हैं, उन समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन देते नहीं, उनको हम भूमि देने की बात, हमारे जो अखबार वाले हैं उनको मकान दिलाने की बात, उनको स्कूटर दिलाने की बात, उनको अन्य प्रकार की सुविधा देने की बात, उनको मान सम्मान करने वाली बात, उनका आदर करने वाली बात, वह तो सरकार करती नहीं। यदि हम राजस्थान में जितने सारे अखबार हैं, जितने और दूसरे कारसपोंडेन्ट हैं उनको भली प्रकार की सुविधा, मकान की, ट्रांसपोर्टेशन की भली प्रकार सुविधा दें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में जनमत जागरण, राजस्थान में खनिज उद्योग पनपाने में, राजस्थान के लोगों को प्रोत्साहन दिलाने में यह अखबार, मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में बहुत बड़ा हथियार हैं। मैं समझता हूं कि इस ओर भी जन सम्पर्क विभाग ने राजस्थान के समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देने के बारे में कुछ नहीं किया है। हमने बाहर के अखबारों को सुविधा देने के बारे में, उनको एडवरटाईजमेन्ट देने के. बारे में हमने वाह-वाही लूटी है और राजस्थान के अखबारों को पनपाने में जन सम्पर्क विभाग ने बिल्कुल कोताही बर्ती है, बिल्कुल कंजूसी की है इसलिए राज्य सरकार को अपनी नीति इन समाचार-पत्रों के बारे में भी बदलनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री रामलाल (बाड़ी)

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक रिक्वेस्ट है माननीय सभापति महोदय, तीन बजे मेरी दूसरी मीटिंग है इसलिए केवल पांच मिनिट बोलूंगा, आप मुझे पहले अवसर दें।

श्री सभापति : ठीक है, श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): माननीय सभापति महोदय, मैंने खनिज के सम्बन्ध में तथा सूचना और प्रसार मंत्रालय के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव दिए हैं जिनके बारे में बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। मैं पहली बात तो यह कहना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चाहता हूं कि हालांकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है आल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी के सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा गंगानगर और दूसरे सीमा के क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों से कई बार सम्पर्क होता है, उनका कहना है कि वहां पर हम पाकिस्तान रेडियो बड़ी आसानी से सुनते हैं और अच्छे ढंग से सुनते हैं और हिन्दुस्तानी रेडियो की, आकाशवाणी की आवाज हमारे कानों में नहीं पड़ती है। सीमा के ऊपर रहने वाले सैनिकों से भी बातें हुई हैं उनका भी यही कहना है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार को इस बारे में भारत सरकार से बात करनी चाहिए और इस बात को देखे कि हमारे यहां पर सीमा पर जो हमेशा पाकिस्तान से तनाव रहता है। हमारी पाकिस्तान से साढ़े आठ सौ मील की सीमा पड़ती है जिसमें संघर्ष की स्थिति बनी रहती है वहां पर यद्यपि हमारे यहां के लोगों का मनोबल ऊंचा है लेकिन उसके बावजूद प्रचार की आज के जमाने में इतनी बड़ी व्यवस्था है, अगर उसमें हर समय दूसरी ही बातें सुनते रहें तो उनके मानस पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में भारत सरकार से बात करे।

दूसरी बात मैं हमारे जन सम्पर्क मंत्रालय के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले साल महाराष्ट्र में और गुजरात में अकाल पड़ा और वहां के लोग लगभग एक अरब रुपया के आस पास महाराष्ट्र ले गया, 90 करोड़ रुपया गुजरात ने ले लिया केवल मात्र प्रचार के बल पर। इसके मुकाबले हिन्दुस्तान में राजस्थान ही रेगिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है, अकाल हमेशा निरन्तर यहां 27 साल से पड़ता है और राजस्थान अकाल से निरन्तर लड़ता आ रहा है और खनिज भी प्रचुर मात्रा में राजस्थान में ही हैं, मैं हमारे इस जन सम्पर्क विभाग से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां की इस प्रकार की सिनेमा स्लाइड वगैरा बना कर सारी कण्ट्री में दिखा कर हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है। आज तो हम लोगों की स्थिति यह है कि पीने के पानी के लिए जैसे कल बहस हो रही थी उसमें जिस प्रकार बताया गया था कि 166 करोड़ रुपये जब तक नहीं होंगे तब तक हम राजस्थान के 23 हजार बचे हुए गांवों को पीने का पानी मुहैय्या नहीं कर सकेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। तो इस सारे मामले में हमारा जन सम्पर्क विभाग उदासीन है। मैं मानता हूं कि काम अच्छा हो रहा है, सम्पर्क भी है लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि हमको प्रचार के नाते इन सारी चीजों की ओर, इन समस्याओं की ओर विचार करना चाहिए।

हमारे यहां खनिज के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज फिर कहता हूं जैसा कि भौगोलिक सत्र भारत सरकार के जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करवाया है और उसके आधार पर हमारे यहां अस्सी हजार करोड़ का धन धरती में छिपा हुआ है जिसको निकाल कर आसानी से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राजस्थान में धरती के नीचे, ताम्बा, शीशा, गंधक, फास्फोराइट, पाइराइट, चूना,

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जिप्सम, बाक्साइट, लोहा, निकल, टंगस्टन, मैंगनीज, रॉक फास्फेट, एसबसटस, बेन्टोनाइट, फुलर्स अर्थ, चीनी मिट्टी, अभ्रक, ग्रेफाइट, एमरल्ड, गार्नेट आदि के विशाल भण्डार और अरावली पर्वत शृंखला और विशाल रेगिस्तान के घोरों के नीचे अपार खनिज सम्पदा भरी पड़ी है। आज हमारा मिनरल डवलपमेंट कोरपोरेशन इसको और इंडस्ट्रीज दोनों को मिला कर बना है और इसकी जानकारी आप सब को कहे कि सिवाय एक दो चीजों के किसी भी काम के लिए सारा रॉ मेटिरियल यहां हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसी बारे में मैं निवेदन करूं कि रॉक फास्फेट को बाहर भेजने के लिए हम बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं, इसके लिए भारत सरकार पर दबाव डालने की बात भी करते हैं और दूसरी बातें भी करते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज खाद कारखाना लगा कर क्या रॉक फास्फेट को पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इसकी साठ करोड़ की योजना है जो इतनी बड़ी योजना नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते। हम किस ढंग से इसको करें, प्राईवेट सेक्टर में करें, पब्लिक सेक्टर में करें, जब खाद कारखाना टाटा को अलाऊ हो सकता है, बिड़ला को खाद का कारखाना मिल सकता है, आप अपने लिए चाहे किसी प्रकार से करे, इस बारे में कोई नहीं कहता लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर यह खनिज सम्पदा पड़ी हुई है, इसका आप रा मेटिरियल बाहर मत भेजो, मेहरबानी करके इसकी गुड्स यहां पर बनाने के लिए सारा काम करने के लिए प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान इस बारे में जो स्थिति है उस स्थिति से आगे बढ़ सकता है।

मैंने अभी इस खनिज विभाग की रिपोर्ट को देखा। हमारे जिले वोरीजा के अन्दर बहुत बड़ी लोहे की खान है सभापति महोदय, यहां का लोहा जापान जाता था लेकिन इस लोहे की खान का कोई जिक्र इसमें नहीं नजर आया। क्या खनिज विभाग की यह जानकारी में नहीं है कि वर्षों से यह खान लीज पर रही है और आज लीज का क्या हुआ इस बारे में आपके विभाग को जानकारी हो सकती है। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस लोहे के आधार पर इससे किसी भी प्रकार के कारखाने की स्थापना की जा सकती है और जो यहां पर लोहा मिलता है उसकी रेट 56 पर्सेंट से अधिक है। वहां पर वह लोहा पाया जाता था जिसको जापान लेकर उसी लोहे को वापस यहां ला कर खपा सकता है तो हम क्यों नहीं इसी प्रकार के रॉ मेटेरियल को हमारे यहां यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे यहां पर जिप्सम, लाइमस्टोन के लाखों करोड़ों टन के भंडार भरे पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली है रॉक फास्फेट में और बीकानेर जिप्सम के स्थान पर दूसरी कम्पनी बना कर खनन का कार्य जारी रखा है। परन्तु यह विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से पांच सीमेन्ट के कारखाने राजस्थान में शुरू हो गये हैं उसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्री महोदय बता रहे थे इन कारखानों को लगाने में सब से बड़ी जो दिक्कत आ रहा है वह

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

है रेलवे लाइन की। राज्य सरकार बराबर यह मांग कर रही है कि हमारे यहां पर ब्राडगेज होनी चाहिये। सारा इलाका, कोटपूतली का इलाका लाइम स्टोन के अपार भंडार से भरा पड़ा है। जैसलमेर के अन्दर जिप्सम और लिगनाईट के भंडार हैं। किसी भी काम में हम लिगनाइट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जर्मनी से आये हुए एक दोस्त मुझे यह बता रहे थे कि वहां पर बिजली की सारी परियोजनाएं लिगनाईट के आधार पर चल रही हैं। आज जमाना यह है कि दूसरे से टेक्निक लेकर उस टेक्निक को काम में लिया जाये। जो धन पड़ा है उसको यूटिलाइज करें। अत्यन्त ही विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जैसा कोटपूतली के बारे में निवेदन किया है, वहां पर सीमेन्ट के कारखाने, लगावें रेलवे का इन्तजार न करें। सौ टन केपिसिटी के सीमेन्ट के कारखाने, मिनी सीमेन्ट के कारखाने लगावें। वहां पर लोकल डिमान्ड भी है–कृषि के क्षेत्र में कोटपूतली काफी विकसित क्षेत्र है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है, सारे इलाके में बिजली पहुंचाने की बात है। यह निवेदन है कि केवल मात्र हम रेलवे पर ही डिपेन्ड न हों, यह तो करोड़ों रुपयों का काम है। ब्राडगेज की बात चल रही है। इसकी योजना कार्यान्वित भी होगी यह पता नहीं है। यह तो करोड़ों रुपयों का खर्चा है और इस खर्चे के कारण हम भू-गर्भ के धन का उपयोग नहीं करते तो राजस्थान के साथ हम अन्याय करेंगे, अपने साथ अन्याय करेंगे। सारी सम्पदा का उपयोग नहीं करते हैं जो करोड़ों विद्यमान हैं, जो स्थितियां है, इन सारी स्थितियों को हम ऐज इट इज कन्टीन्यू करेंगे।

एक और निवेदन करूंगा। करौली, सरमथुरा में जिस प्रकार की स्थिति लोग बताते हैं, ला के ऊपर व्यापक साम्राज्य नहीं है, वहां पर डाकुओं का साम्राज्य है मैं निवेदन करूंगा इस सारे इलाके के बारे में, वहां की सड़कों के विकास की तरफ ध्यान दिया जाये। वहां की विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के बारे में विचार किया जाये और ढंग से इन खानों का हम खनन करते रहें और करोड़ों रुपयों की सम्पदा को बर्बाद होते देखते रहें तो यह वाजिब नहीं है इन सम्पदा का विकास करें। इस सम्पदा के उपयोग के लिए सड़कों की व्यवस्था करें, बिजली की व्यवस्था के बारे में भी देखें। रॉक फास्फेट से राज्य सरकार को आमदनी हुई है। इसके बावजूद आज भी रायल्टी की चोरी होती है।

एक खास और निवेदन करना चाहता हूं। आज समाचार पत्रों में पढ़ा है। भारत सरकार एक योजना बना रही है नमक के साथ और कुछ केमिकल्स मिला कर जिसमें प्रोटीन की जो कमी शरीर में रहती है, उसकी पूर्ति हो पाएगी। राजस्थान में नमक बहुतायत में है। हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड का कारखाना है, कापर प्रोजेक्ट, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, केवल मात्र रॉ मेटेरियल की वजह से राजस्थान में है। वैसे सेन्ट्रल ने राजस्थान की उपेक्षा कर रखी है। सेन्ट्रल के टोटल इनवेस्टमेन्ट का केवल 2 परसेन्ट हमारे राजस्थान में इनवेस्ट हुआ है। ये

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आपसे यह विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर नमक का कारखाना कहीं लगाता है तो उसके ऊपर सब से बड़ा हक आज राजस्थान का है। और इसके बारे में मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे इस कारखाने के बारे में दिलचस्पी लें ताकि हमारे यहां का जो प्रोडक्ट है, रॉ मेटेरियल के रूप में हजारों टन आज भी राजस्थान से बाहर जाता है। उसका फिनिश्ड गुड्स बन कर बाहर जावे तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा और इससे हमारी आमदनी भी हो सकेगी।

श्री सभापति : श्री रामलाल (बाड़ी)।

श्री रामलाल (बाड़ी) : सभापति महोदय, आज खानों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। इस विषय पर मेरे कटौती के प्रस्ताव है। राजस्थान काफी लम्बा-चौड़ा है–कई जगह खानें हैं, उसके सम्बन्ध में तो नहीं कह सकता कहीं पर पत्थर की खानें हैं, कहीं पर सीमेन्ट की खानें हैं, मुझे तो सिर्फ दो जिलों की जानकारी है–भरतपुर और सवाई माधोपुर की। हमारे ये दोनों जिले मिलते-जुलते हैं। मेरे क्षेत्र में पहाड़ी पत्थर निकलता है और उनका ठेका विभाग द्वारा समय-समय पर दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। जैसे प्लॉट दिये जाते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को, वैसे ही इन खानों पर इन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग यह काम करते हैं। इन खानों पर अधिकतर ये ही लोग हैं परन्तु ये खानें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को नहीं मिलती हैं। मेरा निवेदन [illegible]

है कि ये खानें इनको कुछ कोटा इनके लिए भी रिजर्व रखा जावे तो ये लोग फल फूल सकेंगे। इनको रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार कहती है कि वह समाजवाद ला रही है–गरीबों की ओर इनकी तरक्की करना चाहती है, इनको ऊंचा उठाना चाहती है तो ऐसा कोटा इनके लिए रखा जावे ताकि वे स्वयं यह खान चला सकें। ये खानें नीलाम न करें, इन गरीब आदमियों को दी जावें। परन्तु राज्य सरकार इनको नीलाम करके ठेके देती है। नीलामी में तो पैसे वाले ही आ सकते हैं। वे ही पैसा लगा सकते हैं। गरीब लोग कहां से पैसा ला सकते हैं। जितने काम करने वाले लोग हैं, जैसा सरकार ने जमीन के बारे में किया है–जमीन किसकी, जो जोते उसकी–तो उसी तरह जो दस्तकार हैं, काम करने वाले हैं, उनके बारे में भी सोचा जाये। या तो इनको एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर उसके द्वारा खानों का काम करवाया जाये। ऐसी कोई न कोई सुविधा निकाली जावे ताकि उनको काम मिले। पैसा लगा करके तो वे काम नहीं कर सकते हैं। इनको यह काम दिया जाय ताकि वे सुचारु रूप से खानें चला सकें। मेरे क्षेत्र में काफी लोग काम करते हैं। वे ठेकेदारों के पास मजदूरी करते हैं। काम कर रहे हैं। उनके पास पूरे कपड़े नहीं हैं। जंगल में ही रहते हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। डाकू भी उनको परेशान करते हैं। इनके लिए निवेदन है कि इनकी रेट के लिए सरकार कुछ रेट निर्धारित करे। जैसा कि सरकार ने लेबर का 4.50 पैसा निर्धारित कर रखा है। ऐसी कोई रेट इन मजदूरों की भी निर्धारित होनी [illegible]

(श्री रामलाल)

था ताकि इनको रोजगार मिल सके। वर्षों पुरानी कटाई की रेट चल रही है। काफी जमाने से यह चली आ रही है। 4.70 रुपये देते हैं, बोनस मिलाकर 5 रुपये की रेट है प्रति सैकड़ा, जबकि ठेकेदार 15.20 रुपये ले रहे हैं। तो इसके अन्दर चेन्ज करना चाहिये। जो काम करने वाले हैं वे गर्मियों में पहाड़ पर रहते हैं पहाड़ पर रहने से उनको गर्म खाना और गर्म ही पानी मिलता है। काफी गर्मी रहती है। इससे वे टी. बी. के बीमार हो जाते हैं। कई लोग खानों में दब कर मर जाते हैं। इसके लिए इलाज की सुविधा होनी चाहिये। गरीब आदमी मर जाता है तो उसके बाल बच्चे जो छोटे-छोटे होते हैं वे तरसते रहते हैं। सरकार की ओर से उनके लिए कोई इन्तजाम नहीं है। ठेकेदार भी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। इनके लिए कुछ न कुछ सुविधा की जाए। सरमथुरा, करौली के जो ठेकेदार हैं उनकी ओर से भी व्यवस्था हो। सरकार उनको पाबन्द करें। सरमथुरा, करौली की खानों पर आने-जाने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है। इसके लिए व्यवस्था की जाये। जहां-जहां पर खाने हैं वहां-वहां पर सड़क की स्थापना की जाये। बिजली भी इस क्षेत्र में नहीं है। बिजली लगाई जाये तो कई उद्योग-धन्धे वहां पर लग सकते हैं। सीमेन्ट का पत्थर वहां पर है। वहां पर बिजली लगने से सीमेन्ट के कारखाने लगाये जा सकते हैं और इस तरह से सीमेन्ट की दिक्कत मिटायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि शीघ्र ही वहां पर बिजली पहुंचायी जाये ताकि कल-कारखाने लग सकें। इससे जनता को रोजगार मिलेगा गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार सोचे और वहां पर बिजली पहुंचायी जाये।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय मैं . . .

श्री उमापति : आप को जो कुछ कहना हो संक्षेप में कहें। आप बिजली की बात करने लगे हैं जिसका इससे सम्बन्ध नहीं है। जिस चीज से इसका सम्बन्ध हो उसके बारे में कहें।

श्री रामलाल : सरकारी समितियां बनाई हैं तो उनमें बिजली पहुंचाई जाय खानों में। वहां पर सड़कें बनाई जहां पर खानें हैं पत्थर की। यह इससे संबंधित है इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कई बातें ऐसी हैं वहां पर लोगों ने पत्थर निकालने के लिए ठेके ले रखे हैं वहां पर पक्की सड़कें बनाई जायं ताकि ट्रक्स और लोग आने जाने लगें और पत्थर निकालने में सुविधा हो। वहां पर 12 महीनों में 4-5 महीने काम नहीं होता है सड़क नहीं होने से बारिश के मौसम में काम बन्द हो जाता है। सड़क होने की जरूरत है ताकि गरीब लोगों को काम मिले।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि सरकार प्लाटों के पट्टे देती है तो उनको साथ में ही दे देना चाहिए, जैसे पिछले सात साल माचलपुर में सरकार ने 5 साल का ठेका तो दे दिया लेकिन प्लाट के पट्टों की मन्जूरी नहीं दी। ठेकेदार तो बाकायदा पत्थर निकाल रहे हैं लेकिन उससे गवर्नमेंट को घाटा रहा कि गवर्नमेंट

(श्री रामलाल)

को पैसा नहीं मिला। ऐसी सूरत में जो पट्टे दिये जायं वह सही दिये जायं ताकि गरीबों को मजदूरी भी मिले और सरकार को पैसा भी मिले। ठेकेदारों के पास जो प्लाट्स होते हैं उनकी लीज होती है तो उनका सर्वे भी साथ ही साथ करवाया जाय। दूसरों के नाम पर प्लाट की बोली खत्म कर देते हैं और सर्वे नहीं होती है तो सर्वे हर साल करें ताकि उसको मालूम हो कि इतना हिस्सा हमारा है। इसमें सर्वे के नहीं होने से आपस में झगड़े हो जाते हैं और मुकदमेबाजी हो जाती है। इसलिए सरकार को सर्वे कराकर उनको मुकदमेबाजी से बचाना चाहिए।

इतने जो प्लाट दिये गये हैं उन प्लाटों को ठेकेदारों से छुड़वाये जायं। खानों को पटवारी से भी छुड़वाया जाय। इसमें थोड़ा सा निवेदन, सभापति महोदय, और करना चाहता हूं कि गांव के लोग होते हैं जिनकी काश्त के अन्दर बाउन्ड्री आ गई तो बाउन्ड्री के लिए पत्थर निकालते हैं तो ठेकेदार नहीं निकालने देता है। ऐसा कानून लाया जाय कि जो किसान मकान बनायें उनको पत्थर की सुविधा दी जाय।

श्री उम्मेदीलाल : सभापति महोदय···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज आप बैठिये। श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, आज समय का तकाजा है कि हम माइनिंग विभाग को और भी प्रायोरिटी देकर सुदृढ़ करें। आज तक हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन्डस्ट्रियल प्रोड्यूस पर आधार देते आये हैं, और अब थोड़ा सा कोआर्डिनेटेड मेनर में माइनिंग को भी ज्यादा सुदृढ़ करना पड़ेगा। उसका एक प्लान्ड वे में एप्रोच बनाना पड़ेगा। आज कुदरत ने जो हमको दिया है और हमने काफी अर्से की मेहनत के बाद पाया है उसका सदुपयोग हो। उसको आगे बढ़ाना हमारा फर्ज हो जाता है। मैं बहुत ब्रीफ में निवेदन करूंगा कि आज हम जो खनन से कमाते हैं अगर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में लाया जाय तो हम उससे दोहरे तरीके से कमा सकते हैं। उससे पैसा हम बटोर सकते हैं और अपनी फाइनेन्शियल स्थिति को और सुदृढ़ कर सकते हैं। आज हम रॉ मेटेरियल में सिर्फ उसके एक्प्लायटेशन का पैसा पाते हैं। अगर उसके साथ में इन्डस्ट्री लगाकर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बाजार में लाते हैं, मार्केट में लाते हैं मार्केट में लाते हैं तो हमारी जो वित्तीय स्थिति है वह और सुदृढ़ हो जायगी और जैसा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा तो उसका कारण क्या था? राक-फास्फेट हमको मिला है तो इससे हमारे राजस्थान की वित्तीय स्थिति में दृढ़ता आई है। तो यह आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम उसको अधिक अच्छे तरीके से सुदृढ़ बनाये तो मैं निवेदन करूंगा कि मिनरल्स जो हमको मिलता है उसको उन्हीं जगहों पर इस तरह से इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाय ताकि हमारी आय और बढ़ सके।

मैं इसी संदर्भ में निवेदन करूंगा कि हमने जो तांबे का स्मेल्टर लगाया है वह

Page No 101

(श्री किशन मोटवानी) इसी उद्देश्य से लगाया है, जिंक स्मेल्टर लगाया है और उसी उद्देश्य से लगाया है, और अन्य सीमेन्ट की फेक्ट्रियां लगाने जा रहे हैं वह उसी उद्देश्य से लगा रहे हैं। ब्यावर की सीमेन्ट की फैक्ट्री को अर्से दराज से लैटर आफ इन्टेन्ट मिला हुआ है, परन्तु हमारी राज्य सरकार ने उसके बारे में, मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा एप्रोच अपना रखा है कि उसको लगवाने में, उसको चालू करवाने में कोई प्रयास नहीं करता है। अभी अभी आपने लेटर आफ इन्टेन्ट को रिवाइज किया है, तो मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री जल्दी से जल्दी लगाये, यह माइनिंग विभाग वालों को चाहिए क्योंकि यह उनकी प्रोडक्ट से कनेक्टेड फैक्ट्री है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वह इस ओर प्रयास करेंगे।

ब्यावर में चाइना क्ले पास में है। आर. एस. ई. बी. को कई बार चीनी के उपकरण जो हैं, यन्त्र होते हैं वह उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए कई बत्तियां नहीं जलती हैं। खम्भे लगे हुए हैं लेकिन पावर नहीं दे पाते हैं तो हमारे पास चाहे जो एप्रोच हो लेकिन चाईना क्ले के यन्त्र इतने मात्रा उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसको बेस बनाकर ब्यावर में गवर्नमेंट के लेवल पर एक फैक्ट्री लगाई जाय तो 75 पर्सेन्ट खर्च करके 25 पर्सेन्ट पर रुक जाते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती है तो उसकी पूर्ति कर पायें।

मैं दूसरी जो मांग डिमान्ड है वह डी. पी. आर. से कनेक्टेड है, सूचना और प्रचार विभाग से है। मैं इस संदर्भ में निवेदन करूंगा कि डी. पी. आर. का एक मुख्य फर्ज यह है कार्य यह है कि जो राज्य की रीति नीतियां हैं, राज्य की तरफ से जो जन कल्याण की बातें होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी डेली लाईफ को इफेक्ट करने वाले कानून व अन्य चीजें हैं जो सरकार प्रसारित करती है उनको सही मायने में जन लोगों तक पहुँचायें। यह उनका फर्ज है, उनका कार्य है, उनकी ड्यूटी है। वह अपनी उस कार्य पद्धति को तीन तरीके से करने का प्रयास करते हैं-अखबार का माध्यम है उनके पास, बुलेटिन का माध्यम है, उनके पास लाउड स्पीकर्स बड़े बड़े शहरों में लगा रखे हैं जो उनके इन्फर्मेशन सेन्टर्स से प्रसारित होते रहते हैं, और चौथा आकाशवाणी का माध्यम है वह भी यूज करते हैं। मैं इसमें एक निवेदन करूंगा कि हम अखबारों को उस तरीके से यूज करते हैं। हम अपनी जो भी चीजें हैं पब्लिश कराना चाहते हैं वह हम उनसे पब्लिश तो करा लेते हैं परन्तु जो अखबार वाले जर्नलिस्ट हैं उनकी जो लिविंग कन्डीशन्स हैं उनकी ओर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं चाहूँगा कि एक सुदृढ़ तरीके से, एक प्लान्ड मैनर में उनको जो आपकी मदद करते हैं पूरी चीजें कार्यान्वित करने में इन लोगों को आप सुख-सुविधाएं उपलब्ध करायें। मेरी मान्यता है कि आप इस ओर कोई ठोस योजना बनायेंगे।

इनके जो दो तरीके हैं बुलेटीन का और लाउड स्पीकर्स के माध्यम से प्रसारित करने का मैं इसमें थोड़ा ऐसा मानता हूं कि उन्होंने जो प्रयास किया है अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं मैं जो एक मेरे पास विज्ञप्ति आई है।

(श्री किशन मोटवानी)

राजस्थान जिला जन सम्पर्क कार्यालय अजमेर। इस विज्ञप्ति के माध्यम से अखबारों में प्रसारण करवाया है। किन्तु हमारे पी. आर. ओ. को कितना ज्ञान है। जो हम प्रसारण करते जा रहे हैं। डी. एफ. ओ. उसको छोड़ नहीं रहा है. रोडवेज बस स्टैंड का मसला है। विज्ञप्ति छपवाई है कि हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। बस स्टैंड के बारे में सरकार की घोषणा है। डी. एफ. ओ. हमको दे नहीं रहा है। पी. आर. ओ. ने यह प्रसारण दे दिया है कि इस किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। उसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। यह किस तरह से मान लिया है। इसलिए पी. आर. ओ. की नालेज वेल वर्स्ड होनी चाहिए। इतना सक्षम होना चाहिए। यह विज्ञप्ति देने से पहले यह पूछता। इस किस्म की बात की है। मैं निवेदन करूंगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह जो डी. पी. आर. और आकाशवाणी का तरीका है। आज हमारी जो आकाशवाणी का तरीका है। जैसे चम्बल एरिया प्रोग्राम है, भाखरा एरिया प्रोग्राम है। डेजर्ट एरिया प्रोग्राम है। उसका प्रसारण होता है। मेरी मान्यता है कि उसमें कई चीजों का प्रसारण नहीं होता है। माननीय इन्दिरा गांधी यहां पर आईं। यह आयीं यह बात तो हो गई। खेतड़ी में आईं तो क्यों आईं। मनोहरपुर में आईं तो उससे क्या लाभ मिला। यह कोई प्रचार नहीं हुआ है। डी. पी. आर. ने अखबारों में प्रसारित नहीं किया है। यह आईं तो उसके क्या इम्पैक्ट हुये उसका कोई विवरण प्रसारित नहीं किया। मैं चाहूंगा, डी. पी. आर. और आल इण्डिया रेडियो प्रसारण की एक कमेटी बनी हुई है। यह कई वर्षों से निष्क्रिय बनी हुई है। आप राजस्थान में प्लानिंग कर रहे हैं। राजस्थान के जन जीवन का क्या इम्पैक्ट है। प्लान और योजनाओं का उसने क्या प्रसारण करवाया है। मैं चाहूंगा कि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान दें। एक थोड़ा सा निवेदन मैं और कर दूं। एक महत्वपूर्ण इन्सीडेण्ट है। आकाशवाणी से विधान सभा की कार्यवाही प्रसारण होती है। बुलेटिन प्रसारण होता है। उसका अखबारों के माध्यम से लेकिन उसका अर्थ यह है कि इस सदन की कार्यवाही का प्रसारण अच्छी तरह से हो। इसके लिए एक बड़े अखबारों में से एक पत्रकार को लिया जाता है। तो यहां का दैनिक नवज्योति है। उसके स्पेशल कोरस्पोण्डेण्ट हैं, श्री महेशचन्द्र माथुर, उनको बुलाया। तो उन्होंने वहां जाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने बुलेटिन प्रसारण करने से इन्कार क्यों किया क्योंकि वहां पर सही तरीके से सुविधा देने का प्रयास नहीं था। मैं चाहूंगा, डी. पी. आर. के माध्यम से ऐसी बात करिये कि एक अच्छे पत्र के करस्पोण्डेण्ट ने क्यों इनकार कर दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री किशन मोटवानी : मैं सभापति महोदय, आधा मिनट लूंगा। अजमेर से विज्ञप्ति आयी है। अजमेर बस स्टेण्ड का मामला जब माननीय सुखाडिया जी मुख्यमंत्री थे।

Page No 103

(108)

श्री सभापति : वित्त टेण्ड का प्रश्न आज [...]

श्री किशन मोटवानी : राजकीय उप-[...]

श्री सभापति : उस पर तो कल भी [...] बोल सकते हैं।

श्री किशन मोटवानी : मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। तो मेरा निवेदन है कि टाप प्रायोरिटी देकर इकानामी को सुदृढ़ बनाने का प्रयास हो ताकि हम आगे बढ़ सकें।

श्री सभापति : माननीय गहलोत जी आपका नाम तो नहीं है। फिर भी 5 मिनट आप कहना चाहें तो कह लें।

श्री अमृतलाल गहलोत (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज माइन्स और जनसम्पर्क विभाग के बारे में मांगें हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं खनिज के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। हमें इसकी आर्थिक पृष्ठ भूमि और उसके महत्व को देखना है। 73-74 में 2068 करोड़ राज्य की आय हुई है। उसमें खनिज की 17 करोड़ हुई। इस प्रकार वन परसेन्ट राज्य की आय खनिज से प्राप्त होती है। यह राजस्थान राज्य को खनिज सम्पदा से नई प्राप्ति हुई है। परन्तु जिस वक्त खनिज विभाग की रिपोर्ट पढ़ी, 17 करोड़ के बजाय 27 करोड़ मेजर मिनरल से, 10 करोड़ माइनर मिनरल से इस प्रकार से 37 करोड़, यह हण्ड्रेड परसेन्ट अधिक है, यह अच्छा है। इसमें और आगे बढ़ना चाहिए। 37 करोड़ की आय खनिज से प्राप्त 1974-75 में की गई है। एक लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है। इसमें पोटेंशियलिटी इनकम की भी है। परन्तु सभापति महोदय, खनिज के विकास के लिए बहुत ही कम, मैं समझता हूं कि सरकारी योजनाओं में वह नहीं है जो कृषि में सिंचाई और बिजली के लिए दिया जाता है। आज खनिज विभाग में जो हो रहा है। पिछले वर्ष 3 करोड़ का प्रमर कर लिया है। झामर कोटड़ा ने सरप्लस दिया है। झामर कोटड़ा में 7, 8 करोड़ आय इस वर्ष हो सकती है। जिस विभाग की क्षमता हो तो उस विभाग को प्रोत्साहन दें। प्रथम तो यह है कि यह मेटल और नान मेटल है। यह जो कुछ भी संरक्षण हो रहा है। मालूम पड़ता है भगवान ने राजस्थान में बहुत खनिज सम्पदा छुपा रखी है। अतः मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेटल और नान मेटल एक्सप्लोरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा फण्ड्स उपलब्ध करायें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, हैवी माइनिंग इक्विपमेंट, और दूसरी चीजें, सड़क, बिजली, पानी आते हैं, इन पर भी ध्यान दिया जाये। एक चीज के अलावा बाकी चीजें बैंकों से प्राप्त की जायें। और सड़कों के बारे में पूरे तौर से जोर लगा दिया जाये। और कुछ मुझे संतोष हुआ है इस साल के बजट को देखते हुए, वित्त मंत्री के भाषण से। पिछले वर्ष चालू वित्तीय वर्ष में सड़कों के लिए रखा था 1 लाख 70 हजार, लेकिन अगले साल के बजट में रखा है 38 लाख 17 हजार। यह भी कहूंगा, कई माननीय मंत्री को कई बार मैं कहता आया हूं, सड़कों पर अधिक खर्च करने के लिए आप पचासों में 20 [...]

(श्री अमृतलाल गहलोत)

परसेंट को अभिवृद्धि कर देवें, 50 परसेंट की अभिवृद्धि कर दें। क्योंकि बढ़े हुए मूल्य पर सामान मिलता है, महंगाई है और इस विभाग की इन्कम भी तीन करोड़ से पांच करोड़ होने आ रही है, तो उसमें से 20 परसेंट सड़कों के विकास पर लगा दें। सड़कें पहले से महंगी हैं, एस्फाल्ट के भाव दुगने-तिगुने हो गये हैं। साथ ही संसार भर में जो माइनिंग के काम में आने वाली सड़कें हैं वह काफी ड्यूरेबल और मजबूत होती हैं। उन रोड का स्पेसिफिकेशन ऊंचे दर्जे का होना चाहिए ताकि तेज गाड़ियां, भारी गाड़ियां उन पर चल सकें। माइन ओनर गाड़ियों पर मिनरल लाते हैं, इसलिए उन रोड्स का स्पेसिफिकेशन अच्छे ढंग का होना चाहिए। उसके लिए अगर बजट में से पैसा नहीं मिले तो आप फीस लगाइये रायल्टी में वृद्धि कीजिए, कोई तरीका करिये। आपके जो खनिज का ट्रान्सपोर्टेशन करने वाले हैं, माइनिंग करने वाले हैं वह रिजेन्ट नहीं करेंगे अगर आप उनको सड़क अच्छी दे दें। क्योंकि उनको इससे चार पांच गुना नुकसान होता है गाड़ियों को ठीक रखने में, दूसरे उनको एक्स क्वेरी मूल्य भी कम मिलता है। अतः आपको खनिज सम्पदा का अधिक उपयोग करना है तो अच्छा कार्यक्रम बनाया जाय। पांच साल में राजस्थान की खनिज सम्पदा राजस्थान राज्य की आय में दस परसेंट की इन्कम कन्ट्रिब्यूट कर सकती है। आज खानों का सही तरीके से प्लानिंग नहीं हो रहा है और इन्वेस्टमेंट जो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। आप इन्वेस्टमेंट वहां पर कीजिये जहां पर इकानामिक ग्रोथ हो। सिंचाई, सिंचाई, सिंचाई, दीवाने हो गये हैं और तीन सौ चार करोड़ रुपया उसमें सिंक कर दिया है। उससे क्या आमदनी होती है. आज किसान उस प्रोजेक्ट की मेन्टेनेन्स का पैसा भी नहीं देते हैं खनिज साइड पर आप पैसा अधिक दीजिये और राजस्थान की इकानामी का उत्थान कीजिये। अगर खनिज के विकास की योजनायें हों, सड़कों के विकास की योजनायें हों तो प्रान्त के साथ न्याय हो सकता है। इसलिए आप ऐसे कदम उठायें। धन्यवाद!

श्री सभापति : खनिज मंत्री जी !

श्री जुझार सिंह (राज्य मंत्री, खनिज): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने खनिज विभाग से सम्बन्धित मूल प्रश्नों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्यों के बयान से...

(3.30 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जाहिर हुआ, यह सुझाव मुख्य तौर पर, दो तीन मुख्य मुद्दों पर उन्होंने पेश किये हैं। सदस्यों की ज्यादातर मांग एक तो प्रास्पेक्टिंग के ऊपर है कि राजस्थान में खनिज से सम्बन्धित प्रास्पेक्टिंग को और ज्यादा इन्टेंसिव किया जाय और यहां खनिज सम्पदा है, उसको बाहर करने के लिए, और एक्सप्लोइट करने के लिए कोशिश की जाय। दूसरा जो मुख्य मुद्दा माननीय सदस्यों ने रखा है कि खनिज के आधारित ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाये जायं ताकि वहां के लोगों का एम्प्लायमेंट का पोटेन्शियल बढ़े और राजस्थान की आमदनी में भी वृद्धि हो। साथ ही साथ बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं और विभाग से

(श्री जुझार सिंह)

सम्बन्धित कुछ अनियमितता के बारे में यहां जिक्र किया है।

मैं सबसे पहले खनिज विभाग को जो आगे बढ़ाने के चान्सेज हैं और विभाग की जो कुछ योजनायें हैं उनके बारे में सदन को अवगत कराने की कोशिश करूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य महसूस करते हैं, हम लोग इस बात से अवगत हैं कि हमारे राजस्थान में खनिज विकास के काफी पोटेंसियल्स हैं। इस बात को महसूस करते हुए राजस्थान खनिज विभाग ने इस बात की कोशिश की है कि धीरे धीरे खनिज का एक सिस्टेमेटिक वे में विकास किया जाय। आप देखेंगे, राजस्थान बनने के समय खनिज ज्यादातर लीजेज के द्वारा और बड़ी बड़ी मोनोपोली लीजेज के द्वारा चन्द पार्टियों को दिये हुए थे और वे लोग वाग पुरानी स्टेट के अन्दर मोनोपोली लीज होल्डर की तरह अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे। धीरे धीरे यह सिस्टम बदला जाने लगा और साइन्टिफिक एक्स्प्लायटेशन की दिशा में खनिज विभाग की तरफ से प्रयास हुआ। आज इस बात की कोशिश में है, जो बड़े बड़े लीज होल्डर्स हैं उनकी लीजेज की साइज कम की जाय और इस प्रकार की साइज की जाय जिससे साइन्टिफिक एक्स्प्लायटेशन मिनरल वेल्थ का हो। साथ साथ इतने बड़े लीजेज प्लाट के किसी आदमी के पास न रहें जिससे दूसरों को फायदा मिल सके। इस दिशा में पिछले साल भी मैंने निवेदन किया था, हमने इस बात की कोशिश की है और उसके रूल्स करीब करीब तैयार हैं, जो पहले बड़े साइज के प्लाट हैं, जो अभी तक तीस स्क्वायर मील के थे, उनकी साइज घटा कर दस किलोमीटर तक कर दी जाय ताकि ज्यादातर लोग खनिज एक्स्प्लायटेशन में अपॉर्चुनिटी ले सकें। दस किलोमीटर इसलिए किया गया है हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत थोड़ी साइज करने के बाद साइन्टिफिक एक्स्प्लायटेशन नहीं हो सकता और मिनरल का वेस्टेज होता है। सारी बातों को ध्यान में रखकर कोशिश की गई है कि प्लाट की साइज रीजनेबल साइज की हो और साइन्टिफिक वे में एक्स्प्लायट किया जा सके। इसके लिए हमारे नियम हैं उनमें तब्दीली कर रहे हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि अगले कुछ दिनों या महीनों में उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जायगा और जिनके पास बड़े प्लाट हैं उनको कम करके जो सरप्लस प्लाट होंगे उनको दूसरी पार्टी को, जो साईन्टिफिक वे में एक्स्प्लायट कर सकें, उनको देने की कोशिश की जायगी।

माननीय सदस्यों ने यह भी अभी यहां जिक्र किया कि हर साल उन्हीं लीज होल्डर्स को लीज रिन्यू कर दी जाती है और उससे नये आदमियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मैं माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि लीजेज ज्यादातर उन्हीं पार्टीज को दी जाती है जो उनको ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे माईनिंग के साइन्टिफिक एक्स्प्लायटेशन के लिए जरूरी है कि किसी पार्टी को जिसने लीज ली हुई है, उसमें जब तक कोई डिफाल्ट नहीं होता या और तरह की कमजोरी नहीं होती या किसी तरह माइन को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की हो--हम पूरी अपॉर्चुनिटी

(श्री जुझार सिंह)

उसे देना चाहते हैं, लीज उसके फेवर में हो क्योंकि जब तक लीज होल्डर को इस बात की गारन्टी नहीं होती कि वह लीज को कुछ समय तक रख सकेगा तब तक उस पर कोई इन्वेस्टमेंट करना पसन्द नहीं करेगा इसलिए उसको इस बात की गारन्टी होनी चाहिए कि वह जो लीज मिली हुई है, उसको कुछ समय तक रख सकेगा, और साथ साथ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकेगा। हमने इस बात की कोशिश की थी रिन्यूअल के जितने केसेज हैं, लीज होल्डर ने लीज को किस तरह काम में लिया है और विकास के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है, मशीनरी लगाई है या नहीं, मशीनरी बनाई है या नहीं और दूसरी तरह माईनिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कोशिश की है––इन बातों को ध्यान में रखकर रिन्यूअल किया जाता है। रिन्यूअल के टाइम यह बात जरूरी है यह डिपार्टमेंट की पालिसी में है, उसने कोई डिफाल्ट नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है माइन को एक्स्प्लायट करने की कोशिश की है और साइंटिफिक मिनरल वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश की है तो हम उस लीज को रिन्यू करें और लीज का एवरी फाइव ईयर या टेन ईअर, या ट्वेन्टी ईअर में रिन्यूअल पीरियड होता है, उसके इक्वल टर्म में रिन्यूअल किया जाता है। तो कभी माननीय सदस्यों को भ्रांति हो जाती है कि उसी पार्टी को लीज दे देते हैं। यह डिपार्टमेंट की पालिसी का पार्ट है, उसी के तहत लीज का रिन्यूअल किया जाता रहा है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे माईनिंग विभाग ने इस बात की भी कोशिशें की है कि साइन्टिफिक एक्स्प्लायटेशन के साथ साथ हमारा जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसको भी ध्यान में रखा जाय और ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं, जिनके पास आर्थिक साधन नहीं हैं, उन आदमियों को भी माईनिंग विभाग से इस तरह से इमदाद मिले और माईनिंग में आगे आ सकें। उनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि रेन्ट-कम रायल्टी रीजन में हाथ से काम करने वाले और माइन्स में काम करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता दी जायगी और आगे भी उनको ही दी जाय। इसी तरह से बजर चेला मिट्टी की माइन्स लीजेज में भी हाथ से काम करने वाले और माइन्स में काम करने वालों को और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय और जो दूसरे साधन सम्पन्न लोग हैं और जो बड़े ठेकेदार है, उनको प्रिफ्रेन्स नहीं दिया जाय। यह प्रावधान इसलिए किया गया है कि माईनिंग फील्ड से कमजोर तबके के लोगों को फायदा मिल सके और वे काम्पीटीशन में लीज लेने वाले लोगों के मुकाबले में महरूम नहीं रह जायं। इसलिए इन प्रावधानों से माईनिंग फील्ड में मेहनत से काम करने वाले लोगों को और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को काम मिलेगा और जो यह शिकायत रहती है कि बड़े-बड़े आदमियों को ही मौका दिया जाता है और वे ही लोग इस पर छाये रहते हैं, इस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों का

(श्री जुझारसिंह)
ऐसा ख्याल है कि माइनिंग डिपार्टमेन्ट ने मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की दिशा में बहुत कुछ काम नहीं किया है, यह बात सही भी है कि मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज का जितना विकास होना चाहिए, उतना नहीं हो सका है। परन्तु फिर भी इस दिशा में काफी प्रयास किये गये हैं। यह कोशिश की गई है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज खोली जाय और जो राज्य खनिज सम्पदा है उसका पूरी तरह से एक्स्लायटेशन हो और फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में उसको तैयार किया जाय, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्कम हो और मजदूरों को भी इसका लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि राजस्थान बनने के टाइम पर माइन्स की लीजेज कुछ चन्द लोगों की ही मोनोपोली थी और स्टेट की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था और उसको एक निश्चित आय का साधन मात्र ही समझा गया था। आज नज़र डालते हैं, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी महसूस करेंगे कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी-बड़ी मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज स्थापित की गई हैं और अभी पिछले साल ही कोपर का एक बहुत बड़ा कारखाना खेतड़ी में और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और इसी तरह से मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज चालू की गई हैं। पांच सीमेन्ट के कारखाने स्थापित किये गये हैं। निम्बाहेड़ा का सीमेन्ट का कारखाना है पिछले साल से उसकी उत्पादन क्षमता एक हजार टन प्रति दिन हो गई है। इस तरह से आप महसूस करेंगे कि धीरे-धीरे मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज का राजस्थान में विकास किया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेन्ट भारत सरकार से भी निवेदन करती रही है कि इस प्रकार की इण्डस्ट्रीज राजस्थान में लगाई जायं जिससे यहां के लोगों को काम मिले और राजस्थान का विकास हो। अभी यह भी कोशिश की जा रही है, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से करस्पोन्डेन्स चल रही है कि हमारे यहां पर राक फास्फेट और रॉ मेटीरीयल उपलब्ध है, इससे खनन के कारखाने राजस्थान में लगाये जाने चाहिए। इस विषय में विचार विमर्श चल रहा है और लिखा-पढ़ी भी हो रही है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जो भी मैटीरीयल हमारे यहां पर उपलब्ध है उसका उपयोग राजस्थान में ही किया जाय और उसके उपयोग से सम्बन्धित मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज लगाने की भारत सरकार अनुमति देगी।

इसके अलावा जो सबसे बड़ा अचीवमेन्ट हमने पिछले साल किया है वह, उपाध्यक्ष महोदय, झामर कोटड़ा में रॉकफास्फेट का जो उत्पादन हुआ वह बहुत ही सन्तोष का विषय है। पिछले साल हमारा प्रोडक्शन डेढ़ लाख टन से कुछ ही कम था। लेकिन पिछले बारह महीनों में हमारे राजस्थान में राजस्थान स्टेट मिनरल एन्ड माइन्स कोरपोरेशन की कोशिश से जो हमारा टारगेट चार लाख टन का था वह हमने अचीव कर लिया है, और थोड़ा बहुत बाकी है वह हम 31 मार्च तक पूरा कर सकेंगे, ऐसी आशा है। वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और राजस्थान मिनरल डवलपमेन्ट के क्षेत्र में बहुत

(श्रीजुझारसिंह)

बड़ा अचीवमेन्ट है। हम इस कोशिश में हैं कि आगे आने वाले सालों में भी इस प्रोडक्शन को कायम रख सकें और इस उत्पादन को पांच लाख टन तक बढ़ा सकें, यह हमारा प्रयास रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, रॉकफास्फेट को लेकर कई प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से और अन्य प्रकार से माननीय सदस्य हमेशा ही इस प्रश्न को लेकर चर्चा किया करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इसके उत्पादन का सवाल है, हमारे सामने सबसे बड़ी प्रोब्लम यह है कि जो प्रोडक्शन का टारगेट है वह तो ओवर कम कर लिया है परन्तु आज समस्या यह हो गई है कि इस रॉ मेटीरीयल को डिस्पोज आफ कैसे किया जाय। इसके बारे में राज्य सरकार समय समय पर भारत सरकार को लिखती रही है और इस बात को इम्प्रेस करने की कोशिश की है कि जितना भी रॉक-फास्फेट इम्पोर्ट किया जाता है उसको कम किया जाय और उतना ही किया जाय जो यहां के उत्पादन से कम पड़ता हो। इम्पोर्टेड रॉक-फास्फेट और हमारे यहां जो प्रोड्यूस होती है वह मिलाकर देश की पूर्ति हो सके इस ओर प्रयत्न किये जा रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि एम. एम. टी. सी. ने जो अन्दाज लगाये हैं देश में रॉक-फास्फेट की बचत के वह हमारी रिक्वायरमेन्ट्स के मुकाबले में ज्यादा हैं। उनका खयाल है कि 12 लाख टन राक-फास्फेट की हमको आवश्यकता पड़ेगी लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि यह जो उनका असेसमेन्ट है वह भी ज्यादा है और भारत सरकार को निवेदन किया गया है कि उनका यह असेसमेन्ट व्यवहारिक नहीं है। जितनी हमको देश में आवश्यकता है इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने इस इम्पोर्टेड रॉक-फास्फेट को घटाकर साढ़े-नौ लाख टन का इन्डीकेशन दिया है लेकिन हमारा खयाल है कि यह भी ज्यादा है। हमारे पास ढाई लाख टन इन्डीजिनस रॉक-फास्फेट पड़ा हुआ है जिसको यहां पर काम में लेना है। उसके अलावा हम पांच लाख टन इन्डीजिनस रॉक-फास्फेट के उत्पादन का टारगेट रखते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भारत सरकार को निवेदन किया है कि इम्पोर्ट कम किया जावे। दूसरी जगह भी, मध्यप्रदेश में भी रॉक-फास्फेट के भण्डार मिले हैं, हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर में भी, तो इन सारे फेक्टर्स को देखने के बाद में और इन्डीजिनस प्रोड्यूस को ध्यान में रखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि भारत सरकार जो टारजेट फिक्स कर रही है वह बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हमारे राक-फास्फेट का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है इसके डिस्पोजल के लिये इम्पोर्ट को कम किया जाय और इन्डीजिनस राक-फास्फेट का यूटिलाइजेशन कन्ट्री में ही करें। साथ ही साथ हमने यह भी सुझाव दिया है कि अगर इम्पोर्टेड रॉक-फास्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया है तो जो इंडीजीनस रॉक-फास्फेट है उसको विदेशों में एक्सपोर्ट करने की इजाजत हमें भारत सरकार दे ताकि हमारा जो रॉक-फास्फेट है वह लिफ्ट किया जा सके। इससे हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस बात का फायदा होगा कि बहुत से कन्ज्यूमर्स जो इस तरह के एतराज करते है

(श्री जुझारसिंह)

कि यहां के रॉक फास्फेट में सिलिका कन्टेन्ट ज्यादा है लेकिन अगर हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी जाती है तो सारे एतराज, जिनको हम बिल्कुल सही मानकर नहीं चलते हैं वे एतराज हमारी लोकल फर्म्स के सामने नहीं रहेंगे और आगे इस लोकल रॉक फास्फेट को भेजने में सुविधा होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन 12 महीनों में हमारे विभाग ने मेहनत करके इस रॉक फास्फेट का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक–पाईलिंग हो गया है, उसको अगले वर्ष में भारत सरकार से नेगोशिएट करके इम्पोर्ट को कम करेंगे या एक्सपोर्ट की इजाजत लेकर डिस्पोज ऑफ करने में सफल होंगे।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों से राजस्थान के जो दूसरे महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां संगमरमर के बहुत बड़े भंडार हैं और मकराना का संगमरमर दुनियां में प्रसिद्ध माना जाता है। अभी जो देश का टोटल उत्पादन है मार्बल का, करीब 55 पर्सेंट उत्पादन मकराना से होता है राजस्थान में जितना उत्पादन होता है उसका 65 पर्सेंट मकराना से होता है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस मकराना के मार्बल का जो एशूएर्ड है जिसके प्रचार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले ही वेल एडवर्टाइज्ड है, इस बारे में पूरे डिटेल्स सर्वे करके हम विभाग के पास इकट्ठा कर सकें और किस तरह से फ्यूचर एक्सप्लॉइटेशन हो, किस तरह से साइंटिफिक वे में एक्सप्लाइटेशन हो इस बारे में रूपरेखा का आयोजन कर सकें जिससे इस महत्वपूर्ण खनिज का वेस्टेज न हो, इसको देख रहे हैं। अभी मकराना में करीब 560 माईनिंग लीसिज छोटे बड़े हैं। 50 बाई 50 से लेकर 200 बाई 200 के हैं और उनमें बहुत सी माइन्स हैं जो माईन्स सेफ्टी एक्ट के तहत डेंजरस भी हो गई हैं, उनका साधनों को देखते हुए पूरी तरह से एक्सप्लाइटेशन भी नहीं हो सकता और जिस तरह से हाथ से मार्बल का काम किया जाता है या निकाला जाता है और कभी-कभी ब्लास्टिंग करके बाहर निकालते हैं उसमें अच्छे मिनरल का वेस्ट भी होता है। इस कारण से हम इस बात की कोशिश में हैं कि क्या अच्छे से अच्छा तरीका हो सकता है जिससे मार्बल का प्रॉपर एक्सप्लाइटेशन हो सके और भविष्य में जो लीजेज उस क्षेत्र में दिये जायं उनको किस ढंग से दिया जाए, किस साइज में दिया जाए ताकि मिनरल वेल्थ का प्रॉपर एक्सप्लाइटेशन किया जा सके।

मिनरल-बेस्ड उद्योगों के बारे में मैंने जो स्टेट सेक्टर में काम हुए हैं, उनके बारे में बताया लेकिन जहां जहां इस तरह के कन्सन्ट्रेशन्स मिनरल वेल्थ के हैं, वहां प्राइवेट पार्टीज की छोटी-मोटी फेक्ट्रीज पालिशिंग फैक्ट्रीज और ग्राइंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। इस तरह के स्थान जैसे मकराना ही है, वहां कोई 200 से ऊपर पोलिशिंग फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और मार्बल को काटने की मशीनें उन्होंने लगाई हैं। जिस-जिस जगह पर इस तरह के मिनरल्स उपलब्ध होते हैं लाइम स्टोन के या मार्बल के, वहां पर प्राइवेट पार्टीज ने उन पर थोड़े बहुत उद्योग

(श्री जुझारसिंह)

लगाने की कोशिश की है लेकिन साइंटिफिक वे में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जायं इस बात की कोशिश की जानी चाहिए, इसमें दो राय नहीं। हम भी महसूस करते हैं कि जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होंगे, हम इस बात की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में ज्यादा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित किया जाय और लगाने की कोशिश जाए। राजस्थान में कुछ मिनरल राजस्थान में बनी हुई निगम के मार्फत एक्सप्लाइट करने की योजना बनाई हुई है उसमें जो जो ग्रेनाइट की डिपोजिट्स हैं जालोर में जिसको डेवलप करने के काफी चांसेज हैं उनको स्टेट सेक्टर में औद्योगिक व खनिज विकास निगम के माध्यम से उसमें फैक्ट्री लगाकर उसमें पोलिशिंग और चराई की व्यवस्था करने की योजना है। यह योजना निगम के पास बहुत दिनों से विचाराधीन है। अब वह योजना ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है कि हमने इटली की कम्पनी से निगोसिएशन्स किए हैं और मैं आशा करता हूं कि क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा इन्वाल्व्ड है, एक यूनिट पर 12.60 लाख रुपए खर्च आता है और हम 5–6 यूनिट्स लगायेंगे तो हम समझते हैं कि अगले वर्ष में एक यूनिट पोलिशिंग की और कटिंग की निगम के माध्यम से लगा सकेंगे।

इसी तरह से माइका की स्पिलिटिंग है उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। माइका के बड़े भंडार हैं लेकिन यहां आदमी इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकता है क्योंकि हमें ट्रेन्ड परसोनेल नहीं मिलता। उसको स्पिलिटिंग करने के लिए हमको यह माइका क्रूड फार्म में बिहार भेजना पड़ता है तो हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि माइका की स्पिलिटिंग के लिए क्लीनिंग सेंटर राजस्थान में लगाया जाय ताकि यहां के लोगों को फायदा मिल सके।

उपाध्यक्षजी, माईनिंग विभाग ने ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश की है कि हमारे राज्य में जो मिनरल वेल्थ है वह बड़ी मात्रा में उपलब्ध है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रास्पेक्टिंग किया जाए और उसके लिए हमने जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया था जो माननीय सदस्यों को सर्क्यूलेट हुई, 27 जगहों पर हमारे प्रास्पेक्टिंग के कार्य चालू हैं और वहां हमने ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों पर प्रास्पेक्टिंग करने की कोशिश की है जहां बेस मेटीरियल की डिपोजिट्स हों जिसमें जिंक, कॉपर या लेड है या सीमेंट के लिए लाइम-स्टोन उपलब्ध हो, उनको अधिक से अधिक प्रास्पेक्टिंग करने की कोशिश की है। उन 27 स्थानों में से 20 स्थान लाइम-स्टोन के प्रास्पेक्टिंग या बेस मैटीरियल के प्रास्पेक्टिंग योजना इन्वेस्टीगेशन के लिए चल रही है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी तक जो हमारे पास परिणाम उपलब्ध हुए हैं, बेस मैटीरियल के प्रास्पेक्टिंग से वे काफी एन्करेजिंग हैं। हमने पिछले कुछ सालों से बेस मैटीरियल के डिपाजिट का पता लगाया जिसमें काफी रिच कन्टेंट है, 14 पर्सेंट मिनरल आता है जो देश के काफी रिच डिपाजिट्स में से हैं। अभी उस जगह पर एक्सप्लोटरी माईनिंग का काम चालू है और करीब 4।। हजार टन उसमें से माल निकाल कर उसकी जांच पड़ताल के लिए

(श्री जुझारसिंह)

जगह जगह भेजने का आयोजन किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय उसके रिजल्ट आ जाने के बाद मेटल का एसप्लोईटेशन किया जा सकेगा इसके लिये कॉरपोरेशन के माध्यम से जिसका की एप्रोच पेपर में दिया है उसके लिये मेटल वेस कॉरपोरेशन बनाया जायेगा। उसका एक्सप्लोईटेशन इसी निगम के माध्यम से किया जायेगा। इसी प्रकार दूसरी जगह सिरोही में भी काम चल रहा है उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट वेस मेटल के आने की उम्मीद है। मैं माननीय सदयस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि बेस मेटल के लिये काफी जगह पर हमारे यहां पर खोज चल रही है उदयपुर जिले में दिलवाड़ा म भी वेस मेटल के काफी अच्छे कन्टेन्ट्स मिलने की सम्भावना है ऐसा सर्वेक्षण से प्राप्त रिपोर्ट में दिया है। इसी प्रकार डूंगरपुर में वेस मेटल के लिये काफी अच्छी प्रगति हो सकती है। तो मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार अपने खनिज के विकास की सम्भावनाओं की तरफ काफी प्रयत्नशील है लेकिन इसमें समय लगता है। होता क्या है कि एक बार सर्वे कहीं पर हो जाता है तो उसके बाद माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जल्दी ही इसका काम शुरू होना चाहिये। लेकिन इसके रिजल्ट आप सोचें कि छः माह में या 12 माह में आ जावे यह आप निश्चित तौर से नहीं कह सकते हैं। इसमें समय तो ज्यादा भी लग सकता है। जब समय लगता है तो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि शायद वह काम बन्द हो गया है या अभी उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लेकिन इसमें पहले तो सर्वे होता है फिर उसके बाद में उसकी डिटेल्ड जानकारी की जाती है कि इसका एक्सप्लोईटेशन किस किस तरह से हो सकता है। तो इसमें समय लग सकता है माननीय सदस्यों को इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिये। जहां तक सवाल मेटल वेस्ड इन्डस्ट्री का है हमारे राजस्थान में उसके काफी अच्छे विकास होने की सम्भावना है और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ समय में हमारे यहाँ पर स्टेट सेक्टर में उसके एक्सप्लोईटेशन के काफी अच्छे नतीजे मिलेंगे। में उसके विकास का काम एक कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने सीमेन्ट के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किये। जहाँ तक सवाल सीमेन्ट का है उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर सीमेन्ट ग्रेड के लाइम स्टोन की काफी उपलब्धि है और उसके बारे में खोज भी की गयी है और की जा रही है। हमारे यहां पर नीमकाथाना में एक फैक्ट्री सीमेन्ट केशोराम के नाम से लाइसेन्स दिया गया है। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें इस बात की आ रही है कि वहां रेल्वे की फैसीलिटीज की कमी की वजह से वहाँ पर काम ठीक नहीं हो रहा है। वहां पर जो सीमेन्ट का लाइम स्टोन उपलब्ध हो रहा है उसका ठीक तरह से रेल्वे के वैगन वगैरह नहीं मिलने से उसका एक्सपलोईटेशन नहीं हो पा रहा है। हमारे पास इस प्रकार की सूचना आयी है केशोरामसिंह से कि इस तरह की रेल्वे की तरफ से दिक्कत आ रही है। नीमकाथाने से माल उठाने की गारन्टी रेल्वे दे नहीं रही है और जब तक इस प्रकार क्लीयरेन्स रेल्वे से

(श्री जुझारसिंह)

नहीं मिल पाता तो वहां पर इसका काम किस प्रकार से चल सकता है। इसी प्रकार कोटपूतली में लाइम स्टोन है पर उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ऐसा कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। यह बात सही है लाइम स्टोन कोटपूतली में अच्छा है वहां पर इसके अच्छे डिपोजिट्स हैं और उसको सीमेन्ट के काम में लाया जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सीमेंट उद्योग लगाने के लिए पार्टियां गवर्नमेन्ट के पास आ रही हैं। लाइसेन्स मांग रही हैं और राज्य सरकार की मंशा भी सीमेन्ट उद्योग वहां पर लगाने की है। लेकिन राज्य सरकार की इसमें यह मंशा है कि जो पार्टी वहां पर सीमेन्ट का उद्योग लगाने के लिये लाइसेन्स मांगे वह ऐसी पार्टी होनी चाहिये जो कि सीमेन्ट का कारखाना सुचारु रूप से चला सके। इसके लिये नन्दलाल अग्रवाल ने एक एप्लीकेशन दी है और मैं समझता हूं कि वह कारखाना यहां पर दो साल में लग जायेगा। क्योंकि राज्य सरकार ने उसकी एप्लीकेशन को क्लीयर किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर रेल्वे की डिफीकल्टी नहीं आयेगी और सीमेन्ट का कारखाना कोटपूतली में लगाया जा सकेगा। राज्य सरकार इस ओर पूर्ण रूप से जागरूक है कि राजस्थान में खनिज उद्योगों का विकास किया जाय। बेस मेटल इन्डस्ट्रीज को बढ़ाया जाय। जहां तक सवाल लाइम स्टोन का है उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि इसके लिये ब्यावर में, बून्दी में, कोटपूतली में और कई जगहों में प्रोस्पेरिटी के अच्छे चान्सेज हैं। राज्य सरकार इसके लिये कोशिश कर रही है कि सीमेन्ट के कारखाने यहां पर लगाये जायं।

खास दिक्कत जो सीमेन्ट का कारखाना यहां पर नहीं लगने में जो इतने दिन आयी है उसके लिये राज्य सरकार भारत सरकार के रेल्वे बोर्ड से इस बारे में पत्र व्यवहार कर रही है और उम्मीद है कि रेल्वे बोर्ड इसमें हमारी मदद करेगा जिससे कि हमारे यहां पर सीमेन्ट के कारखानों से जो माल निकले वह भेजने की व्यवस्था हो सके। बस इतना ही निवेदन कर मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि जिन्होंने खनिज की मांगों पर अपने विचार व्यक्त किये और अपने बहुमूल्य सुझाव राज्य सरकार को दिये। जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि राज्य सरकार इस ओर कार्य करने के लिये पूर्ण रूप से सक्रिय है इसलिये माननीय सदस्यों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार इसके लिये कार्यवाही करेगी। अब मैं उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा कि खनिज की मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, जन सम्पर्क) : उपाध्यक्ष महोदय, जन सम्पर्क की मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये। जिसमें माननीय सदस्यों ने अधिकतर इस विभाग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, इस विभाग को अधिक सतर्कता से काम करने के लिये, और जिस उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना हुई है उस उद्देश्य का उत्तरदायित्व भलीभांति सम्पादित कर सके।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

इस दिशा में अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी माननीय सदस्यों ने पेश किये। इसके अलावा उनमें विशेष तौर से कुछ कमियां हैं उन्हें मिटाने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं उनमें कई गम्भीर खामियां हैं उन्हें किस तरह मिटाया जाये यह बताया। उपाध्यक्ष महोदय, जन सम्पर्क विभाग अपने आप में विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार की सेवा करता है उसका अपना एक दृष्टिकोण है। उसमें राज्य सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसकी कुछ उपलब्धियां होती हैं वह प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, राज्य सरकार के दृष्टिकोण और लक्ष्यों को प्रत्येक राज्य के व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। राज्य सरकार की जो योजनायें होती हैं, प्रदेश में राज्य सरकार क्या कर रही है क्या प्रगति हमारे यहां पर योजनाओं में हुई या होने वाली है उसको भी गांवों गांवों में पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम जनसम्पर्क विभाग का है। इसके साथ साथ राज्य की विकास की जो उपलब्धियां हैं उन्हें भी हमारी जनता तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व इस विभाग का है। इसके अलावा उनसे राज्य सरकार के प्रति ग्राम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, क्या चीज जनता ग्रहण कर सकती है और क्या नहीं ग्रहण कर सकती है और नहीं ग्रहण कर सकने के क्या कारण हैं उसके लिये किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये इसके लिये यह विभाग राज्य सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करता है। इसके साथ साथ यह विभाग नये जमाने में आस्था पैदा करने के लिये भी कार्य करता है। नई व्यवस्थाओं को लाने के लिए परिवर्तन के प्रति उन्मुक्तता होने दे, जहां एक ओर प्रेरित होना चाहते हैं उसके साथ साथ जन भावना के साथ विकास कार्य, सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं को अदा करने का भी महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं। ये अपने आप में इतने महत्वपूर्ण काम हैं जिनको हम देखें। दरअसल में एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लाना चाहते हैं। समाजवाद की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए एक तरफ हमारे लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता है, लेकिन हम इस चीज को भी नहीं भुला सकते हैं कि केवल भौतिक साधनों से परिपूर्ण होना है, जब तक जनता में जागृति लाने के लिए उनके विचारों को परिवर्तित करने और एक नये जमाने के अनुसार उनके सोचने और समझने के तरीकों को बनाने का सम्बन्ध है, जहां एक ओर इन सम्बन्धों को निभाने के लिए भारत सरकार और राज्यों के द्वारा जो कार्यक्रम हैं, जो योजनायें हैं, हाथ में लिए गये हैं, उनको अभिलेख करते हैं, यह अपेक्षा करते हैं कि उनको ग्रहण करें, व्यवहार और जीवन में उतारें और नये जमाने की नई पृष्ठभूमि में तैयार करने के लिए जनता स्वयं में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन कर तैयार हो जिसको जनसम्पर्क विभाग के द्वारा करना चाहते हैं।

काम बहुत बड़ा है। विशाल राजस्थान के नक्शे पर हम काम को संपादित करने का कार्य है लेकिन सीमित साधनों में ही काम करना चाहते हैं। इसके संचालन के लिए बहुत से माध्यम हैं। जहां एक ओर जो राजकीय साधन उपलब्ध हैं, उसके

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

अलावा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साधन भी काम में आते हैं। राज्य सरकार के साधनों से हमारा जो मुख्यालय है उसके द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम और गतिविधियां हाथ में लिये हुए हैं जिनके जरिये से हम कार्य कर रहे हैं।

हमारे विभाग के अधिकारी जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, उनसे सम्पर्क रखते हैं, उनको विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी कराते हैं मौके पर जाकर विशेष विवरण तैयार कराते हैं और रेडियो, पत्र पत्रिका से, फिल्म प्रदर्शन से उनको जगह जगह तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं।

उसके साथ में साहित्य का भी प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध मे विभिन्न विभागों में क्या क्या कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं उन्हें भी दर्शाते हैं। साथ में बड़े विभागों के जो जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हमारी पूंजी की लागत कितनी है, उनका देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में कहां स्थान है, उसके लिये भी तैयारी करते हैं।

सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण इलाके, अथवा स्थान, अथवा कार्य हैं उनके बारे में इस प्रकार का साहित्य तैयार किया जाता है। साथ साथ में मौजूदा जो समस्यायें हैं उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, राजकीय स्कीम्स हाथ में ली जाती हैं उनके लिए इस प्रकार का साहित्य तैयार किया जा सकता है कि जिससे उसकी भूमिका लोगों तक पहुंच सके।

समय समय पर लेख प्रकाशित होते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक स्थानों के बारे में, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के बारे में, मेला और प्रदर्शन भी होते हैं, उनके बारे में लेख भी लिखे जाते हैं, साहित्य भी तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ में कान्फ्रेंसेज के द्वारा भी विभाग के कार्य किये जाते हैं। जिस विभाग ने जो योजना हाथ में ली है और उस क्षेत्र में अब तक जो कार्य किये हैं और आने वाले समय में क्या महत्वपूर्ण कार्य लेना चाहते हैं कोई महत्वपूर्ण घोषणा हो, समय समय पर विभाग के द्वारा चाहे जाने पर इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। केन्द्रीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारीगण इस काम को करते हैं।

जिला मुख्यालयों पर जिला जन सम्पर्क अधिकारी हैं, वे काम करते हैं। हमें थोड़ी कमी खटकती है। वह यह है कि तीन जिलों में जन सम्पर्क अधिकारी हम कायम नहीं कर सके हैं। कोशिश हमारी यही है कि इनमें भी ये कायम हो सकें।

ये जो जिला अधिकारी हैं उनसे सम्पर्क स्थापित करते हैं। उनके साथ साथ स्थान स्थान पर जाकर योजनाओं का अध्ययन करते हैं और प्रचार और प्रसार के लिये उनको जो व्यवस्था करनी होती है वह करते हैं। साथ साथ उस जिले में कोई महत्वपूर्ण घटना हो, आयोजना हो और जन महत्व की और कोई बात हो उनमें अपने आपको शामिल करते हैं और समय समय पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की कोशिश करते हैं।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

जिलाधिकारी अपनी ओर से आयोजन करते हैं, जिससे विशेष आयोजनाओं पर विचार गोष्ठियां आयोजित करते हैं और गैर सरकारी और विभाग के लोगों को आमन्त्रित करते हैं। इसके अलावा जो पत्र पत्रिकायें जिले में निकलती हैं उनसे बराबर सम्पर्क रखना, उनको समाचार देना और उनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना, इस प्रकार से भी अपना काम करते हैं।

पिछले दिनों में राज्य सरकार और जिला स्तर पर प्रचार के लिये समन्वय समितियां गठित कीं। उनकी कई जगह मीटिंग्स भी हुई हैं, उनके जरिये से हम यह चाहते हैं कि समस्त विभागों में प्रचार के जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका एकीकरण करके लाभ उठाया जाय जिससे कम से कम साधनों में और कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों को सम्पादित कर सकें और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

इस प्रकार जन सम्पर्क अधिकारी सरकारी अधिकारियों, विभागों एवं महत्वपूर्ण संस्थाओं से तथा आम व्यक्तियों से बराबर सम्पर्क रखते है और जो समाचार होते हैं आवश्यक उनका प्रचार करने के लिये मुख्यालयों से जुड़े हुए होते हैं और काम करते हैं।

हमारी तीसरी इकाई काम करती है वह है हमारे सूचना केन्द्र। राजस्थान में 7 सूचना केन्द्र हैं राजस्थान से बाहर 3 सूचना केन्द्र हैं। दिल्ली-बम्बई और कलकत्ता में काम करते हैं। ये प्राथमिक स्थिति में हैं। सीमित साधनों के कारण, इनको सम्यक साधनों से सुसज्जित नहीं कर पाये है जितना करना चाहते थे लेकिन उसके बावजूद भी ये सूचना केन्द्र हमारे कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने के लिये जो भी उससे लाभ उठाना चाहते है उनके लिये महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।

इन सूचना केन्द्रों में कई प्रकार के कार्य होते हैं। इसका संचालक एक सूचना केन्द्र अधिकारी होता है। यहां पर अनेक पुस्तकें हैं, राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक उत्थान से सम्बन्धित आयोजनाओं से सम्बन्धित वाचनालय हैं। जो सूचना केन्द्र चलाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकायें मंगायी जाती हैं और हजारों आदमी उनका लाभ उठाते हैं।

इसके साथ साथ में सूचना केन्द्र का महत्वपूर्ण उपयोग जो है वह यह है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा में जो कार्यक्रम हैं, उनके विषय में समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, परिचर्चायें होती हैं, संवाद होता है और उनके माध्यम से इन्टेलिजेन्स के लोग भी, दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता भी, शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले लोग भाग लेते हैं। इसके साथ ही चलचित्र प्रदर्शन का काम होता है। इसके अलावा जगह जगह ट्रान्समीटर्स भी लगाये हुये हैं जिनसे समय समय पर जो सूचनायें होती हैं, जारी करते हैं और रैगूलर वे में जो राजस्थान के समाचार होते हैं उनको प्रसारित करते हैं। इस प्रकार राजस्थान के पास जो दूसरा माध्यम है वह इस प्रकार

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

है। इसके अलावा हम प्रदर्शनी लगाते हैं, फिल्म शोज करते हैं। यह भी ओडोविजुअल एड है जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। हम चलचित्र प्रदर्शनियों का प्रबन्ध करना चाहते हैं इसके करने पर एक बहुत बड़ा कदम हमारे सामने आयेगा।

इसके साथ में भारत सरकार का माध्यम हमारे पास उपलब्ध है उसमें रेडियो स्टेशन जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में कायम है। हम जोधपुर में रेडियो स्टेशन को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं क्योंकि वह हमारे सीमान्त क्षेत्र में है आज भी पाकिस्तान की जो खबरें आती हैं उसका जो प्रभाव वहां पड़ रहा है उससे प्रभावित नहीं हो सके और हमारी आकाशवाणी का प्रसारण वहां तक पहुंच सके इसकी चेष्टा की है। जितना मैक्सिमम बन सकता है उतना उसको बनाया है। अब नये जो ट्रान्समीटर्स स्टेशन स्थापित होंगे वे ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं उसके लिए भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्री महोदय से बात की है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात के महत्व को देखते हुये कि हमारे सीमान्त प्रदेश में आकाशवाणी का प्रसारण नहीं होता है, जो जानकारी हम सीमान्त क्षेत्र के लोगों को देना चाहते हैं वह नहीं पहुंचती है और जो एन्टी प्रोपेगेन्डा पाकिस्तान का है वह पहुंचता रहे तो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं पर बुरा असर पड़ता है। इसलिये बाड़मेर में एक ट्रान्समीटिंग स्टेशन इस दृष्टि से कायम किया जाय, इसके लिये भी बराबर प्रयत्नशील हैं और भारत सरकार के जो सुरक्षा मंत्री हैं उनको इसकी अहमियत को समझाते हुये निवेदन किया है।

इसके अलावा एक सुझाव यह भी आया है कि कोटा में रिले स्टेशन कायम करें। यह उपयोगी सुझाव है हम इसके बारे में भी प्रयत्नशील हैं। इसके साथ ही सूरतगढ़ के आस पास के क्षेत्रों को कवर करने के लिये भी प्रस्ताव दिया था। उसके लिये एक जमीन का भी सलेक्शन किया था और वह जमीन मिलिट्री एरिया में होने के नाते नहीं दे पाये किन्तु यह ध्यान में है कि दूसरी जगह जमीन दी जाय जिससे यह काम भी हाथ में लिया जा सकेगा।

दूसरे भारत सरकार की जो टेलीविजन की स्कीम है वह आप सबको मालूम है। हमारे तीन जिलों में 400 टेलीविजन सैट्स के प्रोग्राम का काम हाथ में लिया गया है और एक अगस्त से यह कार्यक्रम प्रारम्भ हो जायगा। इस कार्यक्रम को सम्पादित करने के लिए और तमाम साधन जो भारत सरकार ने जुटाये हैं वह स्थानीय व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार ने 10 लाख का प्रावधान किया है। आपने देखा होगा आते जाते कई स्थानों पर सैट्स सेट-अप हुए हैं। टेलीविजन की शुरूआत जयपुर और बूंदी से होगी। हमारा प्रयत्न है जयपुर में नाहरगढ़ किले पर तीन एकड़ जमीन और बूंदी में तीन एकड़ जमीन हमने उनको दी है। यह माइक्रोवेव्स से लिन्क करके हम 76 तक पूरी कर पायेंगे यह उम्मीद है।

इसके अलावा जो यागो-ब्राडकास्टिंग स्टेशन चलते हैं उसमें यह सम्भव है यह और रिले स्टेशन कायम कर सकें और पिसा...

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

क्षेत्र में झुंझुनूं के क्षेत्र को कवर कर सकें। यह प्रयत्न जारी है और हमें उम्मीद है आने वाले कुछ समय में हमारा यह प्रयत्न सफल हो सकेगा और भारत सरकार की टेलीविजन स्कीम से हमको पूरा पूरा लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा भारत सरकार की जो और साधन हैं ओडोविजुअल एंड ड्रामा डिविजन उनसे भी हम बराबर सम्पर्क रखते हैं और समय समय पर भारत सरकार का जो ड्रामा डिविजन है उसका हमको समय समय पर बहुत ही लाभ मिलता रहता है–राजस्थान की जो टीम है गाने की कोशिश करती है।

समाचार पत्र आज के युग में बहुत ही प्रभावशाली प्रचार का माध्यम है और विचारों का काफी आदान प्रदान करता है और उसके लिये राजस्थान में भी समाचार पत्रों का ज्यादा से ज्यादा स्तर ऊंचा उठे, ज्यादा से ज्यादा समाचार पत्र निकलें और बड़े बड़े प्रदेशों को कवर कर सकें इसके लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं और समाचार पत्रों को जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है उसकी कोशिश की जाती है। अभी पिछले दिनों सुझाव आया था समाचार पत्र अपने कार्य को सम्पादित करने के लिये साधनों से महरूम नहीं रह सकें और किस प्रकार स्थिति का सुधार नहीं कर सके इसके लिए एक निगम की स्थापना की जाय। इस प्रकार का निगम कुछ राज्य सरकारों में कायम है–हम भी इस प्रकार का निगम कायम कर सकें तो राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार किया है और उसकी जानकारी को जा रही है, जानकारी प्राप्त होते ही उसकी रूपरेखा तैयार की जा सकेगी इस बात के प्रयत्न में हम हैं। इसलिये समाचार पत्रों का जो हमारे यहां प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम है उसको काम में लेते हैं।

एक बायो-ब्राडकास्टिंग का प्रोग्राम है, यह बायो-ब्राडकास्टिंग कुछ शहरों में है। अभी अलवर में जो प्रारम्भ किया गया है और हम यह विचार करते हैं कि हमारे सीमान्त क्षेत्रों में अगर रेडियो स्टेशन के जरिये····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दो प्रसारण के बारे में···

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह बायो-ब्राडकास्टिंग कुछ शहरों में है और हम यह चाहते हैं सीमान्त क्षेत्र में अगर रेडियो स्टेशन, ट्रान्समीटिंग स्टेशन की शीघ्रता से व्यवस्था नहीं हो सके तो फिलहाल हम सीमान्त क्षेत्र में इस बायो-ब्राडकास्टिंग का प्रबन्ध कर सकें तो जो राज्य के समाचार प्रसारित होते हैं उनको देखें लेकिन समय समय पर उन स्थानीय जिलों की जो समस्यायें हैं और पाकिस्तान से लगे होने के कारण जो विशेष समाचार पत्र प्रसारित होने चाहिये और जो कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिये इस पर व्यवस्था की जा सके, हम विचार कर रहे हैं।

समाचार जल्दी से जल्दी हमारे क्षेत्रों में पहुंच सकें इसके लिये टेलीप्रिन्टर की सेवायें बहुत जरूरी हैं। कुछ समय पहले हमारे यहां टेलीप्रिन्टर की जो सेवाएं थीं कम थीं लेकिन अब अजमेर और जोधपुर जिलों को भी जोड़ने का प्रयास

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

किया है जिससे उन क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिले। इसके अलावा राज्य स्तर की कुछ समितियों के बारे में जिन माननीय सदस्यों ने जिक्र किया मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय सदस्य श्री मनोहर लाल जी ने इस बात को बहुत ही महसूस किया कि जो समाचार पत्र प्रकाशित किये जाते हैं अथवा जन सम्पर्क विभाग से प्रकाशन हेतु भेजे जाते हैं वह सिर्फ मन्त्री साहबान के सम्बन्ध के होते हैं और यहां तक भी आपने कहने की सीमा नहीं रखी कि मंत्री को छींक भी आ जाय तो वह...

श्री गुमानमल लोढ़ा : अस्वस्थ हो जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह आक्रोश के वशीभूत होकर कही होगी लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं जन सम्पर्क विभाग के द्वारा राजकीय योजनाओं के सम्बन्ध में, राजकीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, इस दिशा में किये जाने वाले आयोजनों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार की नीतियों और घोषणाओं के सम्बन्ध में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में अथवा उन कार्यकर्ताओं के संबंध में जो इस प्रकार के प्रसारण में भाग लेते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय मेरी बात का उत्तर नहीं आया...

(व्यवधान--प्रश्नव्य)

मुख बन्ध प्रयोग

श्री उपाध्यक्ष : अब ठीक है। मैं मुख बन्ध का प्रयोग करता हूं।

ऑर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल वैद्य : गुलेटिन इज गुलेटिन।

श्री उपाध्यक्ष : मैं शेष अनुदानों की मांगों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,89,24,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,89,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,13,51,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई :

अनुदान की शेष मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले

(श्री उपाध्यक्ष)

वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 44,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 66,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,72,66,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,24,15,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 87,90,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,94,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,16,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले

(श्री उपाध्यक्ष)

वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,12,80,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,84,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,39,63,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,36,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,78,99,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32,94,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 70,31,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,01,22,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त

(श्री उपाध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,22,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

माननीय वित मंत्री जी,

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975

श्री चन्दनमल बैद (वित्तमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

सदन की कार्यवाही शनिवार दिनांक 22 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 4.38 बजे शनिवार, दिनांक 22 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

(ता. प्र. सं. 672 की सूची)

आय व व्यय का ब्यौरा

वर्ष 1	उत्पादन 2	आमदनी 3	खर्च 4	विवरण 5
1969–70	2009 किलोग्राम	5,786.12	2,26,607.26 (–)	2,20,821.14
1970–71	25 शूकर	5,425.50	98,775.78 (–)	93,350.28
1971–72	12035 किलोग्राम	34,150.00	1,03,478.10 (–)	69,328.10
1972–73	13600 ,,	33,676.40	1,22,448.96 (–)	88,772.56
1973–74	19035 ,,	55,910.00	1,35,225.63 (–)	79,315.63

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

बूंदी जिले को अलॉट किया गया खाद

679. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले को इस वर्ष कितना खाद अलॉट हुआ ? यदि पर्याप्त मात्रा में अलॉट हुआ तो कृत्रिम अभाव डीलर्स ने किस प्रकार पैदा की ?

(2) क्या यह भी सही है कि डीलर्स द्वारा अनियमितताएं बरती गईं और जिला खाद निरीक्षक द्वारा अधिकाधिक मुआयने नहीं करके डीलर्स के लाइसेन्स केन्सिल करवाने की कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकतम खाद जनता को ब्लेक में से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाकर काश्तकारों को राहत दिलवायेगी ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में इस वर्ष निम्न मात्रा में खाद प्राप्त हुआ:—

नत्रजन	फास्पेटिक	पोटाशिक	(मात्रा मैट्रिक टनों में)
4720	1555	251	

रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ इससे डीलर्स द्वारा कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) डिलर्स द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई अतः लाइसेन्स रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता। जिला खाद निरीक्षक ऐसे व्यक्तियों को जो डीलर्स नहीं थे अधिक दर से खाद बेचते पकड़ा गया तथा उनका कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर जिले में किसानों को पास बुकों का वितरण

680. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में किसानों को देने के लिये पास बुक बनाने का कार्य कब शुरू किया गया था ? क्या कार्य पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री केशरीमल)

(2) क्या जो पास बुकें बन गई किसानों को दे दी गई ? यदि,हां, तो कितने किसानों को और कब कब ? अब कितनी पास बुकें बन जाने के बाद भी किसानों को क्यों नहीं दी गई ? वो कब तक दे दी जायेगी और इसके लिए कौन अधिकारी जुम्मेवार है ?

उत्तर

(1) अगस्त 73 से प्रारम्भ किया गया। जी नहीं। जिले के कुछ क्षेत्रों में पुनः बन्दोबस्त कार्य प्रारम्भ किया गया है। उसके समाप्त होने पर ही पासबुक वितरण का कार्य पूरा हो सकेगा।

(2) अब तक 65952 पास बुकें वितरित की जा चुकी हैं। पुनः बन्दोबस्त में लगान निर्धारण हो जाने पर ही शेष पास बुकें वितरित की जावेंगी। किसी अधिकारी की जिम्मेदारी का प्रश्न पैदा नहीं होता।

कन्ट्रोल के कपड़े का कोटा

681. **श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा)** : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के लिये कन्ट्रोल के कपड़े का कितना कोटा निर्धारित है ? इसे जिलेवार किस प्रकार आवंटित किया जाता है सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस कपड़े का वितरण किस के द्वारा कराया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि कन्ट्रोल का कपड़ा ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच ही नहीं पाता जिससे किसान लेने से महरूम रह जाते हैं ?

(4) राज्य सरकार ने वितरण व्यवस्था ठीक करने के संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य के लिये कन्ट्रोल के कपड़े का माहवारी कोटा मई, 74 से 2090 गांठें निर्धारित है किन्तु किसी माह में कम तो अन्य माह में अधिक गांठें प्राप्त हो जाती है। जिलेवार आवंटन की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) कपड़े का वितरण राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर के द्वारा 33 होलसेलर सहकारी संस्थाओं एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कराया जाता है।

(3) जी नहीं। कन्ट्रोल के कपड़े का 80% कोटा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कराये जाने के आदेश हैं।

(4) वितरण व्यवस्था ठीक करने के लिये निम्नांकित कदम उठाये हैं:—

1. राज्य स्तर पर आवंटित कन्ट्रोल कपड़े का कार्य पूर्ववत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा किया जाता रहेगा। प्रत्येक जिले में आवंटित कोटे का 80% ग्रामीण क्षेत्रों में व 20% नगरीय क्षेत्रों में वितरण कराया जायेगा।

(नागरिक रसद मंत्री)

2. जिला स्तर पर कन्ट्रोल कपड़े की वितरण व्यवस्था देखने के लिये गठित समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है:—

(1) जिलाधीश (2) जिला प्रमुख (3) जिले के सभी विधायक (4) जिला रसद अधिकारी (5) उप-खण्ड अधिकारी (6) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (7) जिले का थोक विक्रेता।

3. तहसील स्तरीय समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है:—

(1) उप-खण्ड अधिकारी (2) क्षेत्रीय विधायक (3) प्रधान पंचायत समिति (4) अध्यक्ष नगर पालिका (5) विकास अधिकारी (6) तहसीलदार (7) तहसील स्तर का विक्रेता।

4. पंचायत स्तर पर कपड़े का वितरण हेतु तहसील स्तर पर गठित कमेटी प्रत्येक खुदरा विक्रेता के लिये 3–4 ग्राम पंचायतों का एक सर्किल बनायेगी एवं खुदरा विक्रेता निश्चित माह में वहां जाकर कपड़ा वितरण करेगा।

5. कपड़े का वितरण राशन कार्ड्स पर किया जायेगा तथा उसकी मात्रा एक बार में एक राशन कार्ड पर 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। एक बार कपड़ा देने के बाद उस कार्ड पर कपड़ा 6 माह बाद दिया जायेगा।

6. संघ द्वारा प्रत्येक थोक विक्रेता को किये गये आवंटन की सूचना माह के अन्त में सम्बन्धित जिलाधीश, सहायक रजिस्ट्रार एवं थोक विक्रेता को भेजी जायेगी।

7. प्रत्येक थोक विक्रेता द्वारा खुदरा विक्रेताओं को दिये गये माल की सूचना सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार एवं उप खण्ड अधिकारी को भिजवाई जायेगी।

8. विक्रेताओं के कार्य पर नियंत्रण रखने के लिये उनसे रिटर्न्स मंगाने के लिये प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है।

9. जिला रसद अधिकारी कपड़े की प्राप्ति व वितरण का रजिस्टर रखेंगे। यह सूचना समन्वय समिति की बैठक में रखी जायेगी।

10. प्रत्येक रिटेलर निर्धारित प्रोफार्मा में स्टाक व सेल रजिस्टर रखेगा तथा मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर जिला रसद अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी को भेजेगा।

सूची

(Figures in Bales)

S. No.	Name of Distt.	May'74	June'74	July'74	Aug.'74	Sept.'74	Oct.'74	Nov.'74	Dec.'74	Jan.'75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	65	138 1/2	92	218	113 1/2	154 3/4	176 1/4	89 1/4	169
2.	Alwar	71	113	112	192	121 1/4	203	205 3/4	95	173 1/4
3.	Barmer	37	61	64	126 1/2	62	100	103 1/4	39	103 3/4
4.	Bundi	38	41	40 3/4	73	38 1/4	46	51 1/2	28	56
5.	Banswara	57	55	54	109	54	62	72	45	95 3/4
6.	Bharatpur	84	125 1/2	122	224 1/4	138	207 3/4	199	91	177
7.	Bhilwara	72 3/4	86	66	174 1/2	95	113 1/2	114	65	124 1/2
8.	Bikaner	36 1/4	48	461 1/2	120 1/4	48	45	78 3/4	34	96 1/4
9.	Churu	44	68	68	120 1/2	75 1/2	137 3/4	79	13	—
10.	Chittorgarh	65 3/4	107	49	168	83 1/2	108	108 1/4	112 1/4	149 3/4
11.	Dungarpur	48	42	60	68	43	44	58	29	69 3/4
12.	Ganganagar	96 1/4	145	96 1/4	227 1/4	126	140	214 3/4	107 3/4	238 1/4
13.	Jaipur	173 1/2	291	120	388 1/4	218 1/4	260	338 1/2	142	288 3/4
14.	Jodhpur	70	109	74 3/4	174	106	138	147 1/2	91	164 1/4
15.	Jaisalmer	16	15 3/4	16	29	17	34 1/4	20	33	29
16.	Jalore	37 1/2	85	34	98	59	79	41	14	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Jhunjhunu	54	83	78	151	88 1/4	127	113 1/4	53 1/4	10
18.	Jhalawar	51 1/2	52	52	97 3/4	59	60	77	39	83
19.	Kota	57	82	84	161 1/2	93	153	118 1/2	91 1/4	142 3/4
20.	Nagaur	60	137	53	210	97	193 1/4	179	70	163 1/2
21.	Pali	50	80	70	160 3/4	86	162 1/4	114	63	121 1/2
22.	Sikar	57	94 1/4	71	168	99 1/2	90 1/2	107	65	136 1/2
23.	S. Madhopur	72	96	99 1/4	207 1/4	112 1/4	111 1/4	163 1/4	93	148 1/2
24.	Sirohi	29	40	38	79 1/2	38	51	4	—	—
25.	Tonk	33	61 1/2	45	84	52	81	94 1/2	44	84
26.	Udaipur	87 1/4	145	144 1/4	301	155 3/4	230 3/4	229	100	211 3/4
	G. Total	1555 1/4	2377 1/4	1865 1/4	4116	2269 3/4	3133	3254	1647	3038

(32)

बाड़मेर जिले में म्यूटेशन के मामले

682. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में इस समय म्यूटेशन के कितने मामले कब से पेंडिंग हैं? नामावली देते हुए तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सभी मामले पटवारियों एवं ग्राम पंचायतों के पास कितने दिन तक पेंडिंग रहे प्रत्येक मामले के देरी का विवरण देते हुए सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट उठायें।

(3) पटवारियों द्वारा देरी से म्यूटेशन फार्म भर कर पंचायत में पेश करने के कारण किस किस के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया है? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें?

(4) क्या जिला प्रशासन की ओर से म्यूटेशनों के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए सन् 1973-74 एवं 1974-75 में कोई अभियान चलाये गये? यदि हाँ, तो उसकी प्रगति से सदन को अवगत कराने की कृपा करें?

उत्तर

(1) दिनांक 1-3-75 को 520 मामले विचाराधीन थे। तहसीलवार विचाराधीन मामलों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। नामावली अत्याधिक लम्बी होने से देना सम्भव नहीं है।

(2) सूचना सूची में दी गई है।

(3) पटवारियों द्वारा नामान्तरकरण फार्म समय पर भरे गये थे। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) जी हां। 73-74 के अभियान में 1228 व 74-75 में 13817 मामले निपटाये गये।

सूची

क्रमांक नाम तहसील	पटवारी के पास बकाया	निरीक्षक के पास जांच हेतु बकाया	तहसील मे विचाराधीन	पंचायतों के पास विचाराधीन	कुल बकाया 1–3–75 को	बकाया रहने के कारण
1 2	3	4	5	6	7	8
1–बाड़मेर	–	20	–	89	109	निरीक्षकगण 20 ना.क. की जांच कर रहे हैं। 89 नामान्तरकरण पंचायतों के पास हैं।
2–चोहटन	–	–	–	93	93	93 नामान्तकरण पंचायतों के पास विचाराधीन है।
3–शिव	–	66	18	13	97	निरीक्षक 66 नामांतरकरण की जांच कर रहे हैं। ये नामांतकरण सीलिंग से अधिग्रहित भूमि व धारा 63 (1) (8) धारटी के अनुसार खालसा की गई भूमि के हैं, जिनमें यह खातेदार होने से मौके पर तरमीमे को जाकर इन्हें फैसल किया जायगा तथा तहसील में 18 ना. क. तरमीमों के सम्बन्ध के जो तरमीम की जांच मौके पर कर निर्णित किये जा रहे हैं। पंचायतों में 13 ना. क. विचाराधीन है।
4–सिवाना	149	–	–	5	154	149 ना. क. पटवारियों के पास हैं जो अधिकांशत: तरमीम से सम्बन्धित

(134)

1	2	3	4	5	6	7	8
							है। इनकी जांच की जा रही है। पंचायतों के पास 5 ना. क्र. है।
5	-पचपदरा	2	-	20	45	67	पटवारियों के पास 2 ना. क्र. वास्ते जांच बकाया है तहसील में 20 ना. क्र. जो अधिकांशतः तरमीम के सम्बन्ध में हैं बकाया रहे हैं पंचायतों के पास 45 ना. क्र. विचाराधीन है।
	योग	151	36	38	245	520	

जालौर एवं भीनमाल के कालेजों का विकास

683. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर एवं भीनमाल कालेजों का अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है ? अगर हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

(2) उक्त कालेजों के पूर्ण विकास के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या, क्या कदम उठाये गए हैं एवं भविष्य में क्या क्या कदम उठाये जावेंगे ?

(3) क्या राज्य सरकार जालोर को विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज एवं भीनमाल को कला एवं कृषि कालेज करना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जालोर व भीनमाल कालेजों के विकास न होने के निम्न कारण हैं:—

जालोर व भीनमाल की जन संख्या के अनुपात में छात्रों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण कालेज का पूर्णरूप से विकास नहीं हो पा रहा है।

राजकीय महाविद्यालय जालोर की छात्र संख्या 168 व भीनमाल की छात्र संख्या 110 है जबकि इनकी जन संख्या क्रमश: 15000 व 14000 है। छात्र संख्या कम होने के कारण विकास नहीं हो पा रहा है।

(2) छात्रों की संख्या को देखते हुए इन महाविद्यालयों में पूर्ण साधन उपलब्ध है। जैसे जैसे छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी उसके आधार पर इन महाविद्यालयों के विकास की कार्यवाई की जावेगी।

(3) उपरोक्त छात्रों की संख्या की कमी को देखते हुए यह संभव नहीं है।

अलवर के. भू. पू. महाराजा की कृषि भूमि

684. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर के भूतपूर्व महाराजा तेजसिंह के पास कुल कितनी खेती की जमीन बाग खातेदारी अथवा अन्य किसी हैसियत में है ? और वह कहां कहां है कृपया गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री तेजसिंह ने अभी तक अपनी खेती की जमीन अथवा बाग आदि का कोई कानूनी बंटवारा नहीं किया है ?

(3) क्या उक्त श्री तेजसिंह ने कृषि भूमि सीलिंग कानून के तहत अपनी रिटर्न प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो कब ? इस रिटर्न में इन्होंने अपनी कितनी भूमि सरप्लस दिखाई है ?

(4) क्या उक्त श्री तेजसिंह की किसी भूमि को सीलिंग कानून के तहत राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया है ? यदि हां,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
तो कितनी भूमि और कहां कहां ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

राज्य एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन में डेपुटेशन पर लिये गये कर्मचारी

685. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य एग्रो-इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. जयपुर में वर्तमान में राज्य सरकार के कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संस्थान द्वारा किस आधार पर डेपुटेशन पर लिया गया ?

(3) क्या इन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये डेपुटेशन की अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी संस्थान में नियुक्त हैं और क्यों ?

(4) इन अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व भत्ते आदि में संस्थान को कितनी धनराशि प्रतिवर्ष व्यय करनी पड़ती है ? वर्ष 1972-73 से अब तक के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संस्थान द्वारा डेपुटेशन पर लिये जाने का संस्थान के कर्मचारी संघ ने विरोध किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(स्थगित किया गया)

औद्योगिक पिछड़ा जिला चित्तौड़गढ़

686. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले को औद्योगिक पिछड़ा जिला अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया ?

(2) क्या निकट भविष्य में जिले को औद्योगिक पिछड़ा जिला घोषित करने पर राज्य सरकार कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इसको कार्यरूप में परिणित कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) भारत सरकार, योजना आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक आधारों के अनुसार भारत सरकार द्वारा समय समय पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किये गये हैं। चित्तौड़गढ़ जिला निर्धारित मापदण्ड की श्रेणी में नहीं आने के कारण औद्योगिक पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया।

(2) औद्योगिक पिछड़े जिले भारत सरकार, योजना आयोग द्वारा घोषित किये जाते हैं अतः राज्य सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ को पिछड़ा जिला घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

Page No 133

(133)

उदयपुर विश्वविद्यालय के केमेस्ट्री विभाग के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

687. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सी. पी. काला ने उदयपुर विश्वविद्यालय के श्री जी. वी. बकोरे प्रोफेसर और केमेस्ट्री विभाग के अध्यक्ष के विरुद्ध एक आरोप पत्र दिनांक 18 नवम्बर सन् 1974 का विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री एवं मुख्य मंत्री महोदय के पास भी भेजी गई थी? यदि हां, तो उक्त आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डा. जी. वी. बकोरे के विरुद्ध श्री सी. एल. जैन के डाक्टरेट के थिसिस में फर्जी कार्यवाही करने से लगाकर जालसाजी, दगा, खयानत आदि करने के आरोप श्री सी. पी. काला ने लगाये हैं?

उत्तर

(1) जी हां। उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में श्री सी. पी. काला से और अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु उनका पता ठीक उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई हो रही है।

(2) जी हां।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारियों के पदोन्नति के नियम

688. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (प्र-प-ए-2) के आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 1973 के दूसरे पैरा में जो शर्तें अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों के लिये लगाई गई हैं वे हो शर्तें अन्य वर्ग कर्मचारियों के लिये भी है? यदि हां, तो उन आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जन/जाति के कर्मचारियों के लिये यह नियम बनाये गये हैं कि यदि पदोन्नति के लिये योग्यता में स्थान न मिल पावे तो कमेटी द्वारा एक ऊंची ग्रेडिंग दिया जावे और यदि पदोन्नति के लिये निश्चित पाईंट्स पर योग्य नहीं पाये गये तो सुरक्षित पाईंट को 3 वर्ष तक के लिये फारवर्ड किया जावेगा? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की भांति क्या राज्य सरकार भी नियम बनाने का निर्णय लेगी? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पूर्व आदेश दिनांक 3-10-73 को निरस्त कर नये आदेश दिनांक 10-2-75 को जारी कर दिये हैं अतः प्रश्न नहीं उठता।

(मुख्य मंत्री)

(2) जी हां। भारत सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए आदेश दिनांक 10–2–75 को जारी कर दिये हैं। तीन वर्ष कैरीफारवर्ड का प्रावधान है, परन्तु ऊंची ग्रेडिंग न देने का निर्णय लिया है।

राजस्थान साहित्य अकादमी के सहायक सचिव

689. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्तमान सहायक सचिव श्री ओंकार पारीक ने हाल में उदयपुर में हुए बोहरा-सम्प्रदाय के दंगों में सक्रिय भाग लिया ?

(2) क्या यह सही है कि श्री ओंकार पारीक समय समय पर राज्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध समाचार-पत्रों में लिखते रहे हैं ?

(3) श्री ओंकार पारीक की शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें क्या हैं और अकादमी में उनका चयन किस प्रक्रिया से किन विशेषज्ञों की राय से हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री ओंकार पारीक पर समय समय पर गलत कार्यवाहियों के कई आरोप, अकादमी के अध्यक्ष, निदेशक अथवा सचिव द्वारा लगाये गये हैं ?

उत्तर

(1) इस संबंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(2) इस संबंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं हैं।

(3) श्री ओंकार पारीक बी. ए. हैं तथा इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्र. 3182 दिनांक 4–8–66 से हुई जिसके लिए वे सक्षम हैं।

(4) श्री ओंकार पारीक अकादमी में 4 अगस्त 1966 से कार्य कर रहे हैं, उनकी इस सेवावधि में उनके कार्य के प्रति कभी कोई गंभीर आरोप लगाया गया हो ऐसी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

खानपुर में कृषि उपज मण्डी

690. श्री गौरी शंकर (खानपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि खानपुर में कृषि उपज मंडी खोली जाने का सरकार के आदेश हो चुके हैं परन्तु अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां, खानपुर में कृषि उपज मंडी समिति खोले जाने का निर्णय लिया जा चुका है तथा पंचायत समिति खानपुर के क्षेत्र को मंडी नियमन के अन्तर्गत लेने की घोषणा की जा चुकी है। मनोनीत सदस्यों के नाम प्रकाशित होने के पश्चात् मंडी समिति की स्थापना हो जावेगी तथा उसके पश्चात् ही मंडी नियमन का कार्य आरंभ हो सकेगा।

जयपुर जिले में अभाव ग्रस्त गांव

691. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में गत दिनों वर्षा के अभाव में जो फसल नष्ट हो गई थी उसके फलस्वरूप गिरदावरी के आधार पर जिले में कुल कितने गांवों को अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया ?

(2) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की कई तहसीलों के कई एक ऐसे गांव अभाव क्षेत्र घोषित होने से वंचित रह गये, जिनमें गिरदावरी के आधार पर 75% से अधिक फसल का नष्ट होना दिखाया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सच है कि जयपुर जिले को चाकसू तहसील की ठिकरिया गुजरान ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कई ऐसे गांव अभाव क्षेत्र घोषित होने से वंचित रख दिये, जिन में जिन्सवार गोशवारा (गिरदावरी) में 73 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक नुकसान पाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा कब तक घोषित कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सच है कि उक्त गांवों को इसी प्रकार गत वर्ष भी अभाव क्षेत्र गांव घोषित नहीं किया गया था ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 2223 ग्रामों को अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, ठिकरिया गुजरान ग्राम पंचायत के 12 गांवों में 5 गांवों को अभाव-ग्रस्त घोषित इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यह ग्राम रबी प्रधान है।

(4) गत वर्ष जयपुर जिले में अभाव स्थिति की घोषणा नहीं की गई।

तहसील पचपदरा में निःशुल्क पियाई

692. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर में संवत् 2025 और 2026 में किन किन सार्वजनिक कुओं पर निःशुल्क पियाई करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी थी ?

(2) ऐसी स्वीकृति कौन कौन से कुओं पर कितनी अवधि और किस दर से दी गई थी ?

(3) क्या सभी कुओं की पियाई की रकम का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो निम्नलिखित कुओं पर की गई पियाई का भुगतान कब और किस को किया गया और नहीं तो अब तक क्यों नहीं किया गया:—

1. चांदेराई गांव कोरना
2. गांवाई कुआं पतासर
3. गांवाई कुआ बुडीवाड़ा
4. गांवाई कुआ जागसा
5. गांवाई कुआ पारलू
6. गांवाई कुआ बागलोप

(श्रीमती मदन कौर)

(4) उपरोक्त कुओं की पियाई का कितनी कितनी अवधि का और किसको भुगतान किया जाना है ? क्या राज्य सरकार इन कुओं की पियाई का भुगतान अविलम्ब कराने का प्रयास करेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची में वर्णित है।

(3) जी नहीं। प्रश्न में वर्णित कुओं के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। केवल बुडोवाडा का दावा अवैध होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। भुगतान के बिल्स फारमल्टोज की पूर्ति कराकर एवं जांच करवाकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(4) कुओं की पियाई सदन में प्रस्तुत सूची में अवधि एवं दर के अनुसार गांवों के कुओं को करना है जहां के कुओं का भुगतान कराने का अविलम्ब प्रयास किया जा रहा है।

सूची

क.सं.	नाम ग्राम जहां पियाई की	पियाई अवधि	दर प्रति दिन पियाई की
1	2	3	4
1.	कुडी	1-6-69 से 15-7-69	12.50
2.	उमरलाई	1-6-69 से 31-7-69	15.00
3.	पटाऊ खुर्द	1-6-69 से 31-7-69	10.00
4.	नेवरी	1-5-69 से 31-7-69	10.00
		16-12-69 से 6-5-70	10.00
		7-5-70 से 28-5-70	15.00
5.	टापरा	1-6-69 से 31-7-69	10.00
		14-12-69 से 28-2-70	15.00
		1-6-70 से 30-6-70	
6.	बुडोवाडा	1-6-69 से 30-6-69	
		1-10-69 से 31-10-69	15.00

1	2	3	4
7.	मण्डली	1–6–69 से 30–6–69	15.00
8.	छाछरलाई कलां	1–6–69 से 31–7–69	12.50
9.	कल्याणपुरा	1–6–69 से 15–7–69	10.00
		15–12–69 से 30–4–70	15.00
		1–5–70 से 6–5–70	10.00
10.	धर्मसर	1–6–69 से 15–7–69	15.00
11.	रणोबाईदईपुरा	1–5–69 से 15–7–69	
		15–12–69 से 30–4–70	15.00
		1–5–70 से 26–6–70	10.00
12.	बागलोप	16–6–69 से 15–7–69	15.00
		7–5–70 से 26–6–70	12.00
13.	बांकियावास	1–6–69 से 30–7–69	10.00
14.	पासोतरा	1–6–69 से 31–7–69	10.00
		15–9–69 से 31–5–69	15.00
		7–5–70 से 30–6–70	15.00
15.	मानियाना	1–6–69 से 30–6–69	
		1–7–69 से 31–7–69	12.50
16.	बागावास	1–6–69 से 31–7–69	15.00
17.	बडनामा	1–6–69 से 31–7–69	12.50
		1–10–69 से 31–10–69	15.00
		12–12–69 से 30–10–69	15.00
		7–5–70 से 30–6–70	15.00
18.	गोदावास	1–5–69 से 16–7–69	12.50
		7–5–70 से 27–6–70	12.50
19.	पासढ़ा	1–6–69 से 31–7–69	15.00
20.	काकराला	1–7–69 से 17–7–69	15.00

1	2	3	4
21.	तिलवाडा	1–5–69 से 31–7–69	10.00
22.	भूंका	1–6–69 से 31–7–69	10.00
23.	नागाना	1–6–69 से 30–6–69	25.00
		14–12–69 से 22–3–70	15.00
24.	खाट्टू	1–6–69 से 31–7–69	15.00
		1–10–69 से 31–10–69	15.00
		6–1–70 से 6–5–70	18.00
		7–5–70 से 30–6–70	
25.	पारलू	1–6–69 से 31–7–69	12.50
26.	थुम्बली	8–5–70 से 30–6–70	15.00
27.	रेवाडा भैया	7–5–70 से 30–6–70	12.50
28.	सरपुरा	7–5–70 से 26–6–70	12.50
29.	परालिया सांसण	7–5–70 से 27–6–70	20.00
30.	कलाऊ टाटी	7–5–70 से 30–6–70	12.50
		1–5–70 से 6–5–70	10.00
31.	रोडवा खुर्द	1–6–69 से 30–6–69	12.50
		7–5–70 से 27–6–70	15.00
32.	रोडवा कलां	1–6–69 से 30–6–69	12.50
		8–5–70 से 30–6–70	15.00
33.	खानोडा	17–12–69 से 31–5–70	10.00
34.	कारवा	1–5–69 से 15–7–69	12.50
		7–5–70 से 30–6–70	

1	2	3	4
35.	आगसा	1-10-69 से 31-10-69 1-6-70 से 30-6-70	15.00
36.	बलाऊ मांवड़ा	16-12-69 से 30-4-70	10.00
37.	कोरना	1-4-69 से 16-7-69 7-5-70 से 17-6-70	15.00
38.	देवरीया	14-12-69 से 6-5-70 7-5-70 से 30-6-70	10.00 12.50

सूची कुओं की जिनका भुगतान किया जाना शेष है।

क. सं.	नाम कुआ	अवधि	राशि
1	2	3	4
1.	गनाई पक्षासर	24-12-69 से 31-5-70	1975.00
2.	आगसा	मई, 70	375.00
3.	पारलू	1-10-69 से 30-6-70	2837.00
4.	वागलोप	1-5-70 से 30-6-70	637.50
5.	कोरना	7-5-70 से 30-6-70	825.00
			6649.50

शिक्षकों के स्थानान्तरण

693. श्री गिर्राज प्रसाद तिवारी (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1974-75 के शिक्षा सत्र में 31 जनवरी, 75 तक डायरेक्टर, जोइन्ट डायरेक्टर एवं राज्य सरकार ने शिक्षकों के कितने कितने स्थानान्तरण किये ?

Page No 140

(145)

(श्री गिर्राज प्रसाद तिवारी)

(2) उक्त स्थानान्तरणों के टी. ए., डी. ए. में सरकार की कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि इस सत्र में स्थानान्तरणों को लेकर शिक्षकों के दिल व दिमाग में अनिश्चितता का वातावरण रहा और इसका छात्रों के अध्ययन पर भी काफी प्रभाव पड़ा ?

उत्तर

(1) 31-1-75 तक 1192 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये जो शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे अध्यापकों का 2% से अधिक नहीं है।

(2) निश्चित धन राशि बतलाया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

जयपुर शहर में स्थित पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामले

694. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में स्थित पुलिस स्टेशनों में पिछले 5 वर्षों में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या केस दर्ज कराये हैं, और उनमें से कितनों का चालान पेश किया गया है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले 5 वर्षों में दर्ज किये गये केसेज की जांच कर अभी तक चालान पेश नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि थाना रामगंज में पिछले काफी अर्से से इन्वेस्टीगेशन हेतु न्यायालय से आये केसेज का चालान पेश नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार थाना रामगंज में सन् 1972 में धारा 147, 427, 446 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट हेतु आए केसेज का चालान पेश करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार इतने लंबे अर्से तक जांच प्रस्तुत न कर चालान पेश न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में स्थित पुलिस थानों पर सन् 1970 से 1974 तक कुल 13872 अभियोग पंजीबद्ध हुये हैं। जिनमें से 6001 अभियोगों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इन समस्त अभियोगों की सूची "आंकड़ों" में संलग्न है।

(2) पिछले 5 वर्षों में ऊपर वर्णित पंजीबद्ध अभियोगों में से केवल 180 अभियोगों का अनुसंधान अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(3) पुलिस थाना रामगंज द्वारा न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट्स पर जो

(गृह मंत्री)

अभियोग पंजीबद्ध किये गये थे उनमें से केवल एक अभियोग सन् 1974 का जेर तफतीश है।

(4) थाना पुलिस रामगंज में सन् 1972 में धारा 147, 427, 447, ता. हि. के अन्तर्गत एक व धारा 147, 427, 448 ता. हि. के अन्तर्गत एक, कुल दो रिपोर्ट स न्यायालय से तफतीश हेतु प्राप्त हुई थी। जिस पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया व नतीजे दिये जा चुके हैं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची जयपुर नगर के थानों में पिछले पांच सालों में दर्ज हुये मुकदमात का ब्योरा:–

सन् 1970

क्र. सं.	नाम थाना	कुल दर्ज हुये मुकदमात	चालान	एफ. आर.	जेर तफतीश
1	2	3	4	5	6
1.	कोतवाली	562	317	245	–
2.	मानकचौक	436	232	204	–
3.	रामगंज	221	126	95	–
4.	अशोकनगर	194	85	109	–
5.	आदर्शनगर	213	59	154	–
6.	गांधीनगर	85	31	54	–
7.	वनीपार्क	223	95	128	0
8.	सदर थाना	234	73	159	2
	योग ..	2168	1018	1148	2

सन् 1971

1.	कोतवाली	563	312	251	–
2.	माणक चौक	459	234	225	–
3.	रामगंज	260	123	137	–
4.	अशोकनगर	195	75	119	1
5.	आदर्शनगर	212	105	107	–
6.	गांधीनगर	90	20	70	–

(52)

1 2	3	4	5	6
7. बनीपार्क	215	99	115	1
8. सदर थाना	229	111	117	1
योग··	2223	1079	1141	3

सन् 1972

1. कोतवाली	656	356	297	3
2. माणकचौक	426	239	187	–
3. रामगंज	293	177	114	2
4. अशोकनगर	224	97	123	4
5. आदर्शनगर	287	137	148	2
6. गांधीनगर	96	23	73	–
7. बनीपार्क	287	123	164	–
8. सदरथाना	230	124	104	2
योग··	2499	1276	1210	13

सन् 1973

1. कोतवाली	738	219	513	6
2. माणकचौक	487	226	260	1
3. रामगंज	340	187	151	2
4. अशोकनगर	299	109	187	3
5. आदर्शनगर	523	157	364	2
6. गांधीनगर	122	46	76	–
7. बनीपार्क	408	129	267	12
8. सदरथाना	312	120	191	1
योग··	3229	1193	2009	27

सन् 1974

1	2	3	4	5	6
1.	कोतवाली	1027	437	575	15
2.	माणकचौक	596	221	363	12
3.	रामगंज	315	186	121	8
4	अशोकनगर	350	79	241	30
5.	आदर्शनगर	544	151	377	16
6.	गांधीनगर	215	75	137	3
7.	बनीपार्क	358	136	191	31
8.	सदरथाना	348	150	178	20
	योग ..	3753	1435	2183	135
	कुल योग ..	13872	6001	7691	180

सवाई माधोपुर जिले में म्यूटेशन के मामले

695. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में इस समय म्यूटेशन के कितने मामले कब से विचाराधीन हैं ? नामावली देते हुए तहसीलवार, वर्षवार, आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि उक्त मामले, अधिकतर पटवारियों के पास विचाराधीन रहे हैं ? पटवारियों द्वारा देरी से म्यूटेशन फार्म भर पंचायतों में पेश करने के कारण किस किस पटवारी के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या सरकार म्यूटेशन मामलों को जल्दी से निपटाने के लिये विशेष कदम उठाकर किसानों को राहत पहुंचायेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक ?

(4) क्या यह भी सच है कि अनेक खातेदारों का देहावसान हो जाने के काफी समय पश्चात् भी नामान्तरकरण उनके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के नाम नहीं किये गये हैं और लगान लेवी, आदि मरे व्यक्तियों के नाम से जमा हो रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है ?

(श्री चेतराम)
इसका सही इन्द्राज कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) 1662 मामले विचाराधीन हैं। वर्षवार तहसीलवार आंकड़े सूची में दिये गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) भूमि सुधार के कुछ विशेष कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार राज्य में 15-2-75 से 15-6-75 तक एक अभियान आयोजित कर रही है। नामान्तरकरण के मामलों को इस अभियान में निपटाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(4) जी हां। देहावसान के कारण होने वाले विचाराधीन नामान्तरकरण की संख्या पृथक् से उपलब्ध नहीं है। इन मामलों का निपटारा पूर्वोक्त अभियान में कर दिया जायगा।

बकाया नामान्तरकरण का विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	1972	1973	1974	1975
1	2	3	4	5	6
1.	सवाई माधोपुर	–	–	556	–
2.	खन्डार	–	–	88	–
3.	बोंली	–	–	92	–
4.	गंगापुर	–	–	42	–
5.	वामनवास	–	–	48	203
6.	नादोती	–	2	8	–
7.	टोडाभीम	–	–	8	20
8.	महुवा	–	–	101	207
9.	करौली	3	4	10	–
10.	सपोटरा	–	–	34	51
11.	हिन्डौन	–	–	3	182
	योग··	3	6 स्टे.	990	663
	कुल योग··				1662

गैर आबाद ग्राम

696. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस समय राजस्थान में कितने ग्राम गैर आबाद हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जब गैर आबाद गांव नहीं हैं तो राज्य सरकार ऐसे ग्रामों की भूमि अन्य ग्रामों के साथ मिलाकर क्यों नहीं विलोपित करती है?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) विलोपित करने से कोई विशेष लाभ भी नहीं है। ऐतिहासिक कारणों से राज्य सरकार उनको ग्रामों की भूमि के साथ मिलाना नहीं चाहती।

सूची संख्या राजस्थान के गैर आबाद ग्रामों की (जिलेवार)

क.सं.	नाम जिला	ग्रामों की संख्या (गैर आबाद) (चकूको सहित)
1	2	3
1.	अजमेर	20
2.	अलवर	73
3.	भीलवाड़ा	62
4.	बांसवाड़ा	16
5.	भरतपुर	150
6.	बीकानेर	133
7.	बूंदी	9
8.	बाड़मेर	20
9.	चूरू	55
10.	चित्तौड़गढ़	246
11.	डूंगरपुर	8
12.	गंगानगर	672
13.	जयपुर	141
14.	जोधपुर	5
15.	जैसलमेर	47

1	2	3
16.	जालोर	16
17.	झुंझुनूं	2
18.	झालावाड़	145
19.	कोटा	262
20.	पाली	22
21.	नागौर	36
22.	सीकर	29
23.	सवाई माधोपुर	117
24.	सिरोही	22
25.	टोंक	85
26.	उदयपुर	45
	योग:–	2438

क्राफ्ट इन्डिया 74 की प्रदर्शनी

697. **श्री मनोहरलाल (कामां):–** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि क्राफ्ट इंडिया 74 नाम की प्रदर्शनी में "पायल" नाम का रंगमंच लगाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इसमें जयपुर के बाहर की अनेकों लड़कियां अश्लीलता पूर्ण और भद्दे ढंग से नाचती हैं और दर्शकों को अश्लील इशारे करती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि महाराजा कालेज और मेडिकल कालेज के छात्रों को गुमराह करने के लिये यह प्रदर्शन आयोजित किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि इस थियेटर में अधिकतर विद्यार्थियों को ही आकर्षित किया जाता है ?

(5) क्या पुलिस ने इसकी कोई गुप्त रिपोर्ट प्राप्त की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

छीपा बड़ौद कृषि उपज मण्डी

698. **श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा):—** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सत्य है कि छीपा बड़ोद कस्बा (जिला कोटा) छीपा बड़ोद तहसील का कृषि उपज के विक्रय का मुख्य

(श्री जगमोहन सिंह)

केन्द्र है लेकिन अभी तक यहां पर कृषि उपज मण्डी कायम नहीं की गई है? क्या कृषि उपज मंडी कायम किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक कृषि उपज मण्डी कायम कर दी जायेगी?

उत्तर

जी हां। यद्यपि छीपा बड़ोद में पृथक् से कृषि उपज मण्डी स्थापित नहीं की गई है परन्तु वहां का माल पास की ,नियमित मण्डियों में बेचने के लिये लाया जाता है। वहां पर पृथक् से मुख्य मण्डी अथवा गौण मण्डी स्थापित करने के प्रश्न पर कार्यवाही जारी है और आशा है कि निकट भविष्य में कार्यवाही पूरी हो जायेगी।

अनुसूचित जाति के पुलिस में एस. एच. ओ.

699. श्री रावत राम आर्य (छापर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पुलिस विभाग में फिलहाल अनुसूचित जाति के कितने एस. एच. ओ. हैं?

(2) उक्त एस. एच. ओ. कहां कहां नियुक्त हैं? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के एस. एच. ओ. को स्वतंत्र थाना इन्चार्ज जान बूझकर नहीं बनाया जाता? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) राज्य के पुलिस विभाग में फिलहाल अनुसूचित जाति के 5 एस. एच. ओ. हैं।

(2) उक्त एस. एच. ओ. आज निम्न पुलिस थानों पर नियुक्त हैं:—

1. श्री श्यामलाल थाना इन्दलाना (जिला बून्दी)।
2. श्री बन्शीधर थाना खाटू (जिला सीकर)।
3. श्री श्रीराम वर्मा थाना मांडन (जिला अलवर)।
4. श्री ओम प्रकाश पंवार थाना साँभर (जिला जयपुर)।
5. श्री दुलीचन्द थाना देवगढ़ (जिला उदयपुर)।

यह सही नहीं है। अनुसूचित जाति के एस. एच. ओ. को थाना इन्चार्ज लगाया जाता है।

बीकानेर जिले के थानों में बलात्कार के दर्ज मामले

700. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में सन् 1973 एवं 74 में बलात्कार के कितने मामले किन किन जगहों पर दर्ज किए गये? सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि हरिजनों के साथ 1973 के अनुपात में 1974 में बलात्कारों की संख्या ज्यादा बढ़ी है?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस थानों में वर्ष 1973 में 2 तथा वर्ष 1974 में तीन बलात्कार के मामले दर्ज किये गये हैं जिनका विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) जी नहीं। तीन मामलों में से दो में मुलजिमान हरिजन ही हैं।

बीकानेर जिले के थानों में वर्ष 1973—74 में बलात्कार के दर्ज किये मुकदमात की सूची :—

क.सं.	थाना	मु. नं. धारा व तारीख	घटना स्थल का नाम	जिसके साथ बलात्कार हुआ	नाम मुलजिमान	नतीजा मुकदमात
(1)	जामसर	28/ 1-11-73 धारा 376 आई. पी. सी.	रोही ग्राम नोरंगदेसर	साध्य महिला	कोजियां पुत्र सुगना कुम्हार निवासी नोरंगदेसर	मुलजिम अदालत से बरी हुआ।
(2)	दायतरा	21/ 4-11-73 धारा 376 आई. पी. सी.	ढाणी गढ़ियाला	हरिजन महिला	मनमोहनसिंह व उदयसिंह निवासी बीकानेर राजपूत	मुलजिमान अदालत से बरी हुये।
(3)	महाजन	25/ 26-7-74 धारा 376 आई. पी. सी.	रोही मिखनेरा	,,	भीयाराम पुत्र डूगरराम निवासी मिखनेरा मेघवाल	मुकदमा जेर तजबीज अदालत है।
(4)	नापासर	16/ 14-8-74 धारा 376 आई. पी. सी.	नापासर	,,	मोहनियां पुत्र लाड नायक व भारिया पुत्र अमरा राम हरिजन निवासी नापासर।	मुकदमा जेर तजबीज अदालत है।
(5)	लूणकरणसर	36/ 20-9-74 धारा 376 आई. पी. सी.	रोही सोडेवाली	,,	जगमाल पुत्र गोपालसिंह राजपूत निवासी सोडेवाली	मुकदमा जेर तजबीज अदालत है।

जिला झालावाड़ में खाद्य कन्ट्रोल आर्डर के तहत मुकदमे

701. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में 1 जनवरी 72 से 31 दिसम्बर, 74 तक खाद्य कन्ट्रोल आर्डर के तहत कितने और किन किन व्यापारियान या आसामियान के खिलाफ 3/7 या दूसरे अपराधों में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इन केसों में भूतपूर्व जिलाधीशों को तुरन्त चालान करने का आदेश था परन्तु केसेज अभी तक दबे हुए हैं ? इन केसों में जिलाधीश ने कब कब चालान का आदेश दिया ? कृपया सूची देने का कष्ट करें।

(3) अब तक चालान कितने केसों का हुआ और कौन कौन से केस बाकी हैं ? कृपया सूची देने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में 1 जनवरी, 72 से दिसम्बर, 74 तक खाद्यान्न कन्ट्रोल के तहत 136 अभियोगों में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भूतपूर्व जिलाधीशों द्वारा चालान पेश करने के आदेश दिये जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षकों द्वारा चालान पेश करने में विलम्ब हुआ है। चालान पेश करने हेतु जिलाधीश द्वारा दिये गये आदेशों की तिथि प्रश्न भाग (1) की सूची के कालम संख्या 3 में दर्शायी गई है।

(3) प्रश्न भाग (1) की सूची के कालम 4 में चालान करने की तिथि अंकित कर दी गई है। जिन 24 मामलों में उक्त सूची के कालम 4 में तिथि अंकित नहीं है उनके चालान होना शेष है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(...)

राज्य कर्मचारी आन्दोलन के दौरान नागरिकों पर मुकदमे

702. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर):—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य कर्मचारी आन्दोलन के दौरान जयपुर नगर के नागरिकों को भी पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उनके नाम और उन पर लगाई गई धाराओं के नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार नागरिकों व पत्रकारों पर से जो राज्य कर्मचारी आन्दोलन के समय पर गिरफ्तार किये गये थे मुकदमे वापस लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-75)

आरक्षी केन्द्र गंगापुर (जिला भीलवाड़ा) में हरिजन बालक के साथ मारपीट

457. श्री नानालाल (राजसमंद):— क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 29-12-74 को आरक्षी केन्द्र गंगापुर जिला भीलवाड़ा में एक हरिजन बालक के साथ मारपीट की गई तथा विद्युत करेंट भी लगाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बालक को बेहोश अवस्था में आरक्षी केन्द्र के बाहर डाल दिया गया था? यदि हां, तो इस अपराध की जिम्मेवारी किसकी थी तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उस बालक का भीलवाड़ा चिकित्सालय से इलाज कराना पड़ा? यदि हां, तो उसको क्या चिकित्सा सुविधा दी गई?

(4) क्या यह सही है कि उस बालक की स्थिति अब भी काम करने योग्य नहीं है? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या व्यवस्था की है?

उत्तर

इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है जिसके सम्बन्ध में डी. आई. जी. उदयपुर को जांच के आदेश दिये गये हैं।

परिशिष्ट—3

(अ. ता. प्र. सं. 400 की सूची)

अनुमानित शुद्ध कृषि आय की तालिका

(आय करोड़ रुपयों में)

आधार	वर्ष 1972–73	1973–74
1. प्रचलित कीमतों के आधार पर	608.51	941.16
2. स्थिर (1954–55) कीमतों के आधार पर	161.52	207.12

परिशिष्ट–4

(अता.प्र.सं. 401 की सूची)

राजकीय कृषि बीज गुणन फार्म जैतसर की आय-व्यय तथा लाभ के आंकड़ों की तालिका

(रुपयों में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ
1969–70	59,273	57,868	1,405
1970–71	61,889	53,129	8,760
1971–72	59,273	57,868	1,405
1972–73	68,352	60,438	7,914
1973–74	60,108	46,815	13,293

परिशिष्ट-5

(प्रता. प्र.सं. 408 की सूची)

नाम तहसील	क्षेत्रफल (हेक्टेयर्स)	जनसंख्या
1	2	3
1. जयपुर	52713	6,65,498
2. सांगानेर	70212	99,081
3. बस्सी	65462	1,02,455
4. चाकसू	81192	90,216
5. ग्रामेर	124624	2,10,534
6 जमवारामगढ़	136911	1,55,986
7. दौसा	91380	1,44,368
8. लालसोट	87439	1,19,283
9. बसवा	63086	1,31,475
10. सिकराय	50374	93,567
11. कोटपूतली	82505	1,47,883
12. विराटनगर	102254	1,56,771

1	2	3
13. फुलेरा	147052	1,88,677
14. फागी	111434	82,221
15. मौजमाबाद	133856	89,919

परिशिष्ट—6

(अता.प्र.सं. 410 की सूची)

(क्षेत्रफल एकड़ों में)

	1971—72		1972—73		1973—74		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1. अनु-सूचित जाति	167	428-36	175	479-95	5	6-60	347	914-91
2. अनु. जन जाति	126	312-44	127	324-47	7	14-34	260	651-25
3. सैनिक	8	38-78	19	79-80	12	33-38	39	151-96
4. अन्य व्यक्ति	289	772-19	420	1326-92	2	3-20	711	2102-31
योग	590	1551-77	741	2211-14	26	57-52	1357	3820-43

आवंटियों के कब्जे का विवरण

1. अनुसूचित जाति	324	व्यक्तियों को
2. अनु.जन जाति	285	,,
3. सैनिक	38	,,
4. अन्य	688	,,
योग	1285	

(161)

परिशिष्ट

(प्रता. प्र. सं.

वर्ष 1972, 1973 एवं 1974 में मंत्रियों/राज्य मंत्रियों

क्रमांक	नाम मंत्री/राज्य मंत्री	सन् 1972		
		यात्रा भत्ता	दैनिक भत्ता	योग
1	2	3	4	5
1.	श्री बरकतुल्ला खां भू. पू. मुख्य मंत्री	7774-37	4847-75	12622-12
2.	श्री हरिदेव जोशी (दि. 11-10-73 से मुख्य मंत्री)	4851-63	3534-00	8385-63
3.	श्री रामकिशोर व्यास	251-00	527-00	782-00
4.	श्री शोभाराम	-	403-00	403-00
5.	श्री परसराम मदेरणा	553-00	3968-00	4521-00
6.	श्री शिवचरण माथुर	123-55	310-00	433-55
7.	श्री नारायणसिंह मसूदा	1079-56	3518-50	4598-06
8.	श्री भीखाभाई	610-04	403-00	1013-04
9.	श्री पूनमचन्द विश्नोई	156-55	744-00	900-55
10.	श्री ओंकारलाल चौहान	1128-62	4921-25	6049-87
11.	श्री चन्दनमल बैद	2618-61	2278-75	4889-36
12.	श्री रामचन्द्र चौधरी	3585-00	2828-75	6413-75
13.	श्रीमती कमला बेनीवाल	1164-40	2790-00	3954-40
14.	श्री जुझारसिंह	878-78	3968-00	4846-78
15.	श्री मूलचन्द मीणा	-	4464-00	4464-00
16.	श्री फारूक हसन	-	-	-
17.	श्री मुंशीलाल महावर	-	-	-
18.	श्री हीरालाल देवपुरा	-	-	-
19.	श्री खेतसिंह	-	-	-
20.	श्री मोहनलाल छंगाणी	-	-	-
21.	श्री रामनारायण चौधरी	-	-	-
22.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत	-	-	-
23	श्री बनवारीलाल	-	-	-

(162)

–7

413 की सूची)

द्वारा की गई यात्रा के वर्षानुसार व्यय की तालिका

सन् 1973			सन् 1974		
यात्रा भत्ता	दैनिक भत्ता	योग	यात्रा भत्ता	दैनिक भत्ता	योग
6	7	8	9	10	11
4369–86	3053–50	7425–36	–	–	–
2686–72	4324–50	7011–22	1684–46	4337–00	31177–46
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
307–10	4200–50	4507–60	266–00	2286–00	2552–00
–	1038–50	1038–50	4376–00	4420–25	8796–25
625–61	3239–50	3895–11	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
903–71	4049–75	4953–46	–	–	–
8881–77	4929–00	1381–77	4891–65	4464–00	9355–65
4137–87	5366–50	9504–37	–	–	–
526–36	3115–50	3641–86	–	829–50	829–50
1678–77	5739–25	7418–02	1027–00	3440–00	4467–00
1681–52	5192–50	6874–02	2863–22	3889–60	6752–82
–	1674–00	1674–00	892–00	3516–50	4408–50
–	961–00	961–00	–	2909–00	2909–00
321–98	1023–00	1344–98	6501–42	5867–50	12368–92
386–85	837–00	1123–85	1598–17	4759–00	6357–17
–	883–50	883–50	4373–22	3242–00	7915–22
62–96	558–00	620–96	3719–00	3210–25	6929–25
225–95	744–00	969–95	3858–34	4258–50	8116–84
–	1503–50	1503–50	170–00	3828–50	3998–50

(163)

परिशिष्ट—8

(अता. प्र. सं. 414 की सूची)

राजस्थान में राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की जिलेवार सूची

क्र.सं. 1	जिला 2	राजकीय महाविद्यालय 3	सहायता प्राप्त महाविद्यालय 4
1.	अजमेर	1. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर 2. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर 3. राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ 4. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	1. दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर। 2. सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर।
2.	अलवर	1. आर. आर. महाविद्यालय, अलवर 2. जी. डी. कन्या महाविद्यालय, अलवर 3. राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़	–
3.	बांसवाड़ा	1. राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	–
4.	बाड़मेर	1. राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर	–
5.	भरतपुर	1. एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर 2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर 3. राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर	–
6.	भीलवाड़ा	1. एल.एल.बी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा 2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा 3. राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा	–
7.	बीकानेर	1. डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर 2. एम. एस. महिला महाविद्यालय, बीकानेर	1. बी. जे. एस. आर. जैन महाविद्यालय, बीकानेर। 2. जैन महाविद्यालय, बीकानेर।
8.	बून्दी	1. राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	–

1	2	3	4
9.	चित्तौड़गढ़	1. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ 2. राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़	—
10.	चूरू	1. लोहिया महाविद्यालय, चूरू 2. एस.बी.डी. महाविद्यालय, सरदारशहर 3. जी. आर. एस. सी. एस. महाविद्यालय, सुजानगढ़	1. सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़।
11.	डूंगरपुर	1. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	—
12.	गंगानगर	1. राजकीय महाविद्यालय, गंगानगर 2. चौ. बी. आर. जी. कन्या महाविद्यालय, गंगानगर	1. एस. जी. एन. खालसा महाविद्यालय, गंगानगर। 2. सेठ जी. एल. बिहाणी एस. डी. महाविद्यालय, गंगानगर। 3. नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़।
13.	जयपुर	1. राजकीय महाविद्यालय, दौसा 2. राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा 3. राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली 4. राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक	1. कनोड़िया महिला महाविद्यालय, जयपुर। 2. एस.एस. जैन महाविद्यालय, जयपुर। 3. अग्रवाल महाविद्यालय, जयपुर। 4. एल.बी.एस. महाविद्यालय, जयपुर। 5. एस. एस. जी. पारीक महाविद्यालय, जयपुर।
14.	जैसलमेर	1. राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर	—
15.	झालावाड़	1. राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़	—
16.	कोटा	1. राजकीय महाविद्यालय, कोटा 2. जे.डी.बी. कन्या महाविद्यालय, कोटा 3. राजकीय महाविद्यालय, बारां	— — —

1	2	3	4
17.	जालोर	1. राजकीय महाविद्यालय, जालोर 2. राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल	—
18.	नागौर	1. राजकीय महाविद्यालय, नागौर 2. राजकीय महाविद्यालय, लाडनूं 3. राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना	
19.	पाली	1. बांगड़ महाविद्यालय, पाली	1. एस.पी.यू.महाविद्यालय, फालना।
20.	सवाई माधोपुर	1. राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर 2. राजकीय महाविद्यालय, करौली	
21.	सीकर	1. एस.के. राजकीय महाविद्यालय, सीकर 2. राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना 3. आर.एन. रूइया महाविद्यालय, रामगढ़	1. सेठ बी.डी. तोडी महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़। 2. सेठ जी. आर. चमरिया महा विद्यालय, फतेहपुर।
22.	सिरोही	1. राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	—
23.	टोंक	1. राजकीय महाविद्यालय, टोंक	1. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली।
24.	उदयपुर	1. मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर 2. राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा	1. बी.एन. महाविद्यालय, उदयपुर। 2. एम.आर.बी. श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर। 3. स्कूल आफ सोशियल वर्क उदयपुर। 4. विद्या भवन रूलर इन्स्टीट्यूट, उदयपुर।
25.	जोधपुर		1. लाचू मेमोरियल महाविद्यालय, जोधपुर।

1	2	3	4
26.	झुंझुनूं	—	1. इन्द्रा गांधी बालिका निकेतन, झडावता । 2. चिड़ावा महाविद्यालय, चिड़ावा । 3. मोतीलाल महाविद्यालय, झुंझुनूं । 4. सेठजी पोद्दार महाविद्यालय, नवलगढ़ । 5. एस. एस. महाविद्यालय, मुकुन्दगढ़ ।

(163)

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 1975

क्र. सं. 1	स्कम्भ सं. 2	पंक्ति सं. 3	अशुद्ध 4	शुद्ध 5
1.	3	नीचे से 2	के	—
2.	4	,, 5	क्या	—
3.	7	नीचे से 13	सरकमस्टान्सेज	सरकम्सटान्सेज
4.	8	नीचे से 2	की	के
5.	10	नीचे से 12	पिक	पिग
6.	15	ऊपर से 13	जो	जब
7.	16	,, 12	हैडक्वाटर	हैडक्वाटर पर
8.	17	,, 11	हुए	—
9.	18	,, 18	सही	सही है
10.	24	नीचे से 9	दिद्याध्यन	विद्याध्ययन
11.	28	ऊपर से 17	जिनके लिए	—
12.	36	नीचे से 2	सम्बन्धित	—
13.	46	नीचे से 6	सेकेट्रियेट	सेक्रेटेरियट
14.	47	नीचे से 11	सरकार	सरकार की
15.	53	नीचे से 16	है	—
16.	56	ऊपर से 7	अधिकारी	अधिकार
17.	68	नीचे से 19	गुरदयालसिंह संधु	श्री गुरदयालसिंह संधु
18.	70	ऊपर से 8	से	—
19.	78	ऊपर से 8	सूचना का पटवारी	पटवारी को सूचना देदी
20.	78	नीचे से 19	मात्रा में	मात्रा में कहां
21.	85	नीचे से 5-6	विक्रनिया	विकृतियां
22.	91	नीचे से 2	से	ने
23.	92	ऊपर से 11	विषय	विषम
24.	102	ऊपर से 13	राज्य सरकार ने	—
25.	109	ऊपर से 6	हो	—
26.	114	नीचे से 1	टीचर्स	—

(168)

1	2	3	4	5
27.	114	नीचे से 2	सरकार	सरकार टीचर्स में
28.	115	ऊपर से 1	पाये	पायी
29.	115	,, 2	आप	—
30.	116	,, 15	[illegible]ग में	में आग
31.	119	नीचे से 11	राजस्थान	राजस्थान में
32.	120	ऊपर से 11	माध्यम	माध्यम से
33.	135	शीर्षक	1 मार्च	21 मार्च
34.	215	नीचे से 14	जाता	जाता है
35.	221	ऊपर से 6	की	कि
36.	234	नीचे से 5	स	सके